खण्ड-242, अंक-10
मंगलवार, 7 कार्तिक, शक संवत् 1885
(29 अक्टूबर, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 242 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१३०१–१३०५
प्रश्नोत्तर	१३०५–१३४५
प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में आपत्ति (जारी)	१३४५–१३४६
श्री शराफत हुसैन रिजवी की जमानत पर रिहाई के सम्बन्ध में सूचना ..	१३४६
प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में आपत्ति	१३४६
विभाजन की घंटी बन्द होने के उपरान्त सदन में सदस्यों के प्रवेश के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	१३४७
संविधान के १५ वें संशोधन पर अनुसमर्थनार्थ संकल्प पर सदन में चर्चा न होने के विषय पर तथा कथित गलत सूचना दिये जाने पर नियम ३०१ के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं (स्थगित) ..	१३४७–१३५०
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	१३५०
सल्तनत बहादुरसिंह इण्टरमीडियेट कालेज, बदलापुर, जौनपुर के प्रधानाचार्य, अध्यापकों तथा छात्रों को पुलिस द्वारा बन्दी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	१३५१
चालू वर्ष के द्वितीय सोपान में आने वाले विकास खंड के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	१३५१–१३५२
सरकार द्वारा प्रश्नों के उत्तर नियमानुसार समय से न भेजने पर आपत्ति ..	१३५२–१३५३
कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी	१३५३–१३५४
जिला मैजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा नवाबगंज के ताड़ीखाने का एलाटमेंट करने और नये ठेकेदार को जबरदस्ती कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१३५४–१३६०
अवैतनिक सभा सचिवों की नियुक्ति तथा उनके द्वारा शपथ ग्रहण करने पर आपत्ति (जारी)	१३६०–१३६८
झांसी बिजली कम्पनी के कथित कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	१३६८–१३६९
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	१३७०–१३८७
उत्तर प्रदेश जमींदारी बिनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	१३८७–१४००
उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	१४००–१४०७

विषय	पृष्ठ-संख्या
विभिन्न समितियों के लिए सदस्यों के निर्वाचन की तिथि के सम्बन्ध में सूचना ..	१४०८
लोक लेखा समिति के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के सम्बन्ध में निर्वाचन-तिथि की सूचना	१४०८
गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए एक सदस्य के निर्वाचन की घोषणा ..	१४०८
अवैतनिक सभासचिवों की नियुक्ति तथा उनके द्वारा शपथ ग्रहण करने पर आपत्ति	१४०८–१४१३
नत्थियां	१४१४–१४२४

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २९ अक्तूबर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८०

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गदाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद

जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
तिलकराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री

परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम. श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (दुर्गासिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री

रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआनन्त पांडेय, श्री
रामआवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवशरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री

शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजबूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाबुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—शिक्षा मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश, गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २९ अक्तूबर, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री नत्थूसिंह विधायक के मकान की तलाशी

**१—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित), श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा), श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या पुलिस मंत्री को ज्ञात है कि श्री नत्थूसिंह, सदस्य, विधान सभा, इटावा को दिनांक ७ अक्तूबर, १९६३ को प्रातः अवैधानिक रूप से पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनको हिरासत में रखा ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

जी नहीं, यह सही नहीं है।

**२—श्री कमलासिंह यादव (अनुपस्थित), श्री होरीलाल यादव, श्री दौलतलाल तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या पुलिस मंत्री बतायेंगे कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, मिस्टर गुप्ता तथा थाना इंचार्ज चौबिया, जिला इटावा ने श्री नत्थूसिंह जी, सदस्य, विधान सभा के मकान की तलाशी दिनांक ७ अक्तूबर, १९६३ को बिना उनकी उपस्थिति में ली ? यदि हां, तो यह कार्य किस सूचना के आधार पर किया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां। डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट, श्री बी० डी० गुप्ता के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी ने दिनांक ७-१०-६३ को श्री नत्थूसिंह के मकान की तलाशी ली। श्री नत्थूसिंह उस समय मकान पर उपस्थित नहीं थे।

धारा ३९६ भारतीय दंड विधान और धारा ३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत थाना चौबिया के दो मामलों में हो रहे अनुसन्धान के क्रम में प्राप्त इस सूचना के आधार पर यह तलाशी ली गई कि कुछ लूटी हुई सम्पत्ति, अवैध आग्नेयास्त्र तथा गोली-बारूद ६ पड़ोस के ग्रामों में १२ या १३ व्यक्तियों के मकानों में, जिनमें श्री नत्थूसिंह भी सम्मिलित हैं, रखा है।

श्री होरीलाल यादव—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि माननीय नत्थूसिंह को पुलिस पार्टी अपनी मोटर में बैठा कर थाने ले गई ?

गृहमंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

हां, हो सकता है ले गई हो।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

मंत्री जी बतायेंगे सूचना जिसके द्वारा हुई ? यानी डकैती किसके यहां पड़ी थी जिसमें नत्थूसिंह जी का नाम लिया गया हो ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वह उत्तर में दिया गया है कि डकैती २, ३ जगह हुई थी, कत्ल भी हुआ था उसी में नाम मालूम हुआ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या मंत्री जी सूचना देने वाले का नाम बतायेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं, यह नहीं बताया जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

मंत्री जी को सूचना है कि नत्थूसिंह जी को मोटर पर बैठा कर पुलिस पार्टी, जो रेड करने गई थी, ले गई, थाने में रखा, गिरफ्तार रखा तो किस काम से रखा और कितने घंटे तक वह थाने में रखे गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

थाने में तो रखा नहीं, न गिरफ्तार किया, न हिरासत में रखा। लेकिन उनसे पूछ-ताछ करने के लिये मोटर पर बैठा कर थाने में ले गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय माननीय नत्थूसिंह के घर की तलाशी ली गई वह उस समय कहां थे और उनकी मौजूदगी में तलाशी न लेने का क्या कारण था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वह मौजूद नहीं थे। लेकिन यह कोई कानून नहीं है कि जब घर में न हो तो तलाशी न ली जाय।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

मंत्री जी बतायेंगे कि माननीय नत्थूसिंह का नाम रिपोर्ट में नामजद था अथवा किसी अभियुक्त द्वारा नाम बताया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसमें बहुत-सी चीजें हैं जो नहीं बतायी जा सकती हैं। माननीय नत्थूसिंह का नाम मालूम हुआ और उनके खानदान पर शक मालूम हुआ, हिस्ट्री शीटर इनके पिता भी रहे हैं इसलिये चूंकि नाम मालूम हुआ तो घर की तलाशी लेना जरूरी हो गया।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय नत्थूसिंह जी के घर की तलाशी ली गई उस समय पुलिस ने भी अपनी तलाशी दी थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जो कायदे की बात है वह हुई होगी। इसकी इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी "हुई होगी" न कहें। अगर सूचना है तो बता दें।

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने कह दिया इसकी सूचना नहीं है।

श्री होरीलाल यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री नत्थूसिंह जी के अलावा जो और १२-१३ आदमियों पर शक था क्या उनकी भी तलाशी ली गयी थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां। जिस जगह पर शुबहा था, ली गयी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या एफ० आई० आर० में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं उनके नाम बताने में सरकार को असुविधा होगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इनमें एफ० आई० आर० का सवाल नहीं है। यह तो दौराने तहकीकात में जो नाम मालूम हुए, उनकी तलाशी ली गयी थी।

श्री लखीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उस इलाके में यह आम शोहरत है कि पुलिस गैर-कानूनी सामान अपने साथ ले गयी थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। ऐसी बात नहीं है। यह बात जरूर है कि जब उनके यहां तलाशी हुई थी तो पहले ही उनको मालूम हो गया था। इसलिए ऐसी कोई चीज़ तलाशी के लिए उनके यहां नहीं मिली।

विधायक, श्री सुल्तान सिंह पचौरी को घायल करना

**३—श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले के सादाबाद थाने के अन्तर्गत एक सदस्य, विधान परिषद् को उन्हीं के गांव के पास १४-१५ अक्तूबर को चाकुओं से बुरी तरह से गोद डाला गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने लोगों का चालान हुआ और क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

दिनांक १४-१५ अक्तूबर, १९६३ की रात में विधान परिषद् के सदस्य, श्री सुल्तानसिंह पचौरी को एक व्यक्ति द्वारा उनके गांव बांस अमरू में उनके घर के पास ही चाकू द्वारा चोटें पहुंचाई गईं। इस सम्बन्ध में एक अभियोग धारा ३०७ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया। अभियुक्त को जो फरार है गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री शिवचरण—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि घटना की पूरी रिपोर्ट क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसकी रिपोर्ट यह है कि १४ तारीख को लगभग ८ बजे श्री सुल्तानसिंह पचौरी अपने घर पर थे। युधिष्ठिरसिंह जो बीज गोदाम पर खड़े थे। वे सरकार की आलोचना कर रहे थे कि बीज और चीनी वितरण करने का गलत तरीका है। श्री युधिष्ठिरसिंह जी ने कहा कि यह बहुत गलत है इस पर वे उत्तेजित हो गये और चाकू मार कर फरार हो गये।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो मुल्जिम फरार हुआ उसके विरुद्ध दफा ८७-८८ में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

कार्यवाही हो गयी।

श्री शिवचरण—

दफा ३०७ में किन-किन व्यक्तियों के नाम हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने जैसा अभी कहा युधिष्ठिरसिंह जी के खिलाफ रिपोर्ट है और किसी के खिलाफ नहीं है।

मथुरा में रामलीला के अवसर पर दफा १४४

**४—श्री लोकपालसिंह (जिला एटा), श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) तथा श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिलाधीश मथुरा ने अवैधानिक रूप से राम लीला की कार्यवाही में हस्तक्षेप किया और नगर में धारा १४४ लगा दी है तथा पुलिस एवं पी० ए० सी० को गश्ती लगी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

यह सही है कि जिलाधीश मथुरा द्वारा बाल रामलीला कमेटी की कार्यवाही के संबंध में धारा १४४ लगाई गई और पुलिस का समुचित प्रबन्ध किया गया, पर यह गलत है कि जिलाधीश ने अवैधानिक रूप से रामलीला की कार्यवाही में हस्तक्षेप किया। बाल रामलीला कमेटी द्वारा नये आयोजन करने व नये रास्तों से नये जलूस निकालने का प्रबन्ध किए जाने के कारण धारा १४४ लगानी पड़ी।

**५—श्री लोक पाल सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह तथा श्री वेदराम—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें यह भी ज्ञात है कि धारा १४४ एवं उक्त हस्तक्षेप के कारण मथुरा नगर में ५ दिनों से हड़ताल चल रही है ? यदि हां, तो संपूर्ण स्थिति का अवलोकन करते हुए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

यह सही नहीं है कि धारा १४४ लगाने के कारण नगर में ५ दिनों से हड़ताल है। केवल दिनांक १६-१०-६३ को हड़ताल कराने की कोशिश की गई थी परन्तु इसमें सफलता नहीं मिली। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

थाना कोतवाली, फतेहपुर में विष्णुदेई बलात्कार काण्ड

**६—श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर), श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) तथा श्री रती पाल (जिला रायबरेली)—

क्या पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २५-२६ सितम्बर, १९६३ ई०, की रात को थाना कोतवाली फतेहपुर, जिला फतेहपुर, के तीन कांस्टेबिलों व दो अन्य व्यक्तियों के द्वारा रेलवे स्टेशन फतेहपुर के नजदीक से पचीस वर्षीया नवयुवती श्रीमती विष्णुदेई, निवासिनी जिला रायबरेली, को जबरन ले जाकर एक कोठरी में रात भर बन्द करके बलात्कार करने की घटना की सूचना फतेहपुर के अधिकारियों को मिली ? यदि हां, तो इस संबंध में प्रथम सूचना समस्त डाक्टरी मुआइने व अब तक की तफतीश में लिये गये बयानात को क्या उक्त मंत्री महोदय सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में कौन-कौन गिरफ्तारियां की गयीं और किन-किन अभियुक्तों को कितनी-कितनी जमानतों पर किन-किन अदालतों द्वारा किन-किन आधारों पर रिहा किया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां।

इस घटना की प्रथम सूचना व संबंधित व्यक्तियों की डाक्टरी मुआइने की रिपोर्ट की प्रतिलिपियां †संलग्न हैं। चूंकि इस मामले की विवेचना अभी हो रही है अतः पुलिस के समक्ष लिये गए बयानात को सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा।

इस घटना में अब तक एक कांस्टेबिल व दो अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। कांस्टेबिल उदयभान सिंह को दो दो हजार रुपये की दो जमानतों और उतनी ही रकम के जातीय मुचलके पर ए० डी० एम० (जे०) के न्यायालय द्वारा छोड़ा गया। अभियुक्त विशुन भान सिंह व बाल करन सिंह को चार चार हजार रुपये की दो जमानतों और उतने ही रुपये की जाती मुचलके पर सेशन्स जज, फतेहपुर के न्यायालय द्वारा छोड़ा गया।

**७—श्री दीपनारायण सिंह, श्री रामकिशोर वर्मा तथा श्री रतीपाल—

क्या पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती विष्णुदेई बलात्कार काण्ड के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का कोई टेलीग्राम, माननीय मुख्य मंत्री महोदय व उप पुलिस मंत्री महोदय

---

†छापी नहीं गई।

उत्तर प्रदेश के पास फतेह्र से दिया हुआ दिनांक २८ सितम्बर, १९६३ का उन्हें या उनके अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस संबंध में उन्होंने क्या उचित कदम उक्त गंभीर उत्तेजक बलात्कार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने और भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने के लिये उठाये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां, इस घटना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। संबंधित पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित भी कर दिया गया है।

श्री दीपनारायणसिंह—

क्या माननीय गृह मंत्री को पता है कि जब मैं २८ सितम्बर, ६३ को पहुंचा तो उक्त विष्णुदेई के साथ जिला परिषद के अध्यक्ष श्री हर प्रसाद जी, जो कांग्रेसी नेता हैं, के द्वारा वह सिपाही पकड़ा गया था और उसको मे मकान पर रखा गया था तो उसने जो बातें बतलायीं और जिन तीन सिपाहियों के नाम बतलाये उनमें से केवल एक सिपाही गिरफ्तार हुआ और जो कोर्ट मुहर्रिर था वह वहीं जमानत पर रिहा कर दिया गया और जेल भी नहीं भेजा गया, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां, वह हर प्रसाद जी को मिली थी और माननीय सदस्य के मकान पर ले गये थे क्योंकि उनका मकान करीब था। जो बयान दिया उसने उसमें उन्होंने ३ कांस्टेबिलों का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक कांस्टेबिल का नाम लिया और उसे ही उन्होंने पहचाना।

श्री दीपनारायणसिंह—

जो रिपोर्ट मेरे सामने प्रस्तुत की गयी है उस रिपोर्ट अब्वल में बतलाया गया है कि आपको रपट करन क पहले ही कांस्टेबिल जलाल अहमद और बालकृष्ण के नाम मालूम हो गय थ, उदयभान सिंह के अलावा और आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया.....

श्री अध्यक्ष—

आपका सवाल बहुत लम्बा होता है, छोटा-सा सवाल पूछिये।

श्री दीपनारायणसिंह—

जलाल अहमद और बालकृष्ण के खिलाफ जिनके नाम रिपोर्ट अब्वल में लिखाये गये थे आपने क्या शहादत इकट्ठा की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

शहादत जबरदस्ती इकट्ठा की जाय, इसकी आवश्यकता नहीं होती।! जैसा मैंने अर्ज किया विष्णुदेई ने उनको नहीं पहचाना लकिन उनको सस्पेन्ड कर दिया गया है।

श्री रामकिशोर वर्मा—

रिपोर्ट में ५ व्यक्तियों के नाम लिखाये गये थे और प्रश्न ७ के उत्तर में कहा गया है कि संबंधित पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है, तो संबंधित कान्स्टेबिलों में एक कांस्टेबिल है या तीन ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

तीन कांस्टेबिलों को निलम्बित कर दिया गया है। केवल एक को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम मैंने पहले लिया था।

श्री होरीलाल यादव—

जब एफ० आई० आर० में उन दो कांस्टबिलों का भी नाम लिखाया गया था तो फिर उनको भी गिरफ्तार न करने का क्या कारण है ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

यह सूचना तो मेरे पास नहीं है। विष्णुभान सिंह जब गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा कि ५ आदमी शामिल थे। मुसम्मात ने दो को नहीं पहचाना और उसने कहा कि उन्होंने बलात्कार नहीं किया। दो को निलम्बित कर दिया गया है। जांच जारी है। उनके खिलाफ अगर सबूत मिलेगा तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जायगा।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

आइडेंटिफिकेशन परेड कब हुई थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

परेड कराई गयी थी, लेकिन उसमें नहीं पहचाना।

श्री नरसिंहनारायण पान्डेय (जिला गोरखपुर)—

२६-८-६३ को जो रपट को गई थी उसमें दो कान्स्टेबिलों के नाम थे या नहीं थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने पहले ही अर्ज किया कि एफ० आई० आर० में इन साहबान के नाम नहीं थे और इस समय मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह—

मेरे पास एफ० आई० आर० मैं उसे पढ़ दूं। स्वामी दीन सब-इंस्पेक्टर की लिखाई हुई एफ० आई० आर० है जो मुझे दी गयी है। उसमें यह दिया हुआ ह कि हम दोनों के अलावा जलाल अहमद और बालकृष्ण ने व्यभिचार किया था।

श्री हरगोविन्द सिंह—

एफ० आई० आर० उस स्त्री के द्वारा नहीं लिखायी गयी थी। चूंकि वह स्त्री स्वामीदीन को मिली थी तो स्वामीदीन ने अपनी तरफ से नाम लिखा दिये थे। उनकी आइडेन्टीफिकेशन परेड करायी गयी थी। लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं।

श्री दीपनारायणसिंह—

नकल तहरीरी हिन्दी में साफ तरीके से लिखा हुआ है . . .

श्री अध्यक्ष—

आप उसे पढ़िये तो सही।

श्री दीपनारायणसिंह—

"मुझे सब-इंस्पेक्टर स्वामी दीन यादव को श्री हरी प्रसाद, चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, फतेहपुर ने बुलाकर श्रीमती विशुन देई, पत्नी सागर कुर्मी, साकिन दंदौर, थाना बछरावां, जिला रायबरेली, को जो श्री दीपनारायणसिंह, एम० एल० ए० के मकान में मौजूद थी के पास ले जाकर बतलाया कि मैं सुबह टहलने जा रहा था कि चौराहा सिविल सर्जन साहब पर मुझे यह अकेली परेशान सी मिली है। यह अपने साथ कुछ सिपाहियों को व्यभिचार करना बताती है कि मुझे सब-इंस्पेक्टर ने श्रीमती विशुन देई से पूछा तो बतलाया कि मेरा पति सागर मंगल को रात को यह कह कर कि नौकरी करने फतेहपुर चलना है साथ लिवा लकर चला और बस पर सवार होकर रायबरेली से कानपुर गई। कानपुर से बस पर कल दोपहर को यहां फतेहपुर बस स्टैंड पर उतरे

कि रिक्शे पर सवार होकर अपने मर्द के साथ कचहरी गए वहां पर हमारे मर्द पूड़ी तरकारी जब नहीं मिला तो फिर वहां से रेलवे स्टेशन पैदल आये और टिकट घर के करीब जहां बेन्च पड़ी है बैठ गए। हमार आदमी हमका पूड़ी तरकारी व दाल मोट खाय के बरे लाय के बिहिस और यह कह कर कि मैं नौकरी ढूढे जत हों चला गया। इतने में एक खाकी कपड़ा पहने जऊन सिपाही मालूम होत रहा आवा और हमसे पूछस कि तुम्हारे साथ कोई आदमी है या नहीं, तुम कैसे बैठी हो। हम ओसे बतावा कि हमार आदमी शहर गया है, वह चला गया कि मुंह अंधियार भए जब हमार आदमी नहीं आवा तो उबियाय के हम सड़क पर निकलकर खड़ी भएन कि तीन आदमी जवन सफेद व कत्थई रंग की कमीज व पायजामा पहनें रहें आए और कहेन कि कैसे खड़ी हो तो हम उनसे बतावा कि हमार आदमी शहर नौकरी ढूढन गवाहै, वहीं का परखे हूं कि वह तीनों जने बताइन कि हम सिपाही हैं हमरे साथ जहां कहें चल नहीं तो बन्द कर देंगे। वा साइत तमाम आदमी की भीड़ लग गई कि उन तीनों जने हमका जबरदस्ती डरवाय धमकाय के एक मकान जवन स्टेशन के उत्तर तरफ है लवाए ले गए व वहां पर दो आदमी और आ गए जो अपने को सिपाही कहते थे और हमका एक मकान के भीतरी बन्द करक संकरी लगा दिहिन और कहिन कि अगर तै चिल्लावे तो मारब और मेरे साथ पांचो आदमी बारी बारी से जबरदस्ती बुरा काम किहिन। बहुत सवेरे मुंह अन्धेरे किवाड़ खोल के मोही निकाल दिहिन।"

श्री अध्यक्ष—

अब सवाल क्या है ?

श्री दीपनारायणसिंह—

तो मैंने यह साफ तरीके से कहा है कि खुद दरोगा जी और कांग्रेस के नेता गुरु प्रसाद पान्डेय जी के साथ गया। तो आपने उन तीनों को गिरफ्तार नहीं कराया। आपने १६४ में जो बहुत बदनाम है पुलिस का एजेन्ट औरतबाजी के लिये उसका एस० डी० एम० साहब के यहां बयान कराया। २८ सितम्बर को मैंने तार दिया कि इस केस को....

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीपनारायण जी, आप बैठ जायं। मैं पूछे लेता हूं। माननीय मंत्री जी, आपके उत्तर में यह है कि श्रीमती विशुन देवी से पूछा तो उसने यह बताया कि पांच आदमी बारी बारी से जबरदस्ती बुरा काम किहिन। तो सवाल सिर्फ यह है कि तीन आदमियों के खिलाफ कार्यवाही हुई, और दो आदमियों के खिलाफ क्यों नहीं हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसलिये कि जब पुलिस थाने ले जाया गया और कांस्टेबिल खड़े किये गये तो उसने पहचाना नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

जब ऐसे हीनस क्राइम्स में एफ० आई० आर० दर्ज होती है तो पहला काम गिरफ्तारी करने का होता है, आइडन्टीफिकेशन करने का बाद में होता है। जब तीन कांस्टेबिलों का नाम था तो उनको पकड़ा क्यों नहीं गया और जेल में क्यों नहीं डाला गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

चन्द्रजीत जी को यह गलतफहमी है कि एफ० आई० आर० उस स्त्री ने लिखायी थी। वह तो सब-इंस्पक्टर ने लिखी थी।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि एस० आई० ने श्रीमती विशुन दई से बातचीत की। बातचीत करने के बाद उसने स्वयं अपनी डायरी में यह नोट किया है। उनका कहना यह है कि एफ० आई० आर० जिस रूप में होती है उस तरह से नहीं लिखाई। उस स्त्री ने नहीं लिखाई बल्कि उस कांस्टेबिल ने या जो भी शख्स हो उसने लिखी थी।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, एफ० आई० आर० किसी ने लिखाई, इससे मतलब नहीं है लेकिन लिखी गई, इससे मंत्री जी को इंकार नहीं है। जब एफ० आई० आर० में उन आदमियों के नाम थे तो उनको गिरफ्तार करके शिनाख्त क्यों नहीं कराई गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने जवाब तो दे दिया कि उसने स्वामीदीन सब-इंस्पेक्टर को बताया था, लेकिन जब कांस्टेबिलों को खड़ा किया गया तो वह पहचान न सकी।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैंने अभी पास ओवर नहीं किया है, आप लोग क्यों खड़े हैं ? मंत्री जी, प्रश्न यह है कि वह यह पूछते हैं कि आपने आइडेंटीफिकेशन कराने से पहले उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इन्वैस्टीगेशन अभी जारी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

देखिये, इससे तो हमारी और आपकी दिक्कत दूर नहीं होगी। (श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय के खड़े होने पर) श्री केशरी प्रसाद जी, आप बैठ जाइये। आप सुनेंगे नहीं और बात करेंगे, आप बैठ जाइये। मसला तब हल होगा जब आप सवाल करेंगे और वह जवाब देंगे। उन्होंने कह दिया कि दौरान तफतीश उन्होंने गिरफ्तारी नहीं कराई।

श्री कल्पनार्थसिंह—

आपने जो सवाल किया था उसका उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

सरकार की तरफ से जो उत्तर आता है वह यदि आपके मन का नहीं है तो आप चाहे जो अनुमान लगा सकते हैं, उससे कोई रोकता नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, यह आपकी व्यवस्था का सवाल है जब मंत्री जी....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। एक बात समझ लीजिये कि प्रश्नों के संबंध में एक निश्चित विधान है कि आप प्रश्न कर सकते हैं और सरकार की तरफ से उसका उत्तर आ सकता है। न मैं आपसे कह सकता हूं कि प्रश्न यों न करें, यों करें, और न उनसे कह सकता हूं कि जवाब इस तरह से न देकर इस तरह से दें। आपको उत्तर मिलेगा, आपको मौका होगा, उसके ऊपर प्रश्न कर लें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार है कि सरकार सही उत्तर दे। अभी मोहकमा जंगलात का एक प्रश्न आया था उस पर विभाग ने कुछ गलत जानकारी दे दी थी तो माननीय चरण सिंह जी ने बड़ा सख्त कदम उठाया जिससे विभाग में खलबली मच गई। इसलिये आपका कर्त्तव्य है कि अगर कोई मंत्री ठीक तरह से जवाब न दें तो आप उनको बाध्य करें कि वह सही उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, इसके संबंध में आप रूलिंग मुझे दिखा दीजिये। मेरे पास टंडन जी की रूलिंग है कि हम मजदूर नहीं कर सकते हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

श्रीमन्, क्राइम बहुत हीनियस है और महिला बाहर की है, वह किसी का नाम नहीं जानती है, तो क्या मंत्री जी सी० आई० डी० से इन्वैस्टीगेशन करायेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, अगर सवाल का जवाब सुना जाय तो दूं।

श्री अध्यक्ष—

नो कमेंट्री, प्लीज।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, यह कमेंट्री नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

देखिये उनको अधिकार है प्रश्न करने का सरकार से और सरकार का फर्ज है कि जवाब दे और उस पर कोई कमेंट्री न हो। अगर नहीं सुनेंगे तो मैं देखूंगा, आप सिर्फ उत्तर दें।

श्री हरगोविन्दसिंह —

श्रीमन्, जरा सी गलतफहमी हो रही है, कमेंट्री नहीं हो रही है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि सवाल का जवाब दूं अगर हाउस सुनने के लिये तैयार हो।

श्री अध्यक्ष—

अगर नहीं सुनेंगे तो मैं सुनवाऊंगा।

श्री हरगोविन्दसिंह —

स्वामीदीन से उस स्त्री ने किसी का नाम नहीं लिया था। बिसुनभान सिंह जब पकड़े गये तो बिसुनभान सिंह ने इन कांस्टेबिलों का नाम लिया। तब सब-इन्स्पेक्टर इस स्त्री को थाने ले आया और सब सिपाहियों को खड़ा किया और कहा कि इनको पहचानो। उसने पहचाना नहीं, इसलिये उनको नहीं पकड़ा गया।

श्री दीपनारायणसिंह—

माननीय पुलिस मन्त्री को उनका तथा माननीय मुख्य मन्त्री को २८ सितम्बर, १९६३ को इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा भेजे गये उस तार की अगर याद हो तो मैंने उसमें साफ-साफ लिखा है कि वहां के अधिकारी मुलजिमों को बचाने के लिये १६७ और १६४ के बयानात और डाक्टरी मुआयना को बिगाड़ रहे हैं इस लिये सी० आई० डी० द्वारा तत्काल तफतीश करवायी जाय क्योंकि यहां पर बहुत से अपराधियों की मदद करने वाले अफसर हैं ?

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि सी० आई० डी० के द्वारा आप इंवेस्टीगेशन करवा दीजिये।

श्री हरगोविन्दसिंह —

जी नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद) —

अभी माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया कि जब एक मुलजिम पकड़ा गया और उसने दो और व्यक्तियों के नाम बताये लेकिन स्त्री पहचान नहीं सकी इसलिये उनको अरेस्ट नहीं किया गया, क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि वह एक बाहरी स्त्री होने के कारण नहीं बता सकी लेकिन जो वहां कांस्टेबिल मौजूद थे, उन्होंने नाम बताये, इतना सही होते हुये भी क्यों नहीं पकड़े गये, इसका क्या जवाब है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त —

श्रीमन्, जैसा कि पहले कहा गया, बिसुनभानसिंह अबधूज हैं, उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। उन्होंने पांच नाम बताये थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का सवाल है। आप वकील हैं। हम लोग जो इस पेशे को नहीं करते, उनको भी यह जानकारी है कि किसी की शिनाख्त होती है तो वह मैजिस्ट्रेट के सामने होती है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कांस्टेबिल कौन था कौन नहीं था, इसके लिये थानेदार के सामने शिनाख्त करवायी जाय, जिसका मन्त्री जी समर्थन कर रहे हैं।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि अगर एक मुलजिम अपने जुर्म को स्वीकार करता है और दूसरे किसी का नाम लेता है तो वह कनफेशन ऐडामिसिबिल है, दूसरे मुलजिमों के लिये वह एविडेंस है, चाहे वीक ही हो, इस बेसिस पर क्या उनकी गिरफ्तारी होना काफी नहीं थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह —

इसी वजह से वह सस्पेंड किये गये लेकिन जब आइडेंटीफिकेशन करवाया गया.....

(व्यवधान) (अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)—

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। सुन तो लीजिये जवाब। (शोर के बीच) कुछ भी हो, आपको पूरा जवाब सुनना पड़ेगा।

श्री हरगोविन्दसिंह —

वह सस्पेंड किये गये, लेकिन जब शिनाख्त करवायी गयी तो उसने पहचाना नहीं, इसलिये नहीं पकड़े गये।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह पुलिस अधिकारियों के द्वारा एक स्त्री पर अत्याचार हो, मुझे अफसोस है कि माननीय मन्त्री जी सही बयान सदन के सामने न दे कर छिपा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जब इतनी बातें कही जा रही हैं तो वह सी० आई० डी० से इनक्वायरी करवाने में ऐतराज क्यों कर रहे हैं, क्या कानूनी अड़चन है, किस वजह से वह नहीं करवाना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष—

मैं एक बात कह दूं। सवाल करते समय आक्षेप करना उचित नहीं है। सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आप आक्षेप नहीं कर सकते।

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

(व्यवधान के बीच) अगर इस विषय पर हमारे माननीय मेम्बरों को तसल्ली नहीं है तो मैं यह चाहूंगी कि जो फतेहपुर के २, ४ मेम्बर हैं वह मुझसे बात कर लें। मैं खुद इसके बारे में देख लूंगी।

(गृह मन्त्री के खड़े होने पर विरोधी पक्ष की तरफ से वक्तव्य के स्वागत मेज थपथपा कर शोर—शेम-शेम— की आवाजें)।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गांव ऊंचे करना

*१—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाढ़ रक्षा योजना के अन्तर्गत तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन से गांव कितनी लागत से ऊंचे किये जा रहे हैं ?

विद्युत उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

सूचना अभी तक एकत्रित नहीं हो पाई, प्रयत्न किया जा रहा है।

*२—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष (१९६२-६३) में सरजू व घाघरा तथा राप्ती नदियों की बाढ़ से बचाव के लिये कौन-कौन से गांव कितनी लागत से ऊंचे किये जा रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सूचना अभी तक एकत्रित नहीं हो पाई है, प्रयत्न किया जा रहा है।

बहराइच जिले को खाद

*३—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) तथा श्री मुन्नू सिंह (जिला बहराइच)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले में भिनगा (हरिहरपुर रानी) तथा सिरसिया विकास क्षेत्र में इस वर्ष कितनी-कितनी खाद दी गई तथा कौन-कौन सी खाद दी गई ?

कृषि उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

हरिहरपुर रानी तथा सिरसिया विकास क्षेत्रों में जो खाद इस वर्ष वितरण के लिये उपलब्ध थी उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४१४ पर।)

*४—श्री ऊदल तथा श्री मुन्नू सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन विकास क्षेत्रों में यदि भेजी गई खाद सिंचित क्षेत्र में पड़ने से ज्यादा है तो उसका क्या किया जायगा और वह क्यों भेजी गई थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

खाद केवल सिंचित क्षेत्र में ही नहीं बल्कि असिंचित क्षेत्र में भी पड़ती है। केवल मात्रा का अन्तर है। सिंचित क्षेत्र में असिंचित क्षेत्र की अपेक्षा दुगुनी खाद प्रति एकड़ पड़ती है। जिस मात्रा में खाद उपलब्ध की गई है वह उक्त आधार पर ज्यादा न थी।

श्री ऊदल —

क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि इस असिंचित क्षेत्र के लिये जो खाद दी गई वह उनके खयाल से काफी थी लेकिन किसानों का कहना, है कि पूरी मात्रा में खाद नहीं दी गई, तो क्या सरकार किसानों को पूरी मात्रा में खाद देने और उस क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य —

किसानों को खाद उचित मात्रा में दी गई। जितने लोगों ने खाद के लिये मांग की थी उतने लोगों को खाद दी गई। स्टाक वहां पर मौजूद था।

रामनगर ब्लाक में नाला बनाने की योजना

*५—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) —

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जौनपुर जिले के रामनगर ब्लाक में हूसेनपुर, राजापुर, उसरांव, टेकारडीह, हौरय्या, सलापुर, आदि गांव की हजारों बीघे जमीन पानी में डूब गई है ? यदि हां, तो उन गांवों की बरबादी रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

जी हां, जौनपुर जिले में सभी गांव अमरैनी, चनेवला व मदान तालों के पानी से घिर जाते हैं और काफी रकबे की फसल डूब जाती है। इस बरबादी को दूर करने के लिये एक सेताब चड़ई नामक नाला बनाने की योजना है।

श्री जगन्नाथ राव —

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने इन गांवों की बरबादी होने से बचाने के लिये सर्वे कराया है और अगर कराया है तो क्या योजना बनाई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उसका सर्वे कराया गया है। एक योजना नाला बनाने की है। यह नाला ४ मील लम्बा होगा और जो कैचमेंट एरिया है, वह करीब ६ मील का है। उसमें करीब-करीब १६ हजार रुपया खर्चा होगा।

श्री जगन्नाथ राव —

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कार्य कब से आरम्भ करेंगे और इन गांवों को बचाने के लिये आवश्यकता का अनुभव करते हुये इस कार्य को शीघ्रता से कार्यान्वित करायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

मैंने बतलाया कि एक योजना हमारे प्रान्त में ५८ लाख रुपये की है। इसको उसमें शामिल कर लिया गया ह। जिस वक्त वह योजना ली जायगी तो इस काम को शीघ्रता के साथ पूरा करेंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी) —

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह जो नाला बनाने की योजना है उसको कब तक कार्यान्वित किया जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

अभी तो वह स्कीम बनी है। जब वह प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जायेगा तब काम शुरू होगा। जब काम शुरू होगा तो जल्दी ही काम होगा।

श्री कल्पनार्थसिंह —

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जिस योजना का वह बयान कर रहे हैं वह प्लानिंग डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है जो जल निकासी योजना के अन्तर्गत है, या सिंचाई विभाग के अन्तर्गत है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमारी ५८ लाख की स्कीम है। उसको चीफ इंजीनियर देख रहे हैं। वह प्लानिंग के अन्तर्गत ह लेकिन चीफ इंजीनियर उसको देख रहे हैं।

*६—श्री जगन्नाथ राव —

[हटा दिया गया।]

सिंचाई विभाग में ड्राफ्ट्समैन

*७—श्री मन्नालाल (जिला खीरी) —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई विभाग में ड्राफ्ट्समैन के कितने वर्ग हैं तथा अक्तूबर सन् १९५८ से आज तक कितने ड्राफ्ट्समन किन किन वर्गों में भर्ती किये गये हैं ? उनमें ट्रेसर ड्राफ्ट्समन बनाने की संख्या क्या ह ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४१५ पर।)

श्री मन्नालाल —

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि सिंचाई विभाग में ड्राफ्ट्समैन की नियुक्ति के नियम क्या-क्या हैं और क्या उनके लिये कोई कोटा निर्धारित ह ? यदि हां, तो क्या ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन्स हैं उनसे पास करने के बाद लोग ड्राफ्ट्समैन बनते थे। इन इंस्टीयूशन्स म रुड़की यूनिवर्सिटी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन और एडहाक बोर्ड आफ इंजीनियरिंग एजूकेशन इत्यादि थ। चूंकि इनसे ज्यादा कन्डीडेट मिलते नहीं थे इसलिये ऐसा नियम था कि नीच से लोग प्रमोट कर दिये जाते थ। पर १९५८ के बाद काफी ट्रेन्ड आदमी मिलन लगे इसलिये अनक्वालीफाइड ड्राफ्ट्समैन का प्रमोशन समाप्त कर दिया गया। इस समय हमारे जो चीफ इंजीनियर है उनके सामने यह प्रश्न ह कि जो यह लोग है उनको भी एक तादाद में, १५ फी सदी प्रमोट किया जाय और यह चीज सरकार के सामने विचाराधीन है।

श्री बचाराम शाक्य —

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि ड्राफ्ट्समैन के वेतनक्रम जो दो भिन्न प्रकार के हैं, उनमें भिन्नता क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पहला वेतन-क्रम, जैसा मैंने कहा, जो डिप्लोमा पासशुदा थे उनका १२०–२५० रुपये का और जो प्रमोटेड थे उनको ८५–२०० रुपये का ग्रेड था। लेकिन बाद में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो लेबर डिपार्टमेंट का था, उसने उसमें डेढ़ वर्ष का कोर्स कर दिया है, उससे पास करके जो आते हैं उनको दूसरे वेतन-क्रम में रखा जाता है।

मुरादाबाद, बदायूं जिलों में नलकूपों के पुर्जों की चोरी

*८—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि गत वर्ष से अब तक मुरादाबाद तथा बदायूं के नलकूपों में ५० हजार रुपये के कलपुर्जे गायब पाये गये हैं ? यदि हां, तो यह घटना किस प्रकार घटी तथा इस समय उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

५०,००० रु० के तो नहीं, बल्कि ३२,३६७.८४ रु० के कल पुर्ज जनवरी, १९६२ से अगस्त, १९६३ के दरमियान चोरी हुये। ये चोरियां रात के समय हुईं और इन चोरियों पर अलग-अलग उचित कार्यवाही हो रही है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन-सी चीजें चोरी गयी हैं ? लिस्ट लम्बी न हो तो बतला दें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन चीजें जैसे स्विच गियर है, तार है, दूसरे पुर्जे हैं, इस तरह की चीजें चोरी हुई हैं। साधारणतया होता यह है कि हमारा आपरेटर ६ घंटे ड्यूटी पर होता है और उसके बाद जब वह लिखापढ़ी के लिये चला जाता है तो उस बीच में चोरी हो जाती है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन चोरियों का पता कब लगा और किसने इत्तला की ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी रिपोर्ट अलग-अलग तारीखों में हमारे पास है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस तरह से सामान चोरी जाने की शिकायतें बहुत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये कोई व्यवस्था करने पर विचार कर रही हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस प्रश्न पर विचार हो रहा है। एक तो हम अपने स्टेंडर्ड पार्ट्स बना रहे हैं और उस स्टेंडर्ड पार्ट में हरएक में गवर्नमेंट की मुहर होगी जिससे कि गवर्नमेंट के पार्ट्स अगर कहीं चोरी जायं तो उनका पता चल सके क्योंकि ऐसा होता है कि प्राइवेट ट्यूबवैल वाले इन पार्ट्स को लेकर अपने यहां लगा लेते हैं, तो इससे वह यह नहीं कर पायगे और इसके अलावा दूसरे और भी कई कदम इस सिलसिले में उठाये जा रहे हैं।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो सामान चोरी गया उनमें से कितना सामान ट्रेस आउट हो चुका है और कितने अभियुक्त अब तक पकड़े गये हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है यह । कोई सामान दो रुपये का है, कोई चार रुपये का है, इस तरह से कोई २५ हजार का सामान है ....

श्री दयाराम शाक्य—

मेरा प्रश्न यह था कि अब तक कितना सामान रिकवर हो सका है ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, देखिये सिर्फ दो बातें हैं । कोई माल रिकवर हुआ या नहीं और कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी विस्तृत सूचना तो मेरे पास अभी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

कोई आदमी गिरफ्तार हुआ है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसके लिये सूचना चाहिये । इस वक्त यह मेरे पास सूचना नहीं है ।

[२९ अक्तूबर, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

रोडवेज बस के किराये में वृद्धि

*१—श्री कल्पनार्थासिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में रोडवेज बस का किराया किस हिसाब से बढ़ाया गया है और उससे चालू वित्तीय वर्ष में विभाग को कुल कितनी आमदनी होने का अनुमान है ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

.६ प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है जिससे लगभग ४० लाख रु० अधिक आमदनी होने का अनुमान है ।

श्री कल्पनार्थासिंह—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि यह वृद्धि करने का आदेश किस तारीख को दिया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री कल्पनार्थासिंह—

इस वृद्धि के लिये डिपार्टमेंट ने कोई रिजेशन मंत्री जी के पास भेजा था या कैबिनेट के डेसीशन से यह हुआ ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

जी नहीं, कैबिनेट में यह चीज नहीं गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह किराया किस नियम के अन्दर बढ़ाया गया, जो ऐक्ट बनाये गये हैं उनके अनुसार बढ़ाया गया या किस तरह बढ़ाया गया और असेम्बली में कोई इस तरह का संशोधन इस किराये को बढ़ाने के बारे में न लाने का क्या कारण था ?

श्री मुजफ्फर हसन—

बात यह है कि जितना मोटर का सामान है उस सबमें करीब दस प्रतिशत इजाफा हो गया है। इसलिये इसके बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर में उन्होंने बताया कि ६ प्रतिशत किराया बढ़ाया गया परन्तु सहारनपुर से हरिद्वार तथा गंगोह से सहारनपुर तक ४३ प्रतिशत किराया बढ़ाया गया है, क्या यह ठीक है और क्या वह इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह जो ६ प्रतिशत बताया गया है यह हर जगह नहीं बढ़ाया गया है और किराया जो पहले था वह भी अधिकतम दर से नहीं लगाया जाता था, तो उसमें उलट फेर होता रहता है। मैं नहीं जानता कि सहारनपुर में कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

जो इस समय बढ़ा हुआ किराया है उससे पहले के किराया का निश्चय उस समय किया गया था जबकि अधिकांश गाड़ियां पेट्रोल से चलती थीं और आज जबकि अधिकांश गाड़ियां डिजेल आयल से चलती हैं जिसमें कि कम खर्चा होता है, तो ऐसी स्थिति में किराया घटाने की बात सरकार सोचेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि पहले पेट्रोल से गाड़ियां चलती थीं। परन्तु यह सूचना जो इस में दी गई है यह जून, ६३ में जो किराया बढ़ाया गया है उसके सम्बन्ध में है। जून सन् १९६३ से पहले भी डिजेल से गाड़ियां चलती थीं।

राप्ती नदी को सीधा करने का सुझाव

*२—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर के दक्खिन राप्ती नदी को सीधा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या है और उस पर क्या व्यय होगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि विभागीय अधिकारियों ने इस तरह की कोई योजना सरकार के पास भेजी थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

विभागीय लोगों ने तो मुझे उत्तर लिख कर भेजा है कि कोई योजना नहीं है।

श्री कल्पनार्थासिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन विभागीय अधिकारियों में से कौन-कौन से हैं जिन्होंने इस उत्तर का समर्थन किया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

चीफ इंजीनियर के यहां से हमारे यहां सूचना आई है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राप्ती नदी मझौली के पास अंग्रेजी का "एस" अक्षर जैसा आकार बनाती है तो उसे सीधा करने में मंत्री जी को क्या एतराज है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कोई ऐसी योजना नहीं है, यही उत्तर है। एतराज का सवाल नहीं है।

आगरा व कानपुर क्षेत्र की रोडवेज बस

*३—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो आगरा क्षेत्र में लोकल गाड़ियां सरकारी रोडवेज की हैं, उनमें लोअर क्लास ही हैं लेकिन कानपुर क्षेत्र में जो लोकल गाड़ियां चलती हैं उनमें ऐसा नहीं है ? इसका क्या कारण है ?

श्री हरीवत्त काण्डपाल—

आगरा क्षेत्र में केवल उन्हीं मार्गों की लोकल गाड़ियों में सिर्फ लोअर क्लास है जिन पर अपर क्लास के यात्री साधारण रूप में नहीं मिलते परन्तु कानपुर क्षेत्र में सभी लोकल गाड़ियों के मार्गों पर दोनों क्लास के यात्री मिलते हैं।

जूट कमेटी रिपोर्ट

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा बनायी गयी जूट कमेटी की रिपोर्ट उन्हें एक मास पहले प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, प्रतिलिपि †संलग्न है।

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूट कमेटी ने जूट की उन्नति, खपत तथा उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिये कौन-कौन से सुझाव दिये हैं और सरकार द्वारा उन सुझावों पर कब तक कार्रवाई होगी ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री बल्देवसिंह आर्य--

जूट समिति के प्रतिवेदन के नवें अध्याय में सुझाव दिये गये हैं। इन पर विचार हो रहा है। प्रमुख सुझावों का संक्षिप्त विवरण संलग्न तालिका में है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १४१६-१४१७ पर)

*६--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूट विभाग में काम करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी कितनी तादाद में हैं ? कितने स्थायी एवं अस्थायी हैं तथा वार्षिक उन पर कितना रुपया व्यय होता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जूट अनुभाग में कुल ३८४ अधिकारी एवं कर्मचारी इस समय कार्य कर रहे हैं, जिनमें से ३३६ स्थायी पद पर कार्य कर रहे हैं और शेष ४८ अस्थायी हैं। इन पर इस समय वार्षिक व्यय लगभग ४,७०,३०० रुपया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

यह रिपोर्ट मंत्री जी को कब प्राप्त हुई और जो प्रमुख-प्रमुख सुझाव हैं वह कब तक कार्यान्वित हो सकेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

यह रिपोर्ट लगभग एक मास पूर्व सरकार को प्राप्त हुई और उस पर विचार हो रहा है। तिथि का बतलाना कठिन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

जो ४८ पद अस्थायी हैं उन पर कार्य करने वाले कब से कार्य कर रहे हैं और अब तक पद स्थायी न करने का कारण क्या है ?

श्री बल्देवसिंह आर्य--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामायणराय--

जूट उत्पादकों, कच्चा माल पैदा करने वालों को यहां बंगाल के उत्पादकों की अपेक्षा बहुत कम पैसा मिलता है, उसके मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या मंत्री जी कोई उचित व्यवस्था करने जा रहे हैं कि उनको उचित मूल्य मिल सके ?

कृषि मंत्री (श्री चरण सिंह)--

इस कमेटी की नियुक्ति इस खयाल से की गई थी कि जूट का उत्पादन फी एकड़ कैसे बढ़ाया जा सके, उसकी क्वालिटी में किस तरह से सुधार हो सके और मार्केटिंग का जो सिस्टम आज है वह कैसे बेहतर बनाया जा सके और इसी तरह की एक दो उनकी टर्म्स आफ रेफरेंस बनी थीं। इसी सिलसिले में उसकी रिकमेंडेशन आयीं और २२ अगस्त को इस पर कुछ विचार हो चुका है, लेकिन जो विचार हुआ है उससे स्वयं मैं संतुष्ट नहीं हूं कि उससे कोई उन्नति या उचित लाभ हो सकेगा।

श्री रामायणराय--

जूट उत्पादकों की ओर से यह मांग बराबर की जा रही है कि उनको उचित मूल्य मिल सके, तो इसके लिये आवश्यक धंधे या इंडस्ट्री ऐसे क्षत्रों में प्रारम्भ किया जाय जहां जूट का उत्पादन हो रहा है, इस पर सरकार ने विचार किया है ?

श्री चरणसिंह—

हमारे यहां तीन कारखाने ऐसे हैं जो जूट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और छोटी-मोटी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जहां जूट इस्तेमाल होता हो, लेकिन मुझे उसकी जानकारी नहीं है। अगर माननीय सदस्य लिख कर मुझे कोई सुझाव देंगे तो मैं उसको देख लूंगा।

श्री ऊदल—

बहराइच में जो सैकड़ों एकड़ का घाघरा फार्म है जो घाटे पर चल रहा है, क्या उसके सम्बन्ध में भी उस कमेटी ने कोई राय दी है ?

श्री चरणसिंह—

इस सिलसिले में भी कुछ राय दी है।

मैनपुरी जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*७—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में ऐसे राजनीतिक पीड़ित कितने हैं जो कि २० रु० माहवार पेंशन पा रहे हैं और ऐसे कितने हैं, जो २० रु० माहवार से अधिक पेन्शन पा रहे हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मैनपुरी जिले में ५६ व्यक्तियों को २० रुपया माहवार और २८ व्यक्तियों को २० रुपया माहवार से अधिक राजनैतिक पेन्शन मिलती है।

श्री गणेशचन्द्र काछी —

जिन २८ व्यक्तियों को २० रुपया माहवार से अधिक पेन्शन दी जाती है उनमें क्या खास बात पायी गयी और उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, उनके नाम और पते बताने में तो काफी समय लगेगा। मेरे पास उसकी लिस्ट है, माननीय सदस्य देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राजनैतिक पेन्शन को स्वीकार करते कई बातों पर विचार किया जाता है जैसे उनकी आयु, उनका स्वास्थ्य, उनकी मासिक आय, उनके आश्रितों की संख्या, आदि, पर विचार करके उसको स्वीकार किया जाता है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुये तथा यह देखते हुये कि जो सरकारी कर्मचारी ५० रुपये माहवार पेन्शन पा रहे थे उनकी पेन्शन में ५ रुपये की वृद्धि कर दी गयी है ? क्या सरकार इन लोगों की पेन्शन में भी कुछ बढोत्तरी करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

अभी तक बड़ी तादाद में जो दरख्वास्तें आयी हैं उन्हीं को पेन्शन नहीं मिल पायी है यह तो माली सवाल है। जब उन लोगों को पहले मिल जायें तो इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

किसी को ४० रुपये तो किसी को २० रुपये पेन्शन मिलती है और इनमें काफी फर्क है। इसको देखते हुये क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि सब को एक बराबर पेन्शन दी जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह मुमकिन नहीं होगा ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

क्या सरकार सारे प्रदेश में इस बात का कोई सर्वे करायेगी और पता लगायेगी कि कितने लोग ऐसे हैं जो जेल नहीं गये ह और पेन्शन पा रहे हैं ? श्रीमन्, ऐसे लोग पेन्शन पा रहे हैं जो जेल नहीं गये हैं ।

श्री मुजफ्फर हसन —

सर्वे की बात नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य कोई केस मेरी नोटिस में ऐसा लायेंगे तो मैं उसकी पेन्शन बन्द कर दूंगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट —

यह पेन्शन क्या किसी विशेष गुट के लोगों को दी जा रही है, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

ऐसा नहीं है । जिसने राजनैतिक सेवा की है वह पाने का अधिकारी है ।

श्री चन्द्रबली सिंह—

जिन लोगों ने अपने प्रार्थना-पत्र पेन्शन पाने के लिये दिये और जो खारिज कर दिये गये, क्या सरकार फिर से उन पर विचार करेगी अगर उनको दोबारा दिया जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जो भी दरख्वास्त आती है उस पर विचार किया जाता है, भले ही वह पहले खारिज हो चुकी हो । अगर उसमें माकूल बात कोई होती है तो अवश्य विचार किया जाता है ।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को पेन्शन दी हुई है उनमें भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों का प्रतिशत क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को माली इमदाद दी जाती है, पेन्शन नहीं दी जाती ।

तिलहर तहसील में सिंचाई-कर की वसूली पर आपत्ति

*८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर, के तालिबीपुर, दिउरिया, रज्जाकपुर, धरहर, राजनपुर आदि कई ग्रामों की १३६२ फसली की आबपाशी तहसीलदार द्वारा अब ८ वर्ष बाद दोबारा वसूल की जा रही है जो लगभग ढाई लाख रुपये होगी ? यदि हां, तो इतने वर्षों बाद दोबारा वसूल किये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

जी नहीं । दोबारा वसूलयाबी नहीं हो रही है । केवल बकाये का ५०,००० रुपया वसूल किया जा रहा है ।

*९—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त वर्ष की नहरी आबपाशी के शुल्क की उपरोक्त ग्रामों की खतौनियों सम्बन्धित अमीनों, नायब तहसीलदारों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा खोयी हुई बतायी गई है ? यदि हां, तो क्या इसकी कोई रिपोर्ट पुलिस में की गयी थी और अब दोबारा वसूलयाबी करते समय वासिल बाकी नवीस के रजिस्टर व खजाने के उस समय के प्राप्त रजिस्टरों से सहायता ले ली गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां। मामले की कोई रिपोर्ट पुलिस में नहीं कराई गई। हाकिम परगना की जांच के फलस्वरूप ज्ञात हुआ कि तहसील के सम्बन्धित कर्मचारी की लापरवाही से जमाबन्दियां दीमक के खा जाने से नष्ट हो गई। जमाबन्दियां पुनः बनाई गई हैं। समय के अभाव के कारण तहसील के रिकार्ड से इन जमाबन्दियों का मिलान नहीं किया जा सका। यह हिदायत दे दी गई है कि यदि काश्तकार पुरानी रसीद प्रस्तुत करें तो उसको नोट कर लिया जावे और उससे वसूली न की जावे।

*१०—श्री हरीशकुमार गंगवार —

यह देखते हुये कि कर्मचारियों द्वारा लापरवाही से कागजात को खो देने से बहुत समय पश्चात् रुपया वसूल करने के कारण जनता में बड़ा असंतोष उत्पन्न हो गया है इस घटना की पूर्ण जांच हो कर आने तक क्या सरकार इस रुपये की वसूलयाबी रोक देने की आज्ञा जारी करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस सम्बन्ध में अभी तक केवल एक रिपोर्ट आई है और उसकी जांच की जा रही है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह बकाया किस वर्ष की है और तब से अब तक वसूलयाबी क्यों नहीं हुई है जबकि साधारणतया वसूलयाबी एक वर्ष के अन्दर हो जाती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बकाया १९५७ का है। यह सचमुच दुख की बात है कि शुरू के सालों में यह रुपया वसूल नहीं हुआ। इसका कारण, जैसा कि मैंने बताया, यह था कि वहां के तहसीलदार साहब ने यह रिपोर्ट की कि जमाबंदियां जो तहसीलों में थीं उनको दीमक खा गयी थी इसलिये यह वसूलयाबी नहीं हो सकी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह उन्हें कब ज्ञात हुआ कि रिकार्ड दीमक खा गयी तथा यह रिकार्ड कितने गांवों का था जो दीमक खा गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जून ५७ में यह रिपोर्ट हुई कि ५५७ जमाबंदियां नहीं मिल रही हैं। ४० जमाबंदियां पहले नयी बनायी गयीं तथा बाद में १६० मिल गयीं। इस प्रकार से २०० जमाबंदियां पूरी हो गयी थीं। बाद में २७७ जमाबंदियां और बना ली गयीं।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि यह जो सन् ५७ की वसूली बकाया बतायी जाती है, तो क्या माननीय मंत्री जी उस सन की रसीदों को मंगा कर फिर से उनकी जांच करायेंगे क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किसानों के पास रसीदें नहीं रहतीं ? इसलिये सरकारी रसीदें निकलवा कर देख ली जायं और उसके बाद वसूलयाबी की जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यही नहीं, हमने तो यह किया है कि अगर कोई किसान रसीद न दिखा सके और कहे कि उसने दे दिया है तो उसको नोट कर लिया जाय। तब फिर हम अपना रिकार्ड देखेंगे और अगर हमारे रिकार्ड में जमा होगा तो उससे नहीं लेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्रीजी मेरी सूचना को सही मानकर कि उस रिकार्ड को दीमकों ने नहीं खाया लेकिन जानबूझकर अमीनों द्वारा उसको गायब कर दिया गया था और नायब तहसीलदार ने उनको बैक किया, तो क्या सरकार अच्छी प्रकार इस संबंध में जांच का आदेश देगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऐसी सचना तो नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो जांच करा ली जायगी।

*११—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[हटा दिया गया।]

छितौनी बांध

*१२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के "छितौनी बांध" के इस बाढ़ में क्या स्थिति है तथा वह कितनी जगह पर छोटी गन्डक में बाढ़ के कारण टूट गया ? उसके टूटने का क्या और कोई भी कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह सूचना कब तक एकत्रित की जायगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

असल में हमारे पास जो सूचना बांध टूटने के बारे में आयी थी वह पूरी नहीं थी। उससे मैं सेटिसफाइड नहीं था क्योंकि उसमें बताया था कि एक जगह टूट गया ह। इसलिये दोबारा सूचना मंगाई गयी है। आने पर उसकी जानकारी दे दी जायगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, इस सवाल को दूसरे दिन के लिये रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह तो रहेगा ही।

नोट :—तारांकित प्रश्न १२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

मोटर ट्रान्सपोर्ट सहकारी समितियां

*१३—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत २ वर्षों में प्रान्त में कितनी मोटर ट्रांसपोर्ट सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हुयी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

*१४—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परमिट देते समय क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी को प्राथमिकता देत हैं? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर गत २ वर्षों में ट्रांसपोर्ट सहकारी समितियों को परमिट दिये गये हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

देवरिया जिले में गंडक नहर की जमीन का मुआवजा

*१५—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले की गंडक नहर में पड़ने वाली भूमि के किसानों को इसी भाव से मुआवजा तय करने का विचार है जिस प्रकार गोरखपुर में सरदार सुरेन्द्र सिंह मजीठिया की भूमि का मुआवजा दिया गया है या उससे कम ? यदि कम देने का इरादा है, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

चूंकि श्री मजीठिया की ली जाने वाली भूमि का मुआविजा अभी निश्चित नहीं हुआ है, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि देवरिया जिले में गन्डक नहर के लिये ली जाने वाली भूमि का मुआवजा उससे कम होगा या अधिक ।

गंडक नहर की जमीन का मुआवजा

*१६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गंडक नहर योजना हेतु गोरखपुर और देवरिया जिला में मुख्य नहर एवं बम्बों एवं रजबहों हेतु किन-किन गांवों की कितनी-कितनी जमीनें ली जा रही हैं ? क्या इस नहर में जमीन लेने से कुछ लोग बिला खेती के हो जा रहे हैं ? यदि हां,तो दोनों जिलों में प्रति गांव की ऐसी लिस्ट दी जाय ? इनके पुनर्वास के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल —

वांछित सूचना के एकत्रित करने में जो समय और धन लगेगा वह सूचना से होने वाले लाभ की तुलना में कहीं अधिक होगा, अतः यह सब विवरण देना व्यवहार्य नहीं है ।

लोगों के बिला खेत हो जाने की सूचना उपलब्ध नहीं है और इसकी भी विस्तृत सूचना का एकत्रित किया जाना व्यवहार्य नहीं है ।

पुनर्वास के लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है ।

*१७--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त जिलों में गंडक नहर में ली गयी जमीन के मुआवजे के लिये तथा अन्य सुविधाओं और शिकायतों हेतु जब से यह योजना चालू है तब से आज तक कितनी दरख्वास्तें किन-किन लोगों द्वारा दी गयी हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गिरधारीलाल--

१९ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। इन पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१८--श्री चन्द्रबलीसिंह --

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त जिलों में गंडक नहर में ली जाने वाली जमीन के लिये कुछ लोगों ने अदालती कार्यवाही भी की है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से लोग हैं ? और क्या जब तक नहर का मुकदमा रहेगा, तब तक वहां पर नहर की खुदाई रुकी रहेगी ?

श्री गिरधारीलाल --

इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

अगर मुकदमे हैं तो उनके फैसले के अनुसार और उच्च अधिकारियों की आज्ञानुसार नहर की खुदाई का कार्य किया जायगा।

आजमगढ़ जिले में बाढ़ योजना

*१९--श्री उमाशंकर--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपा करके बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में बाढ़ तथा कटाव से बचाने के लिये एक वर्ष में सरकार ने कितना धन खर्च किया है ?

*२०--क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में प्रसिद्ध गांगेपुर तथा घोसी तहसील में रामपुर धनौली ग्राम में घाघरा नदी के कटाव से बचाव के लिये कितना धन खर्च करने की व्यवस्था की गयी है और कटाव को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल --

सूचना एकत्रित की जा रही है।

ग्राम चुनाव में अध्यापकों व पंचायत मंत्रियों का भत्ता

*२१--श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६२ के ग्राम चुनाव में कार्य करने वाले सभी अध्यापकों तथा पंचायत मन्त्रियों को चुनाव अवधि का मार्ग व्यय तथा दैनिक भत्ता दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सबको मार्ग व्यय तथा दैनिक भत्ता देने पर विचार करेगी ?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)--

जी हां, उन समस्त अध्यापकों तथा पंचायत मन्त्रियों को यात्रा तथा दैनिक भत्ता दिया जायगा जो नियमानुसार इसके भागी होंगे।

अधिकांश कर्मचारियों के भत्तों का भुगतान हो गया है तथा शेष कर्मचारियों को भी इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान कर दिया जावेगा।

बांदा ब्रांच नहर से धान को क्षति पहुंचने की शिकायत

*२२—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा, परगना नरैनी के ग्राम बड़ोखर के पूर्वी भाग में नहरी पानी के दबाव के कारण पानी भर जाने से किसानों का बहुत सा रकबा धान का सड़ जाता है और वहां न कोई साइफन है और न नहर विभाग ने पानी निकालने की कोई अन्य व्यवस्था ही की? क्या सरकार कोई उचित व्यवस्था करने को तैयार है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल —

प्रथम भाग—जी नहीं, नहर का पानी नहीं भरता और न इस कारण धान की फसल ही सड़ती है।

द्वितीय भाग—कोई व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता।

तृतीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*२३—श्री मतोलासिंह —

क्या बांदा ब्रांच नहर के तेदवारी रजबहा व खेरवा माइनर के ग्राम ऐला व भुगस तथा दुर्गा परगना नरनी में नहरी पानी के दबाब से एक टापू ब न कर सभी यातायात ठप हो जाते हैं वहां भी कोई साइफन नहीं है और धान की पैदावार को विशेष क्षति पहुंचती है? क्या सरकार इस क्षतिपूर्ण तथा किसानों को राहत पहुंचाने को सोचती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल —

प्रथम भाग—जी नहीं, नहरी पानी नहीं भरता और न इस कारण यातायात ठप होता है।

द्वितीय भाग—क्षति पूर्ण करने का प्रश्न नहीं उठता।

*२४—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि केन कैनाल की पनगरा कोठी से सटा हुआ ग्राम पनगरा का तकरीबन १०० एकड़ धान के रकबे में पानी दो-दो फीट के करीब भर जाता है और धान सड़कर किसानों को क्षति पहुंचती है? क्या सरकार इस क्षति की पूर्ति के वास्ते पानी निकालने का कोई उचित प्रबन्ध करने को तैयार है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल —

ग्राम पनगरा में नहर का पानी नहीं भरता और न इस कारण धान की फसल को क्षति पहुंचती है?

रामनगर कृषि फार्म, बाराबंकी का आय-व्यय

*२५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कृषि कार्यालय में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें एक स्थान पर कार्य करते तीन वर्ष हो चुके हैं?

श्री चरणसिंह —

प्रश्नकर्त्ता का तात्पर्य सम्भवत: जिला कृषि अधिकारी के मुख्यालय से है। इस कार्यालय में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है।

*२६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी —

क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह —

प्रश्न नहीं उठता।

*२७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामनगर कृषि फार्म बाराबंकी पर विगत ५ वर्षों से प्रतिवर्ष कितना व्यय हुआ और कितनी आय हुई ?

श्री चरणसिंह —

रामनगर कृषि फार्म, बाराबंकी का पिछले पांच वर्षों की आय-व्यय का विवरण निम्नलिखित है :

वर्ष	आय	व्यय
	रु०	रु०
१९५८–५९	३५,३६९	२९,०३८
१९५९–६०	३८,९८१	३३,२९०
१९६०–६१	७८,६२०	६५,७०५
१९६१–६२	५९,३०९	५९,२९०
१९६२–६३	४३,३६७	४०,५५७

फर्रुखाबाद जिले में नलकूप

*२८—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद) —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने और कहां-कहां नलकूप बनाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल —

फर्रुखाबाद जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में २५ नलकूप बनाने थे। यह सभी नलकूप संलग्न सूची में दिये स्थान पर खोदे जा चुके हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १४१८ पर)

राप्ती पर डुमरियागंज-सहजनवा बांध योजना

*२९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोई योजना बस्ती तथा गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के किनारे बांध बनाने की बनायी है ? यदि हां, तो उस योजना की क्या रूपरेखा है तथा उसका प्राक्कलन क्या होगा और इस योजना से बस्ती तथा गोरखपुर जिले के राप्ती नदी के दाहिने तथा बायें कितने मील बांध बनेगा ?

श्री गिरधारीलाल —

जी हां, बस्ती तथा गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के दाहिने किनारे पर डुमरियागंज से सहजनवा तक बांध बनाने की योजना बनाई गई है। इस बांध की लम्बाई ५९ मील ६ फर्लांग होगी जिस में ४४ मील गोरखपुर में और १५ मील ६ फर्लांग बस्ती जिले में पड़ेगी। इस योजना के कार्यान्वित हो जाने पर ६९,१०० एकड़ क्षेत्र के लाभान्वित होने का अनुमान है। यह योजना ३१.७० लाख रुपये की अनुमानित लागत पर राज्य बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत हो चुकी है और इस को Rural man power utilization scheme की धनराशि से कार्यान्वित किया जायगा। नदी के बाएं किनारे के लिये अभी तक कोई योजना अन्तिम रूप से नहीं बनी है।

मेरठ क्षेत्र में बसें चलाने के लिए प्रार्थना-पत्र

*३०—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ ट्रांसपोर्ट रीजन में ऐसे कितने स्टेज कैरीज रूट्स हैं जिन पर सन् १९५७ से अब तक गाड़ियों की जगह खाली ह ? यदि हां, तो उनके क्या-क्या नाम हैं और हर रूट पर कितनी गाड़ियों की जगह खाली है ?

श्री मुजफ्फर हसन —

ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जिसमें कि सन् १९५७ से अब तक जगह खाली हो। केवल ८ मार्गों पर सन् १९५९ से जगहें खाली हैं। इनके अलावा सन् १९६२ से अबतक १९ अन्य मार्गों पर भी जगहें खाली हैं ?

*३१—श्री अहमद बख्श —

क्या इन जगहों पर पूर्ति करने के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन तारीखों में मांगें गये ?

श्री मुजफ्फर हसन —

जी हां। सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १४१९ पर।)

*३२—श्री अहमद बख्श—

क्या परिवहन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस विषय में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय करने में सन् १९५७ से अब तक की असाधारण देर लगने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन —

१९५७ से देरी का प्रश्न नहीं उठता। १९५९ से फैसले न होने का मुख्य कारण हाई कोर्ट व एस० टी० ए० के स्टे या रिमान्ड आर्डर आदि हैं।

सहारनपुर जिले में नियोजन विभाग तथा हार्टीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के विरुद्ध जांच

*३३—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर गवर्नमेंट गार्डन के अधिकारियों के विरुद्ध सरकार के पास १९६२ के अन्त के तीन महीनों के भ्रष्टाचार की शिकायतें आयी थीं? यदि हां, तो वह क्या थीं और उन पर कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह—

जी हां। निदेशक हार्टीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सहारनपुर का स्थानान्तरण उप-निदेशक, उद्यान के पद पर इलाहाबाद कर दिया गया है और साथ ही साथ निदेशक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सहारनपुर के कार्यालय का विभागीय आडिट भी कराया गया है। आडिट के फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही भूतपूर्व निदेशक के विरुद्ध आरम्भ कर दी गई है। चूंकि विभागीय जांच अभी जारी है अतएव शिकायतों का विवरण अभी गोपनीय है।

*३४—श्री ब्रह्मदत्त मायर —

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास कृषि औजारों को किसानों द्वारा खरीद में दी जानी वाली छूट (Subsidy) में सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने की शिकायतें गत एक साल में आयी हैं? यदि हां, तो सरकार उस भ्रष्टाचार को रोकने का क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्री चरणसिंह—

गत एक साल में कृषि विभाग में कोई शिकायत नहीं आई है। सबसिडी १९६२-६३ में दी गई थी परन्तु १९६३-६४ से बिलकुल बन्द है।

नियोजन विभाग भी ब्लाक बजट से सबसिडी देता है। ज्ञात हुआ है कि उस विभाग में कुछ शिकायत आई है जिस की जांच हो रही है। उस विभाग में भी सबसिडी बन्द करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

श्री मोहम्मद फखरुद्दीन सिद्दीकी, वेटरिनरी आफिसर, वाराणसी के विरुद्ध शिकायत

*३५—श्री ऊदल —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २१ अगस्त, १९६३ को डिप्टी डाइरेक्टर एनिमल हस्बैन्डरी, उत्तर प्रदेश को तथा १६ जुलाई, १९६३ को स्वास्थ्य मन्त्री के नाम प्रार्थना-पत्र अब्दुल रसीद सराय गोबर्धन, वाराणसी का वेटिरिनरी आफिसर मोहम्मद फखरुद्दीन के खिलाफ भेजा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? क्या ये १६ वर्ष से एक ही स्थान पर वाराणसी नगर महापालिका में सरकार की तरफ से कार्य कर रहे हैं?

श्री चरणसिंह —

श्री मोहम्मद फखरुद्दीन सिद्दीकी, वेटिरिनरी आफीसर, वाराणसी के विरुद्ध श्री अब्दुल रसीद का उप निदेशक, पशु पालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक १७ अगस्त, १९६३ प्राप्त हुआ है। श्री सिद्दीकी वाराणसी में पशु-चिकित्सक के पद पर २९ सितम्बर, १९४७ से कार्य कर रहे थे तथा १ जनवरी, १९६० से इनकी प्रतिनियुक्ति नगर महापालिका, वाराणसी में की गयी। उक्त अधिकारी को वाराणसी से स्थानान्तरित करने का निश्चय किया गया है तथा इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कासगंज तहसील में पानी निकासी योजना

*३६—श्री राजेन्द्रसिंह —

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायग कि ग्राम सिरौरी, तहसील कासगंज, जिला एटा में प्रतिवर्ष वर्षा का इतना पानी खेतों में भर जाता है कि गांव की फसल नष्ट हो जाती है? यदि हां, तो क्या उस पानी को निकालने के लिये किसी नाले के निर्माण पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक उसके बन जाने की आशा है?

श्री गिरधारीलाल —

प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—सम्बन्धित ग्राम सभाओं ने इस पानी निकालने के लिये एक नाला बनाने की योजना बनाई है। किन्तु कुछ ग्रामीणों को इस नाले के निकालने में आपत्ति है। इस सम्बन्ध में समझौता हो जाने के पश्चात् ही इस नाले का निर्मा ण सम्भव हो सकेगा।

रोडवेज एम्प्लाईज यूनियन, वाराणसी की मांगें

*३७—श्री ऊदल —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश रोडवेज इम्प्लाईज यूनियन, वाराणसी के मन्त्री ने एक स्मृति-पत्र कुछ मांगों के सम्बन्ध में पत्र संख्या रो० इ० ५०/वा—५/३९-६३, दिनांक १५ जुलाई, १९६३ को उप परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजा है और उसकी प्रतियां, परिवहन मन्त्री, जनरल मैनेजर, इलाहाबाद तथा ए० जी० एम०, वाराणसी को दी है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उस स्मृति-पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन —

जी हां। परिवहन आयुक्त की रिपोर्ट शासन को हाल ही में प्राप्त हुई है जो विचाराधीन है। स्मृति-पत्र की एक †प्रति संलग्न है।

जेवर ब्लाक बुलन्दशहर में तकावी, खाद, बीज संबंधी जांच

*३८—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जेवर ब्लाक, जिला बुलन्दशहर में बीज, खाद तथा कृषि के औजारों की अनुमानित ३०,००० रु० (तीस हजार रुपया) की तकावी में झूठे जाली हस्ताक्षर तथा अंगूठे लगे हुये हैं, ब्लाक के किसान परेशान हैं, उन्होंने कोई तकावी नहीं ली है? इसमें श्री एन० के० शर्मा, ऐग्रीकल्चर, सुपरवाइजर मोअत्तिल हैं, उनके खिलाफ इन केसों को पुलिस द्वारा जांच कराने का सरकार कब तक आदेश करेगी ?

श्री चरणसिंह —

प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि किस विशेष वर्ष में बांटी गयी तकावी का जिक्र है, किन्तु सन् १९५७-५८ में जेवर ब्लाक से ३०,४६३ रु० २५ नये पैसे की तकावी नियोजन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कृषि यन्त्र आदि के लिये नकद तथा कृषि यन्त्रों के रूप में बांटी गई। वसूली के समय लगभग १३९ किसानों ने शिकायत की। किसी की शिकायत यन्त्र आदि न मिलने की है और किसी की दर्ज संख्या से कम मिलने की। इस मामले में जांच होने पर १४,५७५ रु० की वसूली के लिये शिकायतें आई थीं, स्थगित कर दी गई हैं। अब आगे आवश्यक जांच हो रही है।

श्री एन० के० शर्मा का सम्बन्ध इस तकावी वितरण से नहीं है। यह जेवर बीज भंडार के इन्चार्ज थे। इनके द्वारा जो बीज तथा खाद आदि वितरित की गई उसमें गड़बड़ी पाये जाने पर उनको निलम्बित कर दिया गया है। विभागीय जांच हो रही है।

गोंडा जिले में कृषि उत्पादन

*३९—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में सन् १९६२ से लेकर जुलाई ३१, १९६३ तक कितना धन कृषि उत्पादन बढ़ाने में खर्चा हुआ ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री चरणसिंह —

कृषि उत्पादन एक विस्तृत विषय है जिसको बढ़ाने में कई विभागों का योग रहता है। उन सबसे सूचना एकत्रित की जा रही है।

*४०—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में कितने कर्मचारी गोंडा जिले में कार्य पर लगे हैं, उनके पद क्या-क्या हैं और उनमें हरिजन कितने हैं और किस पद पर ?

श्री चरणसिंह—

इस संदर्भ में प्रश्न ३९ का उत्तर देख लिया जाय।

बरेली क्षेत्र में असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर की नियुक्तियां

*४१—श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बरेली रीजन में ३० अप्रैल, १९६३ और १ मई, १९६३ को हुये असिस्टेन्ट ट्रैफिक इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में कितने व्यक्तियों को छांटा गया ? और क्या उनमें से अभी तक एक भी नियुक्ति नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों और ये नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सीधी भर्ती के लिये २८ अनुमानित रिक्त पदों पर नियुक्ति क लिय ५० उम्मीद वारों की एक प्रतीक्षा सूची बनाई गई थी जिसमें से ६ की नियुक्ति हो गई है। शेष नियुक्तियां जैसे स्थान रिक्त होंगे की जावेंगी। निश्चित समय बताना संभव नहीं है।

पूर्वी जिलों में अस्थायी नलकूप आपरेटर

*४२—श्री उमाशंकर—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर के पूर्वीय जिलों में कितने नलकूप आपरेटर ऐसे हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से ही काम कर रहे हैं और अब तक स्थायी नहीं हुये तथा कितने स्थायी हैं, क्या मन्त्री जी कृपया यह बतायेंगे कि उनके स्थायी न होने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर के पूर्वीय जिलों म ३०३ नलकूप आपरेटर ऐसे हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से कार्य कर रहे हैं। इनमें से २१० अस्थायी तथा ९३ स्थायी हैं। इन अस्थायी आपरेटरों में से १९७ के स्थायी न होने के कारण पर्याप्त संख्या में स्थायी पदों का न होना है। शेष १३ को इसलिये स्थायी नहीं किया गया, क्योंकि उनकी चरित्र पंजिका असंतोषप्रद है।

मथुरा जिले में नहरें

*४३—श्री लखीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में छाता तहसील में जो १९ नहरी माइनरों के बनाने का प्रस्ताव है उनमें से कौन-कौन सी माइनर की खुदाई शुरू हुई और कितनी माइनरों का सर्वेक्षण हो चुका है ?

श्री गिरधारीलाल—

रजबहा गढ़ी तथा अगराला माइनर को बढ़ाने का कार्य आरम्भ हो चुका है तथा चार माइनरों का सर्वेक्षण हो चुका है।

*४४—श्री लखीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त माइनरों को खुदवाने में तथा पुल बनवाने में सरकार का कितना रुपया व्यय होगा और माइनर चदौरी में कितने कुलाबे कहां-कहां लगे हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

माइनरों तथा पुलों को बनवाने में ७.०७ लाख रुपया व्यय होगा। चन्दौरी माइनर लगे हुये कुलाबों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १४२० पर।)

फतेहपुर जिले में गंगा नहर का कुलाबा हटाने की प्रार्थना

*४५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर डिवीजन क नहर गंगा क जोनिहा रजबहा के कुलाबा नम्बर १३ व १६ के बीच में मंजूर फसली कुलाबा की जगह मुस्तकिल कुलाबा लगाने हेतु श्री कमरूलहुदा, प्रधान बेहटा आदि ने सरकार व एक्जिक्यूटिव इंजीनियर, नहर गंग फतेहपुर डिवीजन की सेवा में दिनांक ५ मार्च, १९६१ व २८ अक्तूबर, १९६१ और १४ फरवरी, १९६२ को प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो अब तक नम्बर १६ कुलाबा हटा कर उपयुक्त स्थान पर न लगाने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। १६ नम्बर के कुलाबा न हटाने का कारण यह है कि कुछ किसानों ने हटाने का विरोध किया। इसके अलावा कुलाबे की स्थिति वाटर शेड पर है और प्रस्तावित सिंचन से अधिक सींच की जा रही है।

*४६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जब चकबन्दी अधिकारीगण व बी०डी० ओ० आदि ने उक्त कुलाबा लगाने की सिफारिश की है और ९० प्रतिशत किसानों ने समर्थन किया है तब इक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा दिनांक २५ मई, १९६३ को उसको नामंजूर करने का क्या आधार है ?

श्री गिरधारीलाल—

माइनर में पानी की कमी के कारण कुलाबे का स्थायी किया जाना संभव नहीं है।

*४७—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

[२१ अक्तूबर, १९६३ के प्रश्न ४३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

बदायूं जिले में गंगा बांध टूटना

*४८—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले में गंगा नदी पर बना हुआ बांध इस वर्षाकाल में टूट गया और परिणाम स्वरूप पचासों ग्रामों में पानी भर गया है ? यदि हां, तो उस से कितनी हानि हुई ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। इस बांध के कटाव के कारण बदायूं तथा शाहजहांपुर जिलों में क्रमशः २७,९६६ और २७,२०० एकड़ भूमि में खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचा तथा ३९८ और ४१५ कच्चे मकानों की क्षति हुई। दोनों जिलों को मिलाकर हानि की अनुमानित लागत लगभग ४६,११,५०० रु० होगी।

*४९—श्री जगन्नाथ राव—

क्या यह सत्य है कि उक्त बांध के कमजोर होने की सूचना सरकार को पहले ही से थी और सरकार द्वारा मरम्मत के आदेश दिये गये थे, फिर भी समय पर उसकी मरम्मत नहीं हो सकी ? यदि हां, तो इस हानि के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गिरधारीलाल—

बांध की मरम्मत इस साल मानसून के पहले ही कर दी गई थी परन्तु गंगा नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आने के साथ-साथ उसकी धारा भी बांध की ओर टकराने लगी। विभाग और जिले के समस्त कर्मचारियों के पूरी कोशिश करने पर भी कटाव को न रोका जा सका, अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट एकाउन्ट आफिसर्स का चुनाव

*५०—काजी जलील अब्बासी तथा श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

क्या यह सत्य है कि १९६३ के शुरू में या इसके लगभग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ आदमी असिस्टेन्ट एकाउन्ट आफिसर्स की जगह के लिये चुनाव करने को लोक सेवा आयोग से कहा था ? क्या पब्लिक सर्विस कमीशन ने चुनाव कर लिये और उनके नाम भेज दिये ? यदि हां, तो कब ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग को जून, १९६१ में लिखा गया था, उनकी सिफारिश मार्च, १९६३ में आयी है।

*५१—काजी जलील अब्बासी तथा श्री रणबहादुरसिंह—

यदि पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह नाम भेज दिये तो उनकी नियुक्तियां अब तक हुईं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? और यदि ये जगहें खाली हैं तो इन पर कौन लोग काम कर रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं। चुने हुये लोगों का अभी कैरेक्टर वेरीफिकेशन और मेडिकल इक्जामिनेशन हो रहा है। काम चलाने के लिये खाली जगहों पर विभाग से नियुक्तियां कर दी गई हैं।

*५२—श्री सूरजपालसिंह यादव (जिला बदायूं)—

[४थे मंगलवार के लिये प्रश्न ३० के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

*५३–५५—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

[४थे मंगलवार के लिये प्रश्न २७–२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५६—कुंवर श्रीपालसिंह—

[४थे मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५७—श्री लखपतराम शर्मा—

[४थे मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

पंवरा बस दुर्घटना

*५८—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २७ जुलाई, सन् १९६३ को प्रातः लगभग ९ बजे पंवरा, जिला जौनपुर के पास घटित बस दुर्घटना से कितने लोग घायल हुये हैं और कितनों की मृत्यु हुई है तथा दुर्घटना का क्या कारण था ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस दुर्घटना में ७ आदमी घायल हुये । किसी की मृत्यु नहीं हुयी । दुर्घटना के कारण मालूम करने के लिये मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है ।

वाराणसी के मैजिस्ट्रेटों के खिलाफ शिकायत

*५९—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी के अन्तर्गत मैजिस्ट्रेटों के इजलासों में पेशकार, क्लर्क, एवं अहलमद मुकदमों को सुनते हैं और बयान लिखते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

जी नहीं, ऐसी बात नहीं है । कभी-कभी मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पेशकार और अहलमद उनके डिक्टेशन पर बयान लिखते हैं ।

*६०—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि वहां के मैजिस्ट्रेट न बयान सुनते हैं और न लिखते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—

जी नहीं, यह असत्य है कि मैजिस्ट्रेट न बयान सुनते हैं और न लिखते हैं । किसी व्यवस्था के करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

फिरोजाबाद बस स्टैण्ड पर छत गिरने से लड़के की मृत्यु संबंधी जांच

१—श्री शिवचरण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आगरा के फिरोजाबाद के बस स्टैन्ड के हाल में हो रहे भवन विस्तार का ठेका किस ठेकेदार को किन शर्तों पर दिया गया था ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह ठेका सर्वश्री मोती लाल एन्ड सन्स, आगरा को दिया गया था । ठेके की शर्तें †संलग्न हैं ।

---

†छापी नहीं गई ।

२—श्री शिवचरण—

क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार ने नई इमारत बनाते समय उसके लेन्टर में बहुत कम सीमेंट लगाया और जो १६ अगस्त, १९६३ को गिर गया, जिससे सात साल का लड़का मर गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इमारत की छत गिर जाने से सात साल के लड़के की मृत्यु हो गई। इस मामले की जांच की जा रही है।

३—श्री शिवचरण—

क्या इस सम्बन्ध में लड़के की मृत्यु की जिम्मेदारी आंकी गई है ? यदि हां, तो वह जिम्मेदारी किस पर डाली गई और क्या लड़के के घर वालों को इसका कुछ मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस दुर्घटना के सम्बन्ध में अभी जांच हो रही है।

आजमगढ़ जिले में घाघरा का कटाव

४—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष महुला गढ़वाल (आजमगढ़) बांध की २०वीं मील पर गांगेपुर में जो घाघरा द्वारा कटाव हो रहा है उसे रोकने की व्यवस्था कब की गई और इस कार्य पर अब तक कितना खर्च हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल—

महुला गढ़वाल बांध के मील २०-२१ पर गांगेपुर के समीप घाघरा के कटाव को रोकने का अस्थायी कार्य जून, १९६३ के आखिरी सप्ताह में प्रारम्भ किया गया और उक्त कार्य पर अभी तक ९९,१८० रु० ही व्यय चुका है।

५—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या सरकार वहां कोई अतिरिक्त बांध बनाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, उक्त स्थान पर बांध को पीछे हटा कर नया बांध बनाने का कार्य प्रारम्भ होने वाला है।

नहर शाख फतेहगढ़ पर पुल बनाने का सुझाव

६—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें इस वर्ष नहर शाख फतेहगढ़ के मील ३०-३१ फर्लांग ५ पर ग्राम गढ़िया, जिला एटा के प्रधान एवं सरपंच का प्रार्थना-पत्र एक चौड़े पुल निर्माण के आशय का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, दिये गये सुझाव की जांच की जा रही है।

७—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग ने उक्त पुल निर्माण की योजना स्वीकृत कर ली है ? यदि हां, तो कब तक पुल का निर्माण हो जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल—

अभी सका प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ क्षेत्र में रजबहा किठौर से माइनर नहर निकालने का सुझाव

८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है या कभी थी कि रजबहा किठौर (गंगा कैनाल, मेरठ डिवीजन) में पसवाड़े से आलमनगर, नवाबा, पौठ बरारी, सकरा टोला, आलमपुर, शेरपुर किरयावली, रेखा और भगवानपुर ग्रामों में से होती हुई ग्राम रखी तक एक कैनाल माइनर बनायी जाये ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन ग्रामों को नहर या सरकारी नलकूप द्वारा पानी की सुविधा देने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है और न कभी थी ।

ग्राम पसवाड़ा आलमनगर और बरारी पहले से ही किठौर रजबहा के कमांड में हैं और इनकी सिंचाई नहर से अच्छी तरह से हो जाती है । अन्य ग्राम नहर के कमांड के बाहर हैं और गंगा खादर में पड़ते हैं जहां जमीन ऊंची नीची होने के कारण किसी नहर या नलकूप का निर्माण संभव नहीं है ।

फर्रुखाबाद नहर शाखा पर कुलाबा लगाने की मांग

९—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद नहर शाखा के मील ३०–३१ के मध्य फर्लांग ५ में ग्राम गढ़िया, जिला एटा के पास बरसाती पानी को नहर में निकालने के लिये साइफन या कुलाबे लगाने की मांग विभाग से कितने वर्षों से की जा रही थी ? क्या उस मांग को स्वीकार कर पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी हां । इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र फरवरी, १९५८ में प्राप्त हुआ था ।

द्वितीय भाग—जी नहीं ।

तृतीय भाग—कुलाबे के लगाने से ग्राम गढ़िया को खतरा पैदा होने की संभावना के कारण कृषकों की प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई है ।

१०—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि यह सही है कि ये कुलाबे नहर विभाग के स्थानीय ओवरसियर की लापरवाही के कारण ही अब तक नहीं लग सके हैं और पड़े-पड़े कुछ टूट भी गये हैं ? यदि हां, तो सम्बन्धित ओवरसियर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा अब ये कुलाबे कब तक लगा दिये जावेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

तृतीय भाग—स्थायी कुलाबे लगाने का कोई विचार नहीं है, लेकिन वर्षा का पानी निकालने के लिये विशेष परिस्थिति में नल लगाये जा सकते हैं जैसा कि इस वर्ष ३ अक्तूबर, १९६३ को किया गया था ।

बहराइच जिले में सिंचाई

११—श्री मुन्नूसिंह, श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बहराइच जिले के राप्ती के उस पार के इलाके तराई तथा दोग्राबा (विकास क्षेत्र सिरसिया तथा हरिहरपुर रानी) में सिंचाई करने के लिये ट्यूबवेल लगाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

टेर्ं नकल और आर्थिक दृष्टि से इस क्षेत्र में नलकूप लगाना उचित नहीं है, अतः नलकूप की कोई योजना नहीं है ।

१२—श्री मुन्नूसिंह, श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री ऊदल—

बहराइच जिले में बनधोधवा तथा रामपुर हिंडोल बांध से जो इलाका सींचा जाता है उसको धान की पौध की बोवाई के समय बांध पानी नहीं दे पाता है जिससे धान की बोवाई पिछड़ जाती है । क्या सरकार उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि में रखते हुये पानी उपलब्ध कराने के लिये ठोस कदम उठायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

इन जलाशयों में सिंचाई के लिये जल एकत्र करने का एकमात्र साधन वर्षा ही है । केवल उन वर्षों में ही धान की पौध की बोवाई के समय सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलता जिस वर्ष वर्षा कम होती है, क्योंकि जलाशयों का पानी रबी की सिंचाई होने तक ही समाप्त हो जाता है । चूंकि इन जलाशयों में पानी वर्षा की मात्रा पर ही निर्भर करता है । अतः और अधिक पानी उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

मवेशी शफाखाना, हल्दौर के कम्पाउण्डर व डाक्टर के खिलाफ जांच

१३—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, १९६३ में मवेशी सफाखाना हल्दौर, जिला बिजनौर के मवेशी डाक्टर तथा कम्पाउन्डर के खिलाफ ढेली गूजर के किसानों ने कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र मंत्री जी को दिया था ? यदि दिया था तो क्या कार्यवाही इस समय उस पर हो रही है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां, उक्त मामले की जांच हो रही है ।

१४—श्री श्रीराम—

क्या कृषि मंत्री भी बताने की कृपा करेंगे कि कम्पाउन्डर मवेशी शफाखाना हल्दौर के खिलाफ भी कोई शिकायती पत्र मंत्री जी को मिला था ? यदि मिला था, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां। मामले की जांच हो रही है।

बांदा जिले के रोडवेज कर्मचारियों की आवास व्यवस्था

१५—श्री मतोलासिंह—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जिला बांदा में रोडवेज कर्मचारी अधिक संख्या में बाहरी हैं और उनके रहने की कोई सुविधा नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार रोडवेज बस स्टैंड बांदा के हाता में जहां भूमि काफी व अधिक है कर्मचारियों के लिये मकान बनवाने की कृपा करेगी?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह सही है कि जिला बांदा में रोडवेज कर्मचारी अधिक संख्या में दूसरे जिलों के रहने वाले हैं, लेकिन रोडवेज विभाग में विभागीय फोरमैनों के अलावा किसी अन्य कर्मचारी के लिये मकान बनवाने की व्यवस्था नहीं है, अतः बांदा में फोरमैनों के क्वार्टर्स के अतिरिक्त जो बन गए हैं अन्य कर्मचारियों के लिये मकान बनवाने का प्रश्न नहीं उठता।

कैनाल कालोनी, पुखरायां में उत्पादन, भोगनीपुर डिवीजन में सिगनलर की अपील

१६—श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फसली सन् १३६८-१३६९, १३७०-१३७१ में कैनाल कालोनी, पुखरायां, जिला कानपुर में कौन कौन सी रबी, खरीफ व जायद फसलें बोई गईं जो पटवारी के कागजों में इन्द्राज हैं? ये फसलें कब नीलाम हुईं और यदि नहीं नीलाम हुईं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १४२१ पर)

१७—श्री शिवनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितनी अपीलें किन किन सिगनलरों की भोगनीपुर डिवीजन, इटावा के पास फैसला होने को पड़ी हैं, वे कब दाखिल की गई थीं और अब तक फैसला न होने का क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल—

भोगनीपुर डिवीजन गंगा नहर इटावा के केवल एक ही तार बाबू श्री त्रिलोकी राज की अपील फैसला होने को बाकी है। यह अपील २७-७-६३ को है और अब तक फैसला न होने का कारण यह है कि इसकी जांच सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जा रही है।

बुलन्दशहर जिले में नलकूपों से सिंचाई

१८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में ग्राम जाड़ोल और इससे मिले हुये ग्राम मथरानांगल और ग्राम इलना में एक बहुत बड़ा जरखेज जमीन का रकबा ऐसा है जिसको कि सरकार की ओर से कोई भी पानी की सुविधा नहीं है? क्या सरकार वहां पर एक राजकीय नलकूप के निर्माण पर शीघ्र से शीघ्र ध्यान देगी?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, इस क्षेत्र के लगभग ८५० एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह भू-भाग अत्याधिक असमतल (undutating) है जिसे तीन नालों ने पृथक पृथक् विभाजित कर दिया है तथा इसके मध्य में ३०० एकड़ की एक झील भी स्थित है जो वर्षा काल में पानी से भर जाती है। यह क्षेत्र पूर्णतया लगभग २०० एकड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है। इन कारणों से इस क्षेत्र में कोई सिंचाई की सुविधा प्रदान करना सम्भव नहीं है।

१९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय नलकूप नं० जे० बी० ४६ (नलकूप डिवीजन बुलन्दशहर) ने १ जनवरी, सन् १९६३ से ३१ जूलाई सन् १९६३ तक कितनी सिंचाई की? यदि अधिक कम की, तो उसका क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न का प्रथम भाग—३५ एकड़।

प्रश्न का द्वितीय भाग—इस नलकूप का निर्माण १९४० में हुआ था। काफी पुराना होने जाने के कारण रेत देने लगा था जिसकी वजह से सिंचाई ठीक से न कर सका।

२०—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि राजकीय नलकूप नं० जे० बी० ४६ (नलकूप डिवीजन बुलन्दशहर) अक्सर खराब रहता है जिसके कारण फसलों को सही प्रकार से सिंचाई न होने के कारण अधिक हानि पहुंचती है? क्या सरकार इसको भली प्रकार से ठीक कराने पर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान देगी?

श्री गिरधारीलाल—

यह नलकूप सन् १९४० में बना था अतएव काफी पुराना हो गया है। यह नलकूप धंस गया था तथा रेत देने लगा था जिसकी वजह से यह नलकूप जनवरी, १९६३ से जून, १९६३ की अवधि में जब कब कुछ दिनों के लिये बंद रहा। अब इस नलकूप का फाउन्डेशन फिर से बना दिया गया है तथा पम्पिंग सेट बदल दिया गया है। अब यह नलकूप २५४१२ गैलन प्रति घंटा डिस्चार्ज दे रहा है और सुचारु रूप से काम कर रहा है।

२१—श्री मुमताज मुहम्मद खां —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय नलकूप नं० जे० बी० २६ (बुलन्दशहर नलकूप डिवीजन) का डिसचार्ज प्रति घंटा कितना है?

श्री गिरधारी लाल —

इन नलकूप का वर्तमान डिस्चार्ज २१,९६१ गैलन प्रति घंटा है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि राजकीय नलकूप नं० जे० बी० २६ का डिसचार्ज प्रतिघंटा अधिक कम होने के कारण फसलों को बहुत हानि पहुंचती है? क्या सरकार इसकी दुबारा बोरिंग कराने पर विचार करेगी?

श्री गिरधारीलाल--

प्रथम भाग--जी नहीं।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता है।

सगड़ी क्षेत्र में नलकूप

२३--श्री इन्द्रासनसिंह

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को पांच छः मास पूर्व इस प्रकार की शिकायत मिली है कि जलालपुर नलकूप नं१९ ग्रुप सगड़ी के कमान्ड एरिया के ग्रामों जिनमें अलाउद्दीन पट्टी, छाड़ू पट्टी, शांतिपुर, सुल्तानपुर, जगमलपुर और बशीरपुर ग्रामों के कई साल से नाली की खराबी से पानी नहीं मिल रहा है और हैदईपुर और हिरवरपुर ग्रामों को दूर पड़ने के कारण आज तक पानी नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो सरकार इस कष्ट को दूर करने के लिये क्या व्यवस्था कर रही है?

२४--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि यह सत्य है कि उक्त नलकूप की नाली का पक्का ईंटा उखाड़ कर रख दिया गया है जिनमें से काफी ईंटों को लोग ले गये और नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कितने धन का अपव्यय हुआ है और इस नाली को ठीक कर देने की सरकार कब तक व्यवस्था कर देगी?

श्री गिरधारीलाल--

सूचना एकत्र की जा रही है।

मिधौली का बरसाती नाला

२५--श्री कोतवालसिंह भदौरिया--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिधौली, जिला फर्रुखाबाद में बरसाती नाला जो खुद रहा था, उसका काम पूरा हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां, काम पूरा हो गया है।

२६--श्री कोतवालसिंह भदौरिया--

इस नाले के खुदवाने में कितना धन व्यय हो चुका है और उसमें कितना श्रमदान और कितनी सरकारी सहायता दी गई है?

श्री गिरधारीलाल--

यह नाला श्रमदान से खोदा गया, अतः इस नाले पर किसी प्रकार का न तो कोई धन व्यय हुआ और न सरकारी सहायता ही दी गई।

सिंचाई सलाहकार समिति, फतेहपुर

२७--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्तर पर "सिंचाई सलाहकार समिति" के गठन का क्या आधार है तथा क्या जिला फतेहपुर की उक्त समिति इस आधार पर गठित है?

श्री गिरधारीलाल--

उक्त समिति के संगठन का आधार संलग्न शासकीय पत्र दिनांक २६ जून, १९६१ है। इसी पत्र के आधार पर फतेहपुर की जिला समिति बनाई गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १४२२-१४२४ पर)

२८--श्री रामविशेर वर्मा --

[४ थे मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

२९--श्री रघुवीर--

[४ थे मंगलवार के लिये प्रश्न २१ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

३०--श्री रामकिशोर वर्मा--

[३ रे बुधवार के लिये प्रश्न ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

प्रश्नों के उत्तर के संबंध में आपत्ति

श्री शिवचरण (जिला आगरा)--

अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आज से दो महीने पूर्व मैंने फिरोजाबाद के सम्बन्ध में एक प्रश्न किया था जिसका उत्तर मेरे पास आंग्ल भाषा में आया है जो सदन की भाषा नहीं है और जिसके खिलाफ आन्दोलन करने पर सन् ५७ में हम जेल भी गये थे कि लन्दन वालों की भाषा में यहां काई काम नहीं होना चाहिये। इस आंग्ल भाषा को हम न जानते हैं न समझते हैं तो फिर हम प्रश्न क्या करें ?

श्री अध्यक्ष--

इत्मीनान से बात कीजिये नाराजगी की क्या बात है, हिन्दी का प्रचार करने वालों को तो अत्यन्त शान्त होना चाहिये। हम आपकी बात से सहमत हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, आपने कहा था कि वह रूलिंग और अथारिटी दिखाइये जिससे अध्यक्ष किसी मंत्री महोदय को सही उत्तर देने के लिये कह सकता है। तो इस सम्बन्ध में आप उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहित संकलन के पेज १२७ को देखने का कष्ट करें....

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे सहमत हूं कि हम सही बात मंत्री जी से कहने के लिये कहें, लेकिन वे सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं इसको पहले ही कोई कैसे कह सकता है ?

श्री नेकराम शर्मा--

इसके आगे और है कि "जान बूझ कर गलत बात कहे तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न तक उठाया जा सकता है।"

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि मेरे एक अल्पसूचित प्रश्न जो पीलीभीत के परेवा वैश्य में पी० ए० सी० लगाने के सम्बन्ध में है, आपने कहा था कि उसका उत्तर २९ तारीख तक आ जायेगा, लेकिन आज तक उसका उत्तर नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करने जा रहे हैं मैं आपके कक्ष में आया भी था लेकिन कोई विशेष बातचीत समयाभाव के कारण नहीं हो सकी।

श्री अध्यक्ष—

मेरे कक्ष में आपकी मुझसे जो बातचीत हुई थी उसके बाद मैंने नियमों को देखा तो मुझे उनमें कोई ऐसी अथारिटी नहीं मिली कि मैं मंत्री महोदय को इसके लिये मजबूर कर सकूं कि वह अल्पसूचित प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें। तो ऐसी स्थिति में, मैंने यह लिख दिया है कि आपके प्रश्नों को प्राथमिकता दी जाय।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मुझे यह निवेदन करना है....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जायं। मुझे अभी एक सूचना देनी है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी की जमानत पर रिहाई के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास श्री जी० एस० डेविड, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट, मुरादाबाद के पास से २६ अक्तूबर, ६३ की यह सूचना आयी है कि श्री शराफत हुसैन, एम० ए० ए०, साकिन अमरोहा, जिला मुरादाबाद जो अंडर सेक्शन १४७/३२३/३३२—आई० पी० सी० गिरफ्तार हुए थे, उनको २५ अक्तूबर, १९६३ को बेल पर छोड़ दिया गया है।

प्रश्नों के उत्तर के संबंध में आपत्ति—(क्रमागत)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय नेकराम शर्मा के प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि यदि जान बूझ कर गलत उत्तर दिया जाय तो संबंधित मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। तो अभी माननीय पुलिस मंत्री ने जो इस सदन में उत्तर दिया वह जान बूझ कर गलत दिया, इस संबंध में आपको क्या कहना है, इस पर आप अपना निर्णय दे दें, तब मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाऊंगा। इस संबंध में आपकी व्यवस्था मालूम हो जाय तब हमारी गाड़ी आगे चले।

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीपनारायणसिंह जी, इसमें आदरणीय सदन की शोभा नहीं है। मुख्य मंत्राणी महोदया ने आपको एक आश्वासन दे दिया तो आपको अब उसे नहीं उठाना चाहिये।

विभाजन की घंटी बन्द होने के उपरान्त सदन में सदस्यों के प्रवेश के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। उस दिन जब आप यहां नहीं थे और माननीय उपाध्यक्ष महोदय विराजमान थे तो जब वोटिंग के लिये उन्होंने खन्ड को उपस्थित किया तो माननीय बनारसी दास जी चपरासी को धकिया कर अन्दर चले आये। उस पर हमने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उनको बाहर निकाला। तो आप कृपा कर के व्यवस्था अपनी दें कि माननीय मंत्री और मुख्य मंत्री जी घंटी बन्द होने पर और सदन का फाटक बन्द होने पर वहां के चपरासी को धकिया कर सदन में प्रवेश किया ..

श्री अध्यक्ष—

मुझे व्यवस्था देने का अधिकार, अपील अदालत की हैसियत से नहीं है। हमारे यहां रूलिंग इस संबंध में मौजूद हैं कि अगर कोई घंटी बन्द होने के बाद आ जाय तो हम उसे वोट देने से रोक सकते हैं, लेकिन सदन से बाहर निकालने की बात हमारी प्रोसीडेन्स में नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह जरूरी समझता हूं कि हर माननीय सदस्य का यह कर्त्तव्य है कि वह नियमानुसार कार्य करें। दुख इस बात का है कि हमारे नियमों में घंटी के तथा दरवाजा बन्द करने के विषय में कोई व्यवस्था नहीं है, हम केवल परम्परा से इन चीजों को बरतते हैं। विलायत में स्पष्ट स्टेंडिंग आर्डर्स हैं कि पहले घंटी २ मिनट के लिये बजे और फिर ६ मिनट के लिये और फिर अध्यक्ष आदेश दें कि दरवाजे बन्द किये जायं और तब वह बन्द होते हैं। हम तो अपने यहां केवल वहां की परम्परा अंगीकार किये हैं जो वहां पर प्रचलित है। ऐसी हालत में हमारी शोभा यही है कि हम उसका आदर करें। ऐसे समय घंटी के बन्द हो जाने पर सदन में न आयें। लेकिन आपकी भी शोभा यही है, कि यदि कोई आ जावे तो उनसे केवल इतना ही कह दिया जाय कि वह वोट न दें, बजाय इसके कि वह बाहर निकाले जायं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता था कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी तो उसको हमें मानना चाहिये और अब ....

श्री अध्यक्ष—

मैं कब कहता हूं कि उसे नहीं मानना चाहिये।

श्री उग्रसेन—

उपाध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया, उनको....

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें।

संविधान के १५वें संशोधन पर अनुसमर्थनार्थ संकल्प पर सदन में चर्चा न होने के विषय पर तथाकथित गलत सूचना दिये जाने पर नियम ३०१ के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब श्री भगवान सहाय तथा कुंवर श्रीपालसिंह जी के विशेषाधिकार के प्रश्न आये हैं। कुंवर श्रीपालसिंह जी ने यह सूचना भेजा है कि १५वें संशोधन को इस सदन में प्रस्तुत क्यों नहीं

[श्री अध्यक्ष]

किया जाता और उसको प्रस्तुत करना चाहिये। क्या श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव यहां नहीं हैं? श्री भगवानसहाय का कहना है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा था कि १५वें अमेंडमेन्ट के बारे में केन्द्रीय सरकार से अभी हमारे पास सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यह उन्होंने किस तारीख को कहा था?

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

२५ सितम्बर को।

श्री अध्यक्ष—

माननीय भगवान सहाय जी का यह कहना है कि यह गलतबयानी क्यों हुई? श्री बनारसी दास जी आपके पास क्या उन्होंने कोई सूचना इस संबंध में भेजी है? वह माननीय मुख्य मंत्री तथा श्री महावीर प्रसाद जी के पास भेजी गई है, महावीर प्रसाद जी को यहां होना चाहिये था ....

श्री भगवानसहाय—

श्रीमन्, मेरा कहना यह नहीं है कि गलतबयानी क्यों हुई, मेरा कहना यह है कि जानबूझकर ऐसा हुआ है, इस सदन को....

श्री अध्यक्ष—

शिष्ट तरीका यही है कि क्यों ऐसा हुआ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय भगवान सहाय जी ने जिस तरह से इस प्रश्न को उठाया है.....

(श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव के सदन में प्रवेश करने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब तो श्री महावीर प्रसाद जी आ गये हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उनको इसकी सूचना मिल गई है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव (जिला लखनऊ)—

अभी नहीं।

श्री अध्यक्ष—

तो उनके पास अभी पहुंची नहीं है।

श्री भगवानसहाय—

वह श्री बनारसीदास जी के पास तो पहुंच गई है।

श्री अध्यक्ष—

तो इसको कल ले लेंगे।

श्री भगवानसहाय—

श्री बनारसीदास जी के पास पहुंच गई है तो वह उनकी ओर से पैरवी कर रहे हैं, वह अपने अधिकार से नहीं कर रहे थे। इसके लिये सूचना काफी है।

श्री अध्यक्ष—

हम आपसे सहमत हैं कि प्रमुख अभियुक्त श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव हैं ....

श्री भगवान सहाय—

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को कल ले लेंगे।

श्री भगवानसहाय—

यह बहुत अहम सवाल है .....

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर अपना नोट पढ़कर सुनाये देता हूं—"यह विषय महत्वपूर्ण है, यद्यपि नियम में इसका उल्लेख नहीं है तो भी इसकी एक प्रतिलिपि उस सदस्य के पास भेजी जाय जिसके विरुद्ध ऐसा प्रश्न उठाया गया है। माननीय सदस्य से एक प्रतिलिपि प्राप्त करके संबंधित मंत्री के पास भी भेजी जाय।" तो मैंने स्वयं किया है ....

श्री भगवानसहाय—

मेरी बात तो सुनें। सवाल यह है कि इस प्रश्न को जो आप कल के लिये स्थगित करना चाहते हैं तो आपको स्वयं मालूम है कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बहुत संगीन होता है और इसको सब काम के ऊपर प्रायरिटी मिलती है। तो कोई अगर जायज बात है जिसके ऊपर स्थगित किया जाय कल के लिये। तब तो सही बात है, लेकिन अगर जायज बात नहीं है तो स्थगित करना मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। और चूंकि माननीय बनारसीदास को इसकी सूचना मिल गई और इसकी एक कापी भी मिल गई तो वह काफी है। माननीय मुख्य मंत्री को भी मिल चुकी है वह काफी है। और माननीय महावीरप्रसाद को कापी नहीं मिली है तो वह माननीय बनारसीदास की ओर से प्रश्न को उठा रहे थे इसलिये माननीय बनारसीदास को कापी मिल जाना काफी है और इसको आज ही लें।

श्री अध्यक्ष—

इसमें आपको आपत्ति है कल तक न रखा जाय? सूरत यह है कि माननीय महावीर प्रसाद जी कहते हैं कि उन्हें मिल जाय तो वह कल बयान दे देंगे। तो तीनों को मिल जाय।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जो यह कहा गया कि जानबूझ कर कहा गया, यह गलत है। जानबूझकर नहीं है।

श्री भगवानसहाय—

सवाल यह है कि जब आदमी को उसकी नकल मिल गई, कायदे से यह काम आपके आफिस का है कि वह सबको भेजें। लेकिन जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली भेजने की। लेकिन इसके यह माने नहीं है कि आपके आफिस का काम हल्का हो जाता है। नियमों के हिसाब से आपके आफिस को इसकी सूचना उनको देनी चाहिये। लेकिन इस काम की अहमियत को देखते हुए मैंने प्रतिलिपि माननीय मुख्य मंत्री के आफिस में जाकर उनके पी० ए० को दी, माननीय बनारसीदास के पी० ए० को दी और रजिस्टरी द्वारा माननीय महावीरप्रसाद जी को भेज दी। अतः वह नहीं कह सकते कि उनके मुंशी को नहीं मिली। तो जहां तक सर्व होने का सवाल है वह

[श्री भगवानसहाय]

सर्व हो चुका है और माननीय महावीरप्रसाद जी को सर्व न भी होता तो भी कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि माननीय बनारसी दास पर सर्व हो चुका है और उन पर सर्व होना ही सही बात है .....

श्री अध्यक्ष—

आपने १० मिनट इसी में ले लिये। अब मैं व्यवस्था देता हूं कि इसको कल लूंगा।

श्री भगवानसहाय—

मैं आपकी व्यवस्था को शिरोधार्य करता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कल के लिये रखने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

क्योंकि माननीय महावीरप्रसाद जी को नहीं मिली है। तो वह कृपाकर इसको चाहे माननीय बनारसीदास से ले लें और देख कर कल वक्तव्य दे दें।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय रामकिशोर त्रिपाठी जी का आया है जो बाराबंकी जिले की तहसील हैदरगढ़ में अवर्षण से जड़हन सूखने के संबंध में है और इसमें भी दिया है, माननीय रामकिशोर त्रिपाठी भी जानते थे कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं होता तो नियम ५२ में भी दिया है। यह स्थानीय विषय है जो प्रश्न द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं।

दूसरा माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी, माननीय हिम्मतसिंह और माननीय टम्बेश्वर प्रसाद का आया है ....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

इसके पहले कि आप कुछ कहें मैं कुछ कह दूं, श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दरअसल पुलिस की लापरवाही के कारण और यदि पुलिस ने सतर्कता बर्ती होती, पुलिस की अकर्मण्यता न होती, तो जिस जगह पर उन्होंने ज्यादती की है, न होती। जैसा अखबारों में निकला उससे स्पष्ट है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया और वह भी शान्तिपूर्ण प्रोसेशन पर। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर प्रकाश डालेंगे ताकि सरकार के प्रति असंतोष और अव्यवस्था की जो चारों तरफ भावना फैली है वह स्पष्ट हो सके।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इस पर विचार किया जाय ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब मैं इसे अस्वीकार कर रहा हूं तो कहने की कोई वजह नहीं है।

सल्तनतबहादुरसिंह इन्टरमीडियेट कालेज, बदलापुर, जौनपुर के प्रधानाचार्य, अध्यापकों तथा छात्रों को पुलिस द्वारा बन्दी बनाये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत श्री जगन्नाथ राव का एक प्रस्ताव स्वीकार किया है। वह यह है कि—

"सल्तनत बहादुरसिंह इन्टरमीडियेट कालेज, बदलापुर, जौनपुर के प्रधानाचार्य तथा कुछ अध्यापक एवं अनेक छात्र पुलिस द्वारा बन्दी बनाये जा चुके हैं। चारों ओर पी० ए० सी० के सिपाही तैनात हैं। इससे पूरे क्षेत्र में अनेक आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है। सिपाही जनता को बुरी तरह आतंकित कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन, संरक्षण हरकू, बदलापुर के कर्मचारियों एवं उक्त कालेज के कुछ अध्यापकों के बीच साधारण विवाद हो गया था। परिणामस्वरूप पुलिस द्वारा उक्त अध्यापकों को बुरी तरह से पीटा गया तथा अपमानित किया गया। आतंक बराबर बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण जनता बहुत परेशान है। सरकार द्वारा अभी तक पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।"

(मंत्री जी से) इसको आप परसों दे दीजिये वक्तव्य के लिये।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

प्रार्थना यह है कि आप वक्तव्य दिला ही सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

दिला सकता हूं। तो उस रूप में आप दे दें। मैं रूल कर सकता हूं।

चालू वर्ष के द्वितीय सोपान में आने वाले विकास खंड के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को वेतन न मिलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत एक माननीय केशरी प्रसाद पाण्डेय और माननीय रघुनाथसिंह जी ने सूचना दी है यह मैंने संबंधित मंत्री को उचित कार्यवाही के हेतु भेज दी है। सूचना इस प्रकार है—

"उत्तर प्रदेश राज्य के जो विकास खण्ड इस वर्ष द्वितीय सोपान में आ गए हैं, उनके स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारियों का वेतन जिनकी संख्या प्रत्येक विकास खण्ड में ९–१० के लगभग होता है, प्रस्तुत वित्तीय वर्ष में नहीं दिया जा सका है। गत वर्ष भी द्वितीय सोपान में आने वाले विकास खण्ड के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को ६–६ महीने तक वेतन नहीं दिया जा सका था। इस अवस्था का मूल कारण यह है कि प्रथम सोपान में इस विभाग तथा पशुपालन विभाग के कर्मचारियों का वेतन प्लानिंग विभाग से मिलता है, किन्तु द्वितीय सोपान बनने पर इन विभागों के कर्मचारियों का वेतन स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग से मिलने लगता है। पशुपालन विभाग तो ऐसे अवसरों पर सावधान रहकर अपने विभाग के कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था बजट में कर करा लेता है किन्तु स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की लापरवाही और भूल के कारण उनके विभागीय बजट में इन कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था न होने से कर्मचारी बहुत विषम परिस्थिति में पड़ जाते हैं।"

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

मेरा एक और प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ में मैं एक ही ले सकता हूं ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष—

अब कुछ नहीं होगा । नियम ५२ के बारे में अब कोई बात मैं नहीं सुनूंगा ।

सरकार द्वारा प्रश्नों के उत्तर नियमानुसार समय से न भेजने पर आपत्ति

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

नियमावली का नियम ३३ आप देख लीजिये । जिस दिन हाउस में सवाल आने वाला हो .....

श्री अध्यक्ष—

मैं दरियाफ्त कर रहा हूं ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

आप कई मर्तबा इस बात को कह चुके हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला है ?

श्री अध्यक्ष—

यहां तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता । जो लोग उसके जिम्मेवार हैं उनसे भी मुझे दरियाफ्त करना ही पड़ेगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

आप मेरी बात सुनते ही नहीं । मैं आपके दफ्तर के बारे में नहीं कह रहा हूं । इसमें लिखा हुआ है "एक दिन पहले प्रतिलिपि उपलब्ध हो जायगी ।" हमको जानकारी है कि आपके दफ्तर को भी एक दिन पहले उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं होती ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात मैं नहीं मानूंगा जब तक दफ्तर से पूछ न लूंगा । आप मेरे कमरे में आइये ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मैं कमरे में बीसियों मर्तबा गया हूं ।

श्री ईश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

आपने कैसे कह दिया कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जो भी शिकायत होगी उसका अन्वेषण मुझे करना ही पड़ेगा । उसके बगैर कोई व्यवस्था नहीं दे सकता ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

आप मेरी बात सुनते नहीं हैं। आपसे निवेदन यह है कि नियम ३३ जो है उसके अनुसार प्रश्न का उत्तर हाउस में दिया जाने वाला हो उसको सदस्यों को एक दिन पहले उपलब्ध हो जाना चाहिये। मेरा कहना यह है कि इसकी पाबन्दी तो कभी होती ही नहीं और आपके कार्यालय में भी एक दिन पहले उसकी कापी उपलब्ध नहीं होती। हाउस में जो उत्तर दिया जाने वाला होता है वह उसी दिन ९–१० बजे हमको मिलता है। तो आप इस पर व्यवस्था दें। सरकार पर इसकी कुछ पाबन्दी करना चाहिये कि ठीक समय से उत्तर सदस्यों को मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे सहमत हूं कि कोई व्यवस्था उसकी हो जाय।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

नियमों के अन्दर है और आप रूलिंग भी दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—

तो उसी के लिये कोई तरीका हमको ढूंढना है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अगर आपको व्यवस्था के विरुद्ध इस सरकार का मंत्री आचरण करता है तो वह सदन की अवहेलना का दोषी है। आप इस बात को स्वीकार कर लें तो हम सदन के अवमान का विशेषाधिकार का प्रश्न ले आयें तभी यह ठीक हो सकता है।

कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

आपने आज शिक्षा मंत्री का बयान दिलवाने को कहा था। जिला बलिया में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों को ६ महीने से वेतन नहीं मिला है जिस पर मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न किया था। लेकिन आज वह एजेंडे पर नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं लिया गया है। आप मुझ से पूछ सकते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने नियम ५३ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष—

वह अभी आफिस में है, उसके ऊपर नोट तैयार हो रहा है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

उसमें सभी आ जाता है अगर आप मंजूर कर लें। पुलिस विभाग के विरुद्ध जितने भी आरोप यहां लगाये गये हैं उन पर सब सदस्यों को अपना विचार प्रकट करने का मौका मिल जायगा।

श्री अध्यक्ष—

उसके ऊपर विचार किया जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैंने महापरिनिर्वाण स्तूप के लिये लगातार छः दिन से नियम ५२ में दिया। आप एक वाक्य मंत्री जी से कहला दीजिये महात्मा बुद्ध का बड़ा पवित्र स्थान है।

श्री अध्यक्ष—

उसको आप कई रोज से कह रहे हैं।

श्री उग्रसेन—

हम तो रोज कहेंगे जब तक मंत्री जी बयान नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा।

जिला मैजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा नवाबगंज के ताड़ीखाने का एलाटमेंट करने और नये ठेकेदार को जबरदस्ती कब्जा दिलाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उप-मंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

दिनांक ३०-९-६३ को सहारनपुर के एक्साइज.....

अनेक सदस्य—

माननीय मंत्री जी पान खाकर न बोलें। (व्यवधान)

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैं बिलकुल पान नहीं खा रहा हूं। यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पान नहीं खाना चाहिये, यह स्पष्ट है।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

दिनांक ३०-९-६३ को सहारनपुर के एक्साइज स्पेक्टर ने रेन्ट कन्ट्रोल इविक्शन अफसर सहारनपुर को इस आशय की एक रिपोर्ट दी कि नवाबगंज में स्थित ताड़ीखाने का ठेका इस वर्ष वहां के पुराने ठेकेदार श्री पटेल द्वारा बोली न बोले जाने के कारण, श्री परमानन्द मुन्शीराम को दे दिया गया है और उसी रात को पुराने ठेकेदार श्री पटेल की दूकान बन्द हो जायेगी और बिल्डिंग खाली हो जायगी। रिपोर्ट में उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि उक्त दूकान का एलाटमेंट नए ठेकेदार के नाम कर दिया जाय। अतः उक्त दूकान श्री परमानन्द मुन्शीराम के नाम एलाट कर दी गयी।

उसी रात लगभग ९ बजे रतनलाल नामक एक व्यक्ति ने सिटी मैजिस्ट्रेट को सूचित किया कि उक्त ताड़ीखाने के पास एक बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई है जिसका कहना है कि यदि नया ठेकेदार उस स्थान पर ताड़ीखाना खोलेगा तो वे लोग इसका विराध करेंगे। इस सूचना पर सर्किल अफसर पुलिस एवं सिटी मैजिस्ट्रेट घटनास्थल पर पहुचे और उन्होंने एकत्रित भीड़ को समझाया कि यदि उन्हें इस स्थान पर ताड़ीखाने के रहने से शिकायत है तो वे अपनी शिकायत शासन के सामने रखें और कोई ऐसा कार्य न करें जिससे शान्ति भंग हो। भीड़ ने अधिकारियों की बात मान ली और सब लोग वापस चले गये।

रात को १२ बजे के बाद किसी समय नये ठेकेदार के आदमियों ने ताड़ीखाने में घुस कर कब्जा कर लिया । उस समय कोई अधिकारी वहां उपस्थित नहीं था। अतः यह कहना सही नहीं है कि सर्किल अफसर तथा सिटी मैजिस्ट्रेट ने कब्जा दिलाने में सहायता की । पुराने ठेकेदार श्री पटेल का दिनांक १-१०-६३ का एक पत्र थाना कोतवाली पर ३-१०-६३ को प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर नये ठेकेदार के विरुद्ध एक मुकदमा भा० दं० वि० की धारा ४२६/४४८ के अन्तर्गत कायम किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गई । श्री पटेल ने अपने इस पत्र में घटना के समय उक्त अधिकारियों की उपस्थिति तथा चाकू छुरे दिखा कर कब्जा लेने का कोई उल्लेख नहीं किया है । उन्होंने तथा उनके किसी कर्मचारी ने अभी तक किसी पर गाली गलौज करने तथा चाकू, छुरा, लाठी दिखा कर दूकान पर कब्जा करने का कोई आरोप नहीं लगाया है ।

दोनों ठेकेदारों ने आपस में समझौता कर लिया है और पुराने ठेकेदार ने अपना आरोप-पत्र वापस लेने के लिये दिनांक १५-१०-६३ को एक प्रार्थना-पत्र ए० डी०एम० के यहां दिया है । यह आरोप सही नहीं है कि अधिकारी डरा धमका कर मुकदमे का सबूत खत्म करा रहे हैं ।

श्री पटेल द्वारा भेजा गया तार १-१०-६३ को प्राप्त होते ही जिले में तुरन्त जांच प्रारम्भ कर दी गई थी । इस सम्बन्ध में सरकार को प्राप्त पत्रों पर भी आवश्यक कार्यवाही की गयी है । अतः यह कहना सही नहीं है कि कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो पान के बारे में अनुज्ञा दी है, यदि पान खाने की किसी को मेडिकल एडवाइस हो तो उसके ऊपर भी यह लागू होगी, कृपया इसको स्पष्ट कर दें ।

श्री अध्यक्ष---

पान खाकर बोलना नहीं चाहिये ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, आपने व्यवस्था दे दी । लेकिन सदन की मान-मर्यादा के लिये न यहां पान खाया जा सकता है और न पानी पिया जा सकता है । श्रीमन्, लाबी इसलिये बनी हुई है कि. . .

श्री अध्यक्ष---

वह तो मैंने व्यवस्था दे दी है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ३० तारीख को जो एलाटमेंट आर्डर जारी किया गया वह किस कानून के मातहत जारी किया गया ?

श्री अध्यक्ष---

अगर कानून पूछेंगे तो मैं डिसएलाऊ कर दूंगा । वह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है । मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से कानून के संबंध में प्रश्न करना गलत है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

श्रीमन्, जो एलाटमेंट आर्डर जिलाधीश ने जारी किया है उसमें लिखा है कि जो मकान खाली है तो उन्होंने इस जानकारी को हासिल करने के लिये क्या-क्या तरीके इस्तेमाल किये हैं ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

श्रीमन्, यह बता दिया गया कि एक्साइज इंस्पेक्टर ने लिखा था कि यह मकान खाली हो जायगा और नये ठेकेदार को एलाट कर दिया जाय।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार को जानकारी है कि रात को पौने बारह बजे से पहले मैंने खुद सिटी मैजिस्ट्रेट को कांटैक्ट किया कि आपने मौके पर जाकर जिस ढंग से वहां के लोगों को जो मीटिंग कर रहे थे, डराया, धमकाया और वार्निंग दी कि अगर आप नहीं निकलेंगे तो बंद कर दिया जाएगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

आपसे बात फोन पर हुई थी, लेकिन वह नहीं कहते हैं कि जो आप कहते हैं वह सही है।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्री पटेल को जो पुराना ठेकेदार था। एलाटमेंट आर्डर सर्व नहीं किया गया बल्कि गुंडों द्वारा कब्जा ले लिया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

वह सब हुआ या नहीं, इसकी तला नहीं है। लेकिन यह बताया गया कि १२ बजे लोगों ने जाकर कब्जा कर लिया, उस समय सिटी मैजिस्ट्रेट वगैरह नहीं थे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार को जनकारी है कि जो तार पौने बारह बजे के करीब श्री पटेल ने मुख्य मंत्री, आबकारी मंत्री और कमिश्नर को दिया उसमें वर्णन है कि सी० ओ० और सिटी मैजिस्ट्रेट ने मौके पर जाकर डराया-धमकाया और कहा गया कि अधिकार किया जायगा और अगर कोई रोकेगा तो उसे बंद कर दिया जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

तार यह जरूर है कि अफसरान नाजायज काम कर रहे हैं।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब पुराने ठेकेदार के पास दुकान थी और उसका ठेका खत्म हो गया हो सकता था कि वह दूसरा कारोबार करता, तो किस आधार पर दूकान दूसरे आदमी को एलाट कर दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

श्रीमन्, मैंने बतलाया कि एक्साइज इंस्पेक्टर ने लिखा कि दूकान खाली हो जायगी और पटेल के नाम ठेका होकर दूसरे के नाम हुआ है लिहाजा दूकान नये ठेकेदार के नाम एलाट कर दी जाय। इसलिये वह एलाट हो गई।

श्री अध्यक्ष--

उनका सवाल यह है कि अलाटमेंट कैसे कर दिया गया और जब अलाटमेंट किया तो उन पटेल को जो काबिज था, उसको नोटिस दी गयी या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मैंने उसका उत्तर दिया। इसकी इत्तिला हम को नहीं है।

श्री अहमद बख्श---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उस इकरारनामे में ऐसी बात थी कि दूकान ताड़ी के लिये हमेशा रहेगी, इसमें और कोई कारोबार नहीं किया जा सकता ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी नहीं । इसकी कोई इत्तला नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कांग्रेस के दो माननीय सदस्यों डाक्टर जयगोपाल और श्री अहमद बख्श के बयानों और प्रश्नों को ध्यान में रखते हुये इस बात की भी जांच करवायेंगे, जो ज्यादतियां सिटी मैजिस्ट्रेट वगैरह ने की हैं ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

सरकार उन माननीय सदस्यों की ही नहीं माननीय नेकराम जी की भी बातों का लिहाज करके जो मुनासिब कार्यवाही होगी करेगी ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय गृह मंत्री बतायेंगे कि पटेल ने जो तार भेजा है उसकी इन्क्वायरी किसी अफसर से करवायी गयी है, क्या पटेल साहब से भी उस जांच करने वाले अफसर ने कोई पूंछतांछ की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इस सम्बन्ध में मैं और बता दूं कि हमारे पास कुछ माननीय सदस्यों के और जो सदस्य नहीं हैं उनके भी कुछ पत्र आये थे, मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास वे भेजे हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री जी कागजपत्र देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंच गये हैं कि वहां के अफसरों ने ज्यादती की ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

चूंकि रिपोर्ट नहीं आयी है इसलिये मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

क्या माननीय गृह मंत्री जी उपनेता सदन के इस आश्वासन के बाद किस माननीय सदस्यों की राय का खयाल किया जायगा ऐसे अधिकारी जिनके विरुद्ध इस सदन में राय जाहिर की गयी, तार भी भेजे गये, उनकी जांच करवाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने क्या ज्यादती की ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

मैंने पहले कह दिया कि जांच हो रही है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

हमने सवाल किया था कि पटेल का तार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अलाटमेंट के खिलाफ था, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सब दरख्वास्तें जांच करने के लिये फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेज दी गयी हैं । मैं जानना चाहता था कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत है उसी से

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

फिर आप जांच करवाना चाहते हैं, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ तार और दरख्वास्तें थीं उन्हीं से फिर जांच किस बात की करवा रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ इसमें कोई शिकायत नहीं आयी थी ।

श्री यशपालसिंह वर्मा (जिला सहारनपुर)---

माननीय मंत्री जी ने यह फरमाया है कि एक्साइज इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट की कि वह दूकान खाली है इसलिये दूसरे आदमी को उसका अलाटमेंट कर दिया गया । दूसरे उन्होंने यह फरमाया है कि उस अलाटमेंट के बाद जिस नये अलाटी को वह अलाटमेंट किया गया, उसने बारह बजे जा कर उसका ताला तोड़ दिया । यह जो कुछ हड़बोम वहां पर हुआ, उसकी एक्साइज इंस्पेक्टरकी रिपोर्ट एक बुनियाद है । तो क्या उस एक्साइज इंस्पेक्टर के खिलाफ माननीय गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि कोई कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्रीमन्, मैंने कई दफा कहा जांच हो रही है । जब जांच की रिपोर्ट आ जाय तब पता चले कि आखिर वहां क्या हुआ ।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)---

आपने बताया कि दोनों ठेकेदारों ने आपस में समझौता कर लिया, पुराने ठेकेदार ने नये ठेकेदार के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया था, उस मुकदमे को वापस लेने की दरख्वास्त उसने अदालत में पेश की है तो क्या सरकार को इस बात की इत्तला है कि लोगों ने एक राजनीतिक स्टंट बनाने के लिये यह सब चीजें उठायी हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

वह क्या स्टंट है इसके पीछे इसकी इत्तला तो मुझे नहीं है ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

माननीय मंत्री जी बार बार इस प्रश्न को सदन में यह कहकर टाल रहे हैं कि जांच अभी नहीं हुई है । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जांच कौन अधिकारी कर रहा है और कब तक जांच पूरी हो जायगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

मैंने तो बताया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजा है कि इसकी रिपोर्ट भेजिये ।

श्री राधेश्याम शर्मा---

कब तक हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष---

यह कोई नहीं बता सकता ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

श्रीमन्, मैंने स्वयं उसी वक्त नवाबगंज पुलिस चौकी जो कि वहां से २५ गज की दूरी पर है वहां जाकर इसकी जानकारी प्राप्त की और कोतवाली में जाकर जानकारी प्राप्त की तो कोतवाल ने यह बताया कि एलाटमेंट आर्डर हमने सर्व नहीं किया है, तो क्या यह सच है और क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

क्या पुलिस मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वह जिलाधीश महोदय वही हैं जिन्होंने इस तरह से एलाटमेंट आर्डर दिया था, जो इस मामले की तफतीश कर रहे ह और जिनके आर्डर को यहां सदन में चुनौती दी गई है कि यह अवैध है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मैंने भेजा है, यह वाकया मैं बता सकता हूं। अब वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एलाटमेंट किया था या डी० एस० ओ० ने किया था, यह मैं नहीं कह सकता।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह---

मेरा उत्तर नहीं आया कि क्या वही जिलाधीश महोदय हैं जिनके आर्डर को यहां चैलेंज किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष---

एक बात स्पष्ट है, माननीय पांडेय जी ने प्रश्न किया कि जिस जिलाधिकारी के विरुद्ध शिकायत की गई है उसी को आपने सुपुर्द किया तो आपने कहा कि हां, उन्हीं के सुपुर्द किया है। तो बस, अब खत्म हो जाता है।

श्री उग्रसेन---

एक बात उन्होंने यह भी कही कि जिलाधीश के विरुद्ध शिकायत नहीं है।

श्री हरगोविन्दसिंह---

उन्होंने पूछा था श्रीमन्, कि उस तार में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत थी ? मैंने कहा कि तार में उनके खिलाफ शिकायत नहीं थी।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, तार की बात बाद में बना रहे हैं..... (व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या सरकार को जानकारी है कि इसी एक वर्ष के अन्दर परमानन्द, सत्यपाल और दूसरे आदमियों को जो कि उसी जनता पार्टी के आदमी हैं जिनके बारे में कि झगड़ा है और जो पंजाब से यहां आये हैं, उनको बहादुराबाद माइनर के नाम से अंग्रेजी शराब का एक ठेका दिया गया है और दूसरा ठेका ज्वालापुर से बदलकर वहां लाया गया और वह भी उन्हीं को दिया गया है (व्यवधान) और सिटी मैजिस्ट्रेट और दूसरे अधिकारियों ने यह सारी कार्यवाही वहां की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह जितने वाकयात माननीय सदस्यों ने बताये उसकी कोई इत्तिला मेरे पास नहीं है। अगर वह लिखकर देंगे तो मैं उसकी जांच करा लूंगा।

श्री जयगोपाल---

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस वाकये के संबंध में ५ अक्तूबर को मैं, माननीय ब्रह्मदत्त जी और उस मुहल्ले के लोगों का एक डेपुटेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिला और उनको

[श्री जयगोपाल]

यह बतलाया कि जिस वक्त गुंडों ने कब्जा लिया था सिटी मैजिस्ट्रेट वहां से २५ गज की दूरी पर चौकी नवाबगंज पर खुद बैठे हुये इसको डाइरेक्ट कर रहे थे और उनसे दरख्वास्त की कि वह इसकी तहकीकात करके इसके ऊपर कार्यवाही करें, लेकिन उन्होंने न कोई तहकीकात की और न कोई कार्यवाही की ? तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी सी० आई० डी० से इन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

श्रीमन्, इन वाकयात का तो पता नहीं है कि आप डेपुटेशन पर गये थे, लेकिन चूंकि आपने खुद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से इन्क्वायरी करने के लिये कहा था और उन्होंने नहीं की तो अब मैंने भेजा है, वह जरूर इन्क्वायरी करेंगे इसका मैं इतमिनान दिलाना चाहता हूं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि मैंने खुद मुख्य मंत्री जी के पास हाजिर होकर लिखित रूप में यह दिया है कि उस जिलाधीश द्वारा इन्क्वायरी न की जाय क्योंकि वह उस जनता पार्टी के सहयोगी हैं और उनकी मार्फत २९० हजार रुपया एन० डी० एफ० में दिया गया और उसके बदले लोगों को बड़े बड़े काम दिये गये हैं, क्या इसकी जानकारी सरकार को है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

आप मेरे पास डेपुटेशन में आये थे और कुछ कागजात भी छोड़ गये थे । मैं उन फैक्ट्स की जांच करा रही हूं । और उनका उत्तर आ जायगा तो फैक्ट्स की जानकारी होगी और उसके बाद जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

जिस शिकायत की बात माननीय मायर जी ने मुख्य मंत्री जी से की, क्या उस शिकायत की इन्क्वायरी भी वही जिलाधीश कर रहे हैं या दूसरे जिलाधीश कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कह दिया कि फैक्ट्स के बारे में जानकारी वह करा रही हैं । जब जानकारी हो जायगी तब उसके बारे में और कार्यवाही होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

इस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत है और डेपुटेशन भी आया और मंत्री जी से दरख्वास्त की, तो उस शिकायत की जांच भी वही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं या दूसरे अधिकारी कर रहे हैं ? या मंत्री जी किसी और के द्वारा जांच करा रही हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो वाकया हुआ है इसकी इन्क्वायरी कर रहे हैं । जब उनकी रिपोर्ट आ जायगी हमारे पास तब हम देखेंगे कि आगे उसमें और क्या कार्यवाही की जाय ।

अवैतनिक सभा सचिवों की नियुक्ति तथा उनके द्वारा शपथ ग्रहण करने पर आपत्ति

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, आपकी इजाजत से एक प्वाइंट आफ आर्डर, अवैतनिक सभासचिवों की जो नियुक्त की गई है सरकार की ओर से, उसके सम्बन्ध में उठाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप मुझे सुनने की कृपा करेंगे....।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह एजेंडे पर नहीं है न तो हमको मालूम नहीं है कि. . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । उनको सुन लीजिये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, सबसे पहले आपसे मैं यह निवेदन करूं कि अवैतनिक सभा सचिवों की नियुक्ति के संबंध में कोई लेजिस्लेटिव सैंक्शन इसके पीछे नहीं है नम्बर एक ? दूसरी बात यह कि इस विधान सभा में या संविधान में अवैतनिक सभा सचिवों की नियुक्ति के लिये कोई व्यवस्था आपने विधान में या कानून के जरिये नहीं की है । दूसरा प्रश्न यह है कि अगर यह अवैधानिक सभासचिवों की नियुक्ति होती है तो उनकी नियुक्ति करने के बाद जो उनको श्रोथ दिलायी गयी है उसका क्या अधिकार कानून में है ? और मुख्य मंत्री को क्या अधिकार है इस संबंध में, वह मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं ।

श्रीमन्, इसके पहले कि मैं नियुक्ति के बारे में कुछ कहूं, मैं मंत्रियों और सभा सचिवों के इतिहास के बारे में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं । किस प्रकार इनकी नियुक्तियां इंगलैन्ड में होती हैं इसके बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । श्रीमन्, इंग्लैंड में चार तरह के मंत्री नियुक्त किये जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक, स्टेट मिनिस्टर और चौथा होता है पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी । और श्रीमन्, यह नियुक्तियां वहां पर एक कानून के जरिये की जाती हैं जिसे क्राउन ऐक्ट, १९३७ कहते हैं । इंग्लैन्ड में सभासचिव का कार्य सदन में केवल इतना होता है कि वे सदन में बहुमत कायम रखें और उसके लिये अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें । इसीलिये जेंनिंग्स ने अपनी किताब पार्लियामेन्ट में कहा है :

"until recently he was known as Patronage Secretary, a name discending from the more expensive days when a majority was kept by Patronage or influence or as some would say, Corruption."

श्रीमन्, इसके बाद हमारे यहां भी और वहां भी प्राइवेट पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज की नियुक्ति होती है । उनकी नियुक्ति एम० पीज० के अन्दर से होती है और वह इसलिये कि सदन में जो इन्चार्ज मिनिस्टर हैं उसके किसी कृत्य को वह करें । सभासचिव के कृत्य हाउस आफ कामन्स में दूसरे हैं और प्राइवेट पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी के कृत्य दूसरे हैं । मैंने अर्ज किया कि पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी बहुमत को मेन्टेन करता है, वह इंफलुयेंस करता है बहुमत मेन्टेन करने के लिये और जेंनिंग्स ने इसे करप्शन तक की परिभाषा दी है कि बहुमत मेन्टेन करने के लिये वह करप्शन तक का सहारा ले सकता है और प्राइवेट पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी किसी मिनिस्टर के किसी दिये हुये कृत्य को सदन में करता है और यही दोनों में फर्क है । इस तरह से वहां पर के ये चार तरह के मिनिस्टर हुये, जिनका मैंने जिक्र किया ।

इंगलैन्ड में क्राउन द्वारा सभा सचिवों की नियुक्ति नहीं होती है जैसा कि Herbert Morrison की पुस्तक "Government and Parliament." के पृष्ठ ५९–६० पर दिये हुये निम्नलिखित अंश से स्पष्ट होगा :—

"According to authoritative advice Parliamentary Secretaries are not Ministers of the Crown, for they are not appointed by the Sovereign (though the sovereign is informed of such proposed appointments) Constitutionally, "they have no powers." जेंनिंग्स ने अपनी पुस्तक "Cabinet Government" के पृष्ठ ५९ पर यह कहा है—

"There are about thirty other Parliamentary Secretaries or other persons ranking as Assistant Ministers."

इसके अनुसार सभा सचिवों को सहायक मंत्री समझा जाता है ।

[श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय]

इसके बाद चूंकि परंपराओं की बात कही जाती है, इसलिये उस संबंध में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं, और यह कहना चाहता हूं कि उनकी वैधानिक स्थिति क्या है। श्रीमन्, हमारे यहां जो पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी नियुक्त होते हैं उनके लिये न तो हमारे यहां विधान में ही कोई व्यवस्था की गयी है और न किसी भी नियम को बना कर इस विधान सभा ने उनके लिये कोई व्यवस्था की है। केवल हमारे रूल्स आफ प्रोसीजर के नियम ३ को आप देखें तो उसमें मंत्री की परिभाषा में कहा गया है कि मंत्री का तात्पर्य मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य से है और इसमें राज्य मंत्री, उपमंत्री तथा ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं जिनको ऐसा मंत्री इन नियमों के अन्तर्गत सौंपे गये किसी कृत्य का प्रत्यायोजन करें। मेरा कहना यह है कि विधान की धारा १६४ के अन्तर्गत जो कौंसिल आफ मिनिस्टर्स को अप्वाइंट किया जाता है उसमें महामहिम राज्यपाल द्वारा न तो उनको शपथ दिलायी जाती है और न मुकर्ररी की जाती है। यह मुकर्ररी मुख्य मंत्री स्वयं करते हैं और स्वयं उनको शपथ दिलाते हैं और इंटीमेशन गवर्नर के पास भेज देते हैं कि हमने सभासचिव को नियुक्त किया है। मेरा कहना यह है कि हमारे यहां दो तरह के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की नियुक्ति हो गयी जैसे कि इंगलैन्ड में हुई। एक तरफ तो मुख्य मंत्री ने की और शपथ दिलाई और दूसरी तरह की नियुक्ति किसी कृत्य को करने के लिये मिनिस्टर इंचार्ज किसी भी सदस्य को अपनी पावर डेलीगेट कर देता है तो दूसरी तरह की वह नियुक्ति हुई। तो मैं हाउस आफ कामंस के अन्दर जो हैसियत प्राइवेट पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की है उसी हैसियत के अपने यहां आनरेरी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को मानता हूं।

अब मेरा कहना यह है कि इन नियुक्तियों के पीछे क्या लेजिस्लेटिव सेंक्शन है ? इस नियुक्ति के पीछे कोई लेजिस्लेटिव सेंक्शन नहीं है, केवल यू० पी० का १९५६ का मिनिस्टरों और डिप्टी मिनिस्टरों इत्यादि का इमाल्यूमेंट ऐक्ट है जो कि ऐक्ट नम्बर ८ द्वारा १९६१ में अमेंड हुआ। उसके सेक्शन ३, ४ और ५ को अगर आप देखें तो उसमें उनके इमाल्यूमेंट के बारे में कहा गया है कि इनको फ्री फरनिश्ड बंगला मिले, उनकी फैमिली को फ्री मेडिकल एड मिले, भत्ता वही मिलेगा जो फर्स्ट क्लास वन क्लास आफिसर को मिलता है। सेक्शन ११ को आप देखें तो उसमें कहा गया है कि जब उनकी नियुक्ति होगी तो उसक बाद एक नोटिफिकेशन निकलेगा, गजट निकलेगा कि आप नियुक्त कर दिये गये हैं और उसके बाद जिस समय वह सीज करेंगे उस समय उसका गजट हो जायगा कि सीज कर गये। लेकिन कहीं पर यह विधान नहीं है कि उनका अप्वाइंटमेंट किस नियम, किस धारा, किस कानून के अन्तर्गत किया गया है, इसका कोई प्राविधान नहीं है। न तो लेजिस्लेचर में कोई इनेक्टमेंट बना है जिसमें इस तरह की परिभाषा की गयी हो और न तो विधान में संशोधन द्वारा ही कुछ किया गया है।

श्रीमन्, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी सिलसिले में माननीय बनारसीदास ने अपनी एक प्रेस कांफ्रेंस में यह कहा था कि १९३७ से इसकी परम्परा चली आ रही है और उसी के अनुसार इनकी नियुक्ति की जाती है। मेरा कहना है कि रिसोडुअरी प्रीरोगेटिव पावर अब जनता में विधान बनने के बाद वेस्ट कर गया। इस संबंध में आप देखें कि सरकार ने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की नियुक्ति तथा उनकी डिसक्वालिफिकेशन को रिमूव करने के लिये तो कानून बनाया, मगर श्रीमन्, आनरेरी सेक्रेटरीज की डिस्क्वालिफिकेशन्स को रिमूव करने के लिये सरकार ने कौन सा कानून बनाया ? १९६१ में पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिवों, आदि से संबंधित एक बिल पास हुआ और उसकी धारा ४ के अन्तर्गत पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का वेतन बन्द कर दिया गया और उनकी जगह आनरेरी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को कर दिया गया और यह कहा गया कि उनको वही वेतन मिलेगा जो कि एक माननीय सदस्य को मिलता है, यानी २०० रुपये। अब मेरा श्रीमन्, कहना यह है कि सन् १९६१ में जब आपने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का पद तोड़ दिया और उनकी जगह आनरेरी सचिवों को किया तो आपने उनकी डिसक्वालिफिकेशन

को रिमूव करने का कोई प्राविधान क्यों नहीं किया ? उसमें कहीं भी उनकी नियुक्ति का प्राविजन नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मेरा यह एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय पांडेय जी जिस विषय पर बोल रहे हैं उसका कोई जिक्र आज के एजेंडे में नहीं है । एजेंडे के बाहर के किसी विषय पर वे तब तक नहीं बोल सकते जब तक कि सारे सदन की उसके लिये सहमति न हो । तो वे किस प्रकार बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

नियम ३०१ के अन्तर्गत प्रश्न उठाया जा सकता है । माननीय नरसिंहनारायण और रामायणराय के लिये मेरे पहले के आदेश हैं कि उनको आज मैं सुनूंगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि सन् १९६१ में जब आपने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के पदों को समाप्त कर दिया, उनकी जगह आपने अवैतनिक सचिवों को कर दिया, तो जो कन्वेन्शन पहले से चली आ रही थी उसको तो सन् १९६१ में ही तोड़ दिया गया । श्रीमन्, क्राउन ऐक्ट जब बना था, उस समय यह कन्वेन्शन शुरू की गयी थी । उस ऐक्ट के अनुसार क्राउन अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की नियुक्तियां किया करता था । जब २६ जनवरी के बाद हमारा विधान बना तो यह व्यवस्था नहीं रह गयी । अब उसकी व्यवस्था हमारे कानून में साफ हो गयी है और इस संबंध में आप आर्टिकिल १६ को देखें जिसमें यह है कि सब नागरिकों को नौकरियों के लिये समान अवसर की गुंजायश होगी । उसमें कंडीशन आफ सर्विसेज दी हुई हैं । मेरा कहना है कि आज जो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी आनरेरी नियुक्त किये गये हैं उनका लेजिस्लेटिव सेंक्शन क्या है ? इसीलिये मैं कहता हूं कि जो आज आनरेरी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज नियुक्त हुए वे विधान के अन्तर्गत नहीं हैं । उसके संबंध में मैं कुछ रूलिंग देना चाहता हूं । श्री बिन्द्रा की किताब में से मैं यह बता रहा हूं, वे कहते हैं :

"When a rule of practice or prudence or whatever else it may be called conflicts with the law as laid by the legislature, the court is bound to follow the law. (Emperor U. C. A., Mathews A. I. R. 1929 Cal. 822, 824. State U. Chhadani, A.I.R. 1957 All 639, 640).

श्रीमन्, मैं आपको एक नोट दे रहा हूं जो मैंने महामहिम राज्यपाल को भेजा है । इसमें मेरे पूरे आर्ग्यूमेंट्स हैं । इसको मेरे आर्ग्यूमेंट्स मान लिया जाय । क्योंकि मैं इस थोड़े से समय में कुछ कह न पाऊंगा ।

श्रीमन्, इसके बाद मेरा इस संबंध में यह कहना है :—

"Not one jot or one title can be taken away from or added to the plain and express provision of the Legislature by any decision of the court." (In re. An attorney I..L.R. 41, Cal. 446, 457).

यह भी बिन्द्रा का है ।

श्रीमन्, जो दूसरी बात ओथ के संबंध में कही गयी है उसके बारे में मेरा पहला कहना तो यह है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का ओथ लेना भी इल्लीगल हुआ । इस संबंध में इंडियन ओथ ऐक्ट १०, १९७५ को यदि आप देखें तो उसकी धारा १६ में इस प्रकार है—

"No person appointed to any office shall before entering on the execution of the duties of his office be required to make any oath, or to make or subscribe any affirmation."

[श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय]

इसमें केवल इतना ही एक्सेप्शन रखा गया है—

"Exception to this Rule has been made only in cases of proceedings before Courts Martial, Members of the Armed Forces of the Union, Witnesses Interpreters and Jurors."

लेकिन मैन्युअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स के पैरा १०५ को यदि आप पढ़ें और उसमें जो इसके संबंध में व्यवस्था है वह भी धारा १६ के विरुद्ध जाती है, ऐसा मेरा कंटेंशन है ।

श्रीमन्, मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि जो यह गवर्नमेंट आर्डर है वह इंडियन ओथ ऐक्ट की धारा १६ के विरुद्ध जाता है । इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिये, इस तरह का कोई प्रावीजन नहीं होना चाहिये जो किसी ला के खिलाफ जाता हो ।

इसके बारे में २६ जून, १९४७ को पहली बार यह प्रश्न उठाया गया था । यह सवाल श्री ऐजाज रसूल साहब ने उठाया था । उस समय लोकलसेल्फ गवर्नमेंट के सभा सचिव श्री ए० जी० खेर थे। जब वे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का २८ नं० का ग्रांट मूव करने लगे तो उसी समय श्री ऐजाज रसूल साहब ने यह सवाल उठाया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर को कोई राइट नहीं है कि वे अपने पावर को सभा सचिव को डेलीगेट कर दें कि वे उस ग्रांट को मूव करें। इस पर रूलिंग दी गयी कि मिनिस्टर अपना पावर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को डेलीगेट कर सकता है गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अन्तर्गत। इस रूलिंग को मैंने क्रिटिसाइज किया है और मैंने अपने आर्गूमेंट में कहा है कि चूंकि उस समय इंडिया ऐक्ट लागू था इसलिये उस समय तो यह बात ठीक हो सकती थी लेकिन अब जब कि हमारा नया संविधान बन गया है तो उस समय की वह रूलिंग इस पर लागू नहीं होती ।

इसके बाद १८ जनवरी, सन् १९५६ को माननीय अली जहीर साहब ने जब यू०पी० स्टेट लेजिस्लेचर, आफिसर्स मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज ऐंड मेम्बर्स (सैलरीज ऐंड अलाउन्सेज ऐंड मिसलिनियस प्रोविजन्स) बिल, १९५५ को यहां पेश किया था तो उस समय भी तृतीय वाचन के समय श्री नारायण दत्त तिवारी ने इस प्रश्न को उपस्थित किया था । श्री नारायण दत्त तिवारी ने कहा था कि कांस्टीट्यूशन की धारा ७५ के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस करने पर प्रेसीडेंट पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का एप्वाइंटमेंट करता है और प्रेसीडेंट द्वारा ही उनको शपथ दिलायी जाती है । इस संबंध में उन्होंने बंगाल और बम्बई का भी कोटेशन दिया था जहां पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का एप्वायंटमेंट संविधान की धारा १६४ के अन्तर्गत गवर्नर महोदय द्वारा होता है, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री महोदया ने उनका एप्वायंटमेंट करके उनको स्वयं ओथ दिला दिया । यह मेन क्वेश्चन है । इस संबंध में भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री ए०जी० खेर साहब ने जो रूलिंग दी उस पर बहुत ज्यादा बहस चली और उन्होंने कहा कि इस प्रकार का एक प्रश्न कांस्टीटुएंट असेम्बली में भी उठा था कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज, डिप्टी मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स भी मिनिस्टर्स में इनक्लूड करते हैं या नहीं, और इस पर श्री के०टी० शाह ने एक संशोधन भी रखा था लेकिन वह स्वीकार नहीं किया गया और उसके बाद ही जब यह प्रश्न प्रिवेंशन आफ डिस्क्वालिफिकेशन बिल, १९५० लिया गया तो १० मार्च, १९५० को बहस के बीच में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था :—

"So far as we are concerned in Government there is no lacuna and as the constitution is framed we thought and we still think that Minister of State and Deputy Minister belong to the Council of Ministers. We are quite clear about that and therefore, it never struck at that time to make any provision in the Constitution."

As the Prime Minister had said nothing about the inclusion of Parliamentary Secretaries in the Council of Ministers, the Deputy Speaker of Lok Sabha himself posed the question to the Prime Minister who replied :

"Apart from that, in Parliamentary Procedure as it prevails in the United Kingdom and in such other countries where there is democracy, such grades of Ministers and Secretaries do exists. I think it is a right thing for them to exist because if you have an efficient Parliamentary Democratic machinery, there must be these grades for training purposes."

इस पर लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा---

"The Speaker came to the conclusion that the Parliamentary Secretaries and the Deputy Ministers are also included in the Council of Ministers."

प्राइम मिनिस्टर के इन आब्जरवेशन्स और कांस्टीटुयेंट असेम्बली के डिबेट्स के आधार पर लोक सभा के अध्यक्ष इस नतीजे पर पहुंचे कि सभा सचिव और उपमंत्री मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित हैं लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सभा सचिवों के बारे में उन्हें कुछ संदेह है, परन्तु उस समय उनके समक्ष प्रश्न सभा सचिवों का वेतन कानून के द्वारा निर्धारित करने का था और जो भी सदस्य मंत्रियों के संसदीय कर्त्तव्यों के पालन में उनकी सहायता करता है उसके लिये वेतन निर्धारित करने में कोई हर्ज नहीं है । सभी सचिवों की नियुक्ति का प्रश्न उनके समक्ष नहीं था और इस लिये उन्होंने यह कहा कि संविधान में जिस चीज की मनाही नहीं की गई है वह तो की ही जा सकती है । उन्होंने यह भी कहा कि वह कानून की बारीकियों में नहीं जाना चाहते क्योंकि संविधान की वही व्याख्या बाइंडिंग और फाइनल होगी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाय। बहरहाल लोक सभा के अध्यक्ष ने अपने निर्णय में इस बात की ओर इशारा किया था कि सभा सचिवों की नियुक्ति और उनके द्वारा शपथ ग्रहण भी अनुच्छेद १६४ के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा होना चाहिये, किन्तु सरकार ने इस सुझाव पर भी अमल नहीं किया और सभा सचिवों की नियुक्ति अभी भी संविधान के अनुच्छेद १६४ के अन्तर्गत नहीं की जा रही है लेकिन नये संविधान के अनुसार यह आवश्यक है कि सरकार इस चीज को वापिस ले। आज वह पुरानी परम्परा टूट चुकी है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप संविधान के आर्टिकल १९२(१) के अनुसार कार्यवाही करें और इन पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की सीट्स को वैकेंट करार देकर उनको इस सदन की सदस्यता से हटा दें।

श्री अध्यक्ष---

लेकिन इसके लिये तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि वे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हैं। अब दूसरे प्वाइन्ट को कन्फ्यूज मत कीजिये क्योंकि अगर आप यह कहते हैं कि इनकी सीट वेकेन्ट डिक्लेयर करो तब आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि यह पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

(न्याय मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर) सभी की बातें तो सुन लें, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष---

यह जरूरी नहीं है। मैं जिसको मुनासिब समझूंगा, सुन लूंगा।

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)---

अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का एक बहुत पुराना तरीका इंग्लिश पार्लियामेंट में चला आ रहा है जिसको कि हम जानते हैं लेकिन जैसा कि सब लोगों को मालूम है, वहां भी कोई रिटिन कांस्टीट्यूशन नहीं है। ज्यादातर मामले कंवेंशन के ऊपर चलते हैं सिर्फ बहुत मखसूस बातों पर पार्लियामेंट वहां वक्तन-फवक्तन कानून बनाती रही। इस सूबे में जब सन् १९३७ में पहले पहले कांग्रेस गवर्नमेंट आयी, एक डेमोक्रेटिक सेट अप यहां तैयार हुआ, उस वक्त जरूरत महसूस की गयी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हों। चुनांचे उस वक्त की लेजिस्लेटिव कौंसिल में एक कानून पास किया गया और उसके जरिये से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और उनकी तनख्वाहें वगैरह मुकर्रर की गयीं। वह लोग काम करते रहे। जैसा माननीय

[श्री सैयद अली जहीर]

सदस्य भी जानते हैं कि १९३९ में वह गवर्नमेंट खत्म हो गयी और उसके बाद यहां गवर्नर्स रूल लड़ाई के जमाने में बन गया। उसके बाद दोबारा यहां जब कांग्रेस गवर्नमेंट आयी तो फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। इन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज ने सन् १९५० की २६ जनवरी तक काम किया। उस समय जिस वक्त कि कांस्टीट्यूशन पास होने वाला था उसके लागू होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं रहे। तब यहां पर पहला कानून पास हुआ, वह ऐक्ट आफ फिफ्टी था जिसके जरिये से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव किया गया। उसमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के लिये आनरेरी या गैर-आनरेरी का कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। उसमें जो लफ्ज है वह सिर्फ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का है कि जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होंगे उनको तनख्वाह मिलेगी, उस आफिस की वजह से उनको डिस्क्वालिफिकेशन असेम्बली के मेम्बर होने में नहीं होगा, जैसा कि मिनिस्टर्स के लिये नहीं होता है, इसके लिये कानून पास हुआ। वह कानून फरवरी, १९५० में लागू हुआ। और जब वह कानून बन गया तब उस के बाद से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की तकर्ररी शुरू हुई। दूसरा कानून जो इसके मुताल्लिक viii हुआ वह ऐक्ट आफ फिफ्टी सिक्स है। इसकी दफा ३ में लिखा गया है :—

"3(1) There shall be paid to each Parliamentary Secretary a salary of Rs. 600 per mensem.

(2) Each parliamentary Secretary shall be entitled without payment of rent to the use throughout the term of office of a residence at Lucknow furnished on a scale to be provided by rules made by the State Government, and for so long as a residence as aforesaid has not been provided to a compensator, allowance of rupees one hundred per mensem."

उसमें यह बात तफसील से लिखी गयी, जिस तरह से और मिनिस्टर्स के लिये कहा गया है उसी तरह से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के लिये भी अमेनिटीज प्रोवाइड की गयीं। उसकी दफा ११ में यह भी दिया गया है कि गजट में नोटिफिकेशन इस बात का कन्क्लूसिव एवीडेंस होगा कि यह पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं। और यही परम्परा ६१ तक बनी रही और उनको तनख्वाह और दीगर अमेनिटीज मिलती रहीं। उसकी दफा ११ में अल्फाज इस तरह पर है :—

"11. The date on which any person became or ceased to be a Minister or Deputy Minister or Parliamentary Secretary shall be published in the official Gazette and any such notification shall be conclusive evidence of the fact that he became, or ceased to be a Minister, Deputy Minister or Parliamentary Secretary on that date for all purposes of this Act".

उसके बाद यह चलता रहा, लेकिन १९६१ में एक अमेंडिंग ऐक्ट पास हुआ जिसका हवाला माननीय सदस्य ने भी दिया है। उसमें जो मैंने सेक्शन ३ अभी पढ़ा था उसमें तरमीम करके यह कर दिया गया :—

"4 (1) for section 3 the following shall be substituted—

"3. (1) There shall be paid no salary to a Parliamentary Secretary, but for the period of his stay at Lucknow in connection with public business he may be allowed such daily allowance as may be prescribed by rules to be made by the State Government in this behalf :

Provided that a Parliamentary Secretary, appointed after the seventh day of December, 1960, who is a member of the Uttar Pradesh legislative Assembly or of the legislative council, shall remain, from the date of his appointment as such, entitled to receive the same salary as was payable to

him as such member, under the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) Act, 1952 ; anything contained in section 3 of that Act to the contrary notwithstanding, as if this proviso had been in force with effect from the seventh day of December, 1960.

(2) Each Parliamentary Secretary shall be entitled without payment of rent to the use, through out the term of his office, of a residence at Lucknow furnished on a scale to be provided by rules made, by the State Government, and for so long as a residence as aforesaid has not been provided, to a compensatory allowance of rupees one hundred per mensem".

तो आप देखेंगे कि इन कानूनों के मुताबिक वह डिसक्वालिफाई नहीं होंगे और उनकी तकर्ररी हो सकती है । इसके मुताल्लिक कानून है कि कैसे नोटिफाई होगा और किस तारीख को वह पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं रहेंगे, यह सब बातें इस तरह से प्रोवाइड होती रही हैं । अब यह कहना कि इसके मुताल्लिक कोई अलग कानून नहीं है और किसी कनवेन्शन का हवाला देना मेरे खयाल से बिलकुल बेकार की बहस हो जाती है ।

दूसरी बहस यह होती है कि अगर वह कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के मेम्बर हैं तो दफा १६४ संविधान की जो है जिसमें यह लिखा है कि ओथ लेना पड़ेगी और ओथ उन लोगों ने नहीं ली है। आर्टिकिल १६४ की क्लाज ३ में लिखा है कि—

"Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule".

श्री अध्यक्ष—

मैं अर्ज कर दूं कि इस वक्त मेरा खयाल है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में नहीं आते। पहले आप बतायें कि वे कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में कैसे आते हैं? वह मैं पहले सुन लूं।

श्री सैयद अली जहीर—

यही मैं कहता हूं, उनकी बहस यह है कि ओथ कायदे से नहीं ली गई। मेरा कहना है कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में वे नहीं आते, वे गवर्नमेंट के मेम्बर कहला सकते हैं क्योंकि वे गवर्नमेंट से असोसियेटेड हैं लेकिन वे कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, तो श्री नेकराम जी समझा दें कि वे कैसे कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में आते हैं?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मैं तो इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि वे नहीं आते।

श्री अध्यक्ष—

वह नहीं आते?

श्री नेकराम शर्मा—

जी हां, वह नहीं आते।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

जो खड़े होते हैं उनको तो आप बोलने की अध्यक्ष महोदय, इजाजत नहीं देते और जो बैठे होते हैं उन से आप बोलने के लिये कहते हैं। आप भी नेकराम शर्मा से पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप से भी मैं पूछ सकता हूं, आप बैठ जाइये।

अब जो यह बहस करना चाहते हैं कि वह कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में आते हैं, वे कृपया खड़े हो जायं।

(किसी के न खड़े होने पर)

तो यह खत्म हुआ, कोई नहीं कहता कि आते हैं। अब यह बहुत बड़ा नोट दिया गया है, इसको मैं पढ़ लूंगा और आवश्यकता होगी तो सुनूंगा।

श्री नेकराम शर्मा—

आप कृपा करके हमें अपनी बात कहने का मौका दें। हम अपनी बात कहने के लिये परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो कहा कि अगर मैं जरूरत समझूंगा तो सुनूंगा....

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

थोड़ा समय आप हमको भी इस सम्बन्ध में दें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आपको मैं साढ़े ५ बजे सुन लूंगा।

झांसी बिजली कम्पनी के कथित कुप्रबन्ध के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब यह झांसी बिजली कम्पनी के सम्बन्ध में है, इस पर माननीय....

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

यह जो श्रीमन्, ८ नम्बर का आइटम झांसी बिजली कम्पनी के सम्बन्ध में है, इस में यह स्पष्ट नहीं है कि किस तारीख को नोटिस हुआ, किसने नोटिस दिया और यह कहा कि झांसी कम्पनी का जाल बट्टा पूरे प्रदेश में है। तो यह सब स्पष्टीकरण करा दें तो आसानी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, मैं निवेदन करूं। जहां पर मैं यह आदेश देता हूं कि केवल वक्तव्य के लिये होगा, वहां पर नाम इसलिये नहीं छपता है कि किसी को प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। अब मन्त्री जी वक्तव्य देंगे। उससे जो प्रश्न होंगे वह बाद में आप पूछ सकते हैं।

विद्युत् उप-मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

मेरा लम्बा वक्तव्य है। लेकिन मैं पहले ही निवेदन कर दूं कि सब लोग उससे प्रसन्न होंगे, इससे किसी को शिकायत नहीं होगी। अब मैं अपना वक्तव्य प्रारम्भ करता हूं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

इससे पहले कि आप मन्त्री जी को सुनें, आपने आदेश दिया कि साढ़े पांच बजे मुझको सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको सुनूंगा। १५ मिनट रहेंगे।

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, झांसी को, झांसी में बिजली उत्पादन तथा वितरण करने के लिये लाइसेंस १९२७ में दिया गया था। कम्पनी झांसी में विगत ३५ वर्षों से बिजली वितरण कर रही है और उसका लाइसेंस सन् १९६७ तक है, परन्तु कम्पनी का लाइसेंस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा ४ में उल्लिखित दशाओं में भी रद्द किया जा सकता है।

विगत फरवरी से कम्पनी के जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में एक न एक खराबियां हो रही हैं। फरवरी में दो आल्टरनेटर (प्रत्येक २५० किलोवाट के) खराब हो गये। इनमें से एक आल्टर-नेटर को कम्पनी कुछ दिनों पश्चात् पुनः चालू कर सकी। परन्तु यह फिर एक जुलाई को बिगड़ गया। कम्पनी ने ११० किलोवाट का एक आल्टरनेटर जो कि उसके पास पड़ा था प्रयोग में लिया परन्तु वह भी २० अगस्त को बेकार हो गया। कम्पनी ने २५० किलोवाट के एक आल्टरनेटर की पूर्ण मरम्मत कराने के पश्चात् उसे २४ जुलाई को चालू कर दिया। परन्तु अगस्त में कम्पनी के एक उत्पादन यन्त्र में खराबी हो जाने के कारण विद्युत् सप्लाई में सुधार न हो सका। सरकार इस मामले में बराबर ध्यान दे रही है। बिजली वितरण व्यवस्था को बनाये रखने के लिये इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर द्वारा कम्पनी को यथासम्भव प्राविधिक सहायता दी गई और हल्द्वानी नगरपालिका के दो जनरेटिंग सेटों को खरीदने में भी सहायता दी गयी। कम्पनी को नोटिस दिया गया था कि यदि वह झांसी में ७ सितम्बर तक बिजली देने की सुचारु व्यवस्था नहीं कर सकेगी और उसके लिये अपने बिगड़े हुए आल्टरनेटर को ठीक न करा सकेगी तथा हल्द्वानी नगरपालिका से खरीदे सेट को चालू न करेगी तो उसके लाइसेंस को रद्द करने की दिशा में कार्यवाही की जायगी।

११ सितम्बर को कम्पनी का एक ३५० किलोवाट का सेट भी टूट गया जिसके कारण झांसी में बिजली की भारी कमी हो गयी और कम्पनी ने उद्योग धंधों के लिये बिजली देना बन्द कर दिया। यद्यपि कम्पनी मिलिटरी, वाटर वर्क्स, अस्पताल इत्यादि को बिजली देने के क्रम को इसी प्रकार चालू रखे थी परन्तु उत्पादन क्षमता ऐसी नहीं थी कि सड़क की बत्तियों इत्यादि के लिये पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो। कम्पनी ने १०० किलोवाट के जनरेटिंग सेटों के लिये प्रार्थना किया था परन्तु ऐसे सेट उपलब्ध न होने के कारण कम्पनी को नहीं दिये जा सके। अन्य साधनों से बिजली प्राप्त करने के मसले पर भी गौर किया गया परन्तु यह सम्भव नहीं पाया गया कि तत्कालीन संकट को दूर करने के लिये ऐसा प्रबन्ध हो सकता है।

कम्पनी ने हल्द्वानी नगरपालिका से खरीदे गये एक २५० किलोवाट का सेट १० अक्तूबर, १९६३ को चालू कर दिया है। इसके कारण स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। कम्पनी के १४ अक्तूबर, १९६३ के पत्र से विदित होता है कि १० दिन के अन्दर जब कि कम्पनी का एक २५० किलोवाट का आल्टरनेटर जो मरम्मत में है, ठीक हो जायेगा, स्थिति में और सुधार होगा। यद्यपि इस प्रकार व्यवस्था कुछ सुधर गई है परन्तु इसके बावजूद सरकार की धारणा है कि कम्पनी संतोषजनक रूप से झांसी में बिजली सप्लाई की व्यवस्था न कर सकेगी। इस व्यवस्था को सुचारु रूप से कायम करने के लिये कम्पनी के लाइसेंस को रद्द करके उसके व्यवसाय को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के सुपुर्द करने की दिशा में सरकार द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। आशा है कि १ नवम्बर को इस कम्पनी का व्यवसाय विद्युत् परिषद् ले लेगी।

(इस समय १ बज कर २ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९६३†

*विद्युत् उप मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय। साधारणतया कंट्रोल ऐसी चीज है जिसे लोग पसन्द नहीं करते और कंट्रोल होना भी नहीं चाहिये यदि उसकी आवश्यकता न हो। पर कभी-कभी स्थिति ऐसी होती है कि कंट्रोल की बड़ी आवश्यकता रहती है और उसको करना ही चाहिये जैसे कि मकानों की बड़ी कमी है और कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहेंगे कि रेंट कंट्रोल ऐक्ट को हटा दिया जाय। हमारे यहां बिजली की भी स्थिति ऐसी ही है।

सेकेंड प्लान के अन्त में हमारे प्रदेश में ३ लाख १२ हजार किलोवाट बिजली कुल थी और हमारे प्रदेश में पर कैपिटा कन्जम्प्शन होता था ११.६८ यूनिट पर एनम जबकि किसी-किसी प्रदेश में यह ७७ यूनिट पर एनम पर कैपिटा और पंजाब में ८० यूनिट पर कैपिटा पर एनम खर्च होता है। हमारा यह दुर्भाग्य रहा है कि सेकेंड प्लान में हमारे प्रयत्न के बावजूद भी हम ज्यादा बिजली बना नहीं सके।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मन्त्री जी जो यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वह लैप्स हो चुका है, इसलिये सदन में उस पर बहस नहीं हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप कैसे कहते हैं?

श्री नेकराम शर्मा--

यह इसलिये कि असेम्बली प्रोरोग हो चुकी है। ३० तारीख को यह आने वाला था, लेकिन २७ को ही असेम्बली एडजर्न हो गयी थी और ३० तक इसकी मियाद थी, इसलिये आटोमेटिकली यह लैप्स हो गया।

श्री उपाध्यक्ष--

बिल्स लैप्स नहीं हुआ करते हैं।

श्री नेकराम शर्मा--

आप पूछ लीजिये, बिल भी लैप्स हुआ करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

बिल्स डिस्सोल्युशन के बाद होते हैं, वैसे नहीं होते।

श्री नेकराम शर्मा--

३० तारीख तक इसकी मियाद थी। २७ तारीख को असेम्बली उठ गयी। हमने इसको पास नहीं किया लिहाजा यह पास नहीं हो सकता। यह लैप्स हो गया है। आप सलाह ले लें।

---

†१७ अक्तूबर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह लैप्स नहीं हुआ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कौंसिल में चूंकि यह बिल पास हो गया है इसलिये वह कंटीन्यू माना जाता है ऐसा ही मुझे ला डिपार्टमेंट ने बताया था। मैं नेकराम जी से खासतौर से यह भी कहूंगा कि यह बिल तो सब के हित में है।

श्री नेकराम शर्मा—

यह तो हम मानते हैं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

व्यवस्था का प्रश्न है। जैसा कि नेकराम जी शर्मा की बात पर माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ला डिपार्टमेंट से उन्होंने पूछ लिया है तो क्या उनके मन में भी यह धारणा पैदा हुई थी और उन्होंने पूछ लिया या अन्दाजन सदन को बता रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब वे कह रहे हैं कि उन्होंने पूछ लिया तो पूछ ही लिया होगा।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल का आज यहां पेश होना कानूनन जायज है और यह बिल इतना आवश्यक है कि मेरी बात सुन कर आप यह कहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी पास होना चाहिये और जो थोड़ी देर इसमें हो गयी है उसी के लिये आप कहेंगे कि इतनी देर क्यों हुई।

बहरहाल, मैं कह रहा था कि हमारे यहां बिजली की बड़ी कमी थी और उसके बढ़ाने के लिये हमने बड़ा प्रयास किया और उस प्रयास में जो हमारे प्लान में बिजली थी उसके बाहर भी हमने कुछ थोड़ा-सा प्रयत्न किया और अब इस प्लान के खत्म होते-होते हम ७ लाख ५७ हजार किलोवाट एडीशनल बिजली बना लेंगे। मैं यह तो नहीं कहता कि इससे हमारी बिजली की कमी पूरी तरह दूर हो जायगी लेकिन काफी हद तक हमारी आवश्यकता जरूर पूरी होगी। फिर भी, जैसा मैंने कहा, बिजली की कमी है और उसके लिये एक ही तरकीब है कि थोड़ा इस तरह से कंट्रोल किया जाय कि जो एसेन्शल चीजें हैं उनको बिजली दें और जो कुछ नान-एसन्शल चीजें हैं उनके सम्बन्ध में थोड़ा-सा हाथ रोक दिया जाय। इस कंट्रोल ऐक्ट में हमारे पास यह भी ताकत है कि बिजली की प्राइवेट कम्पनियां ज्यादा दाम न लें। साधारण-तया एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट में यह है कि वे ६ परसेंट से ज्यादा मुनाफा नहीं ले सकतीं लेकिन उसमें भी यह है कि पहले वे अपना हिसाब करें उसके बाद अगर वे रेट बढ़ा दें तो रेटिंग कमेटी उसको देखे। इस तरह से वह वर्षों का झंझट हो जाता है। माननीय सदस्यों को यह मालूम होगा कि पिछले जमाने में मार्टिन कम्पनी ने बिजली के रेट्स बढ़ाये थे तो हमने उसको इसी के द्वारा रोक दिया था और वह नहीं बढ़ा सकी थी। ५—७ कम्पनियां ऐसी हैं जिन्होंने बढ़ा दिया उसको हमने इसी आर्डर से कम ही नहीं किया बल्कि कन्ज्यूमर्स को उससे पैसा दिलवा दिये।

हमारा यह प्रयास है कि जब तक प्राइवेट कम्पनियां हैं और हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं होती है तब तक यानी ५ वर्ष के लिये इसको और बढ़ा दिया जाय और इससे रेग्यूलेट करें जिससे हमारे प्रदेश में इन्डस्ट्री बढ़ सके। देहातों में आज भी १५ किलोवाट तक बिजली का डिकंट्रोल है। हां, शहरों में कुछ कमी है। हमारी इच्छा है कि देहातों में बिजली और बढ़ायें। कानपुर में बिजली काफी थी इसलिये वहां पर १०० किलोवाट तक हमने डिकंट्रोल कर दिया है। हमारे पूर्वी जिलों में भी बिजली पर्याप्त मात्रा में है इसलिये वहां कन्ट्रोल का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि वहां जितनी बिजली चाहें मिल सकती है।

[श्री शांतिप्रपन्न शर्मा]

हमने अपने प्रदेश में एक बड़ा भारी सेंट्रल ग्रिड बनाया है। रिहन्द से हम गोरखपुर इलाहाबाद वगैरह को कनेक्ट कर दें और हरदुआगंज से कानपुर वगैरह को कनेक्ट कर दें जिससे हमें काफी बिजली मिल सके। पहले हमारे यहां केवल ३ लाख १२ हजार किलोवाट बिजली थी लेकिन अब १७ लाख ६९ हजार किलोवाट बिजली हो जायगी और हमारी इच्छा है कि चौथे प्लान में हम भारत सरकार से और सेंट्रल पावर कमीशन से मांग करें कि वह हमें १६ लाख किलोवाट बिजली और दें। आप अन्दाजा लगाइये कि पहले ४ लाख किलोवाट के करीब बिजली थी उसको डेवलप करनें में १०-१२ साल लग गये। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि अगले प्लान तक साढ़े सोलह लाख किलोवाट और बिजली लाने का प्रयास कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह चाहूंगा कि यह एक छोटा-सा बहुत इन्नोसेंट बिल है और इसमें कन्ट्रोल करने की ताकत है और उसको भी हम जनहित में इस्तेमाल करते हैं रेट्स कम करने के लिये। इसमें मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों का मुझे सहयोग मिलेगा और इस को प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और बिल पास करने की आज्ञा प्रदान करेंगे।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर) —

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि में परिवर्तन करने का भी अधिकार हो तथा जो अपना प्रतिवेदन १५ दिन के अन्दर सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)।

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा अपने यहां बिजली का कन्जम्पशन बहुत कम है। सेकेंड फाइव इयर प्लान में भी हम उसको काफी आगे नहीं बढ़ा सके। यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया ह। लकिन अगर वह इस के कारणों पर जाते तो उन्हें दीख पड़ता कि वह इस विभाग की एनएफीशेंसी के कारण है। जो प्राजेक्ट हम तैयार करते हैं उसमें जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है जल्दी काम करने की वह लोग लापरवाही बरतते हैं। माननीय मन्त्री जी जितने सचेत हैं और जितने ही वह अपना काम करने में चुस्त हैं, उतने ही उनके कर्मचारी सुस्त हैं। अगर उनकी सुस्ती को चुस्ती में बदल दिया जाय तो बहुत जल्दी टार्गेट अचीव किया जा सकता है। यह आप देखें और स्वयं निरीक्षण करें। मैं जानता हूं कि उनके दिल में लगन है काम करने की लेकिन मैं चाहूंगा कि वह अपने कर्मचारियों को भी ऐसी प्रेरणा दें। मैं उनके समक्ष दो चार उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। जैसे शारदा प्राजेक्ट बना। उसमें जो टरबाइन्स बने उनको पानी खाये जाता है और वह जल्दी समाप्त हो जायेंगे। उसका कारण यह है कि जब वाटर अनालिसिस की गयी तो यहां के इंजीनियर्स ने गलत अनालिसिस की और फारेन कम्पनी ने जो एक स्टैंडर्ड कम्पनी थी, उस डाटा के मुताबिक टरबाइन्स का अलाय बनाया। और चूंकि वाटर अनालिसिस गलत थी इसलिये वह अलाय जिसके टरबाइन्स बने थे, काम नहीं दे सके।

दूसरे, रिहन्द बांध के सम्बन्ध में इन्जीनियर्स का कहना है कि यह प्रोजेक्ट केवल ८०-९० वर्ष काम दे सकेगा क्योंकि सिल्टिंग का प्रासेस बराबर बढ़ता चला जा रहा है। हमने ४९-५० करोड़ रुपया खर्च किया। इतना पैसा इन्जीनियर्स की असावधानी के कारण बरबाद हो जाये, उससे दुखद बात और क्या होगी? अगर डिपार्टमेंट इस तरह की लापरवाही न करे तो ऐसी घटनायें न घटें। दूसरे वहां पर पांच टरबाइन्स लगे हुये हैं लेकिन वाटर का फुल इनफ्लो होता है बरसात में तब भी केवल चार टरबाइन्स ही काम करते हैं। एक टरबाइन अधिक लगा हुआ है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

उपाध्यक्ष महोदय, इससे थोड़ी बाहर की बात यह कह रहे हैं।

श्री बसन्तसिंह —

अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। यह एक व्यावसायिक विभाग है। कोई भी प्राइवेट कम्पनी हो वह पहले यह सोचता है कि कितनी कास्ट पड़ी। फिर उस पर कितना इन्टरेस्ट पड़ा। फिर वह मुनाफा तय करता है। रिहन्द की बिजली बड़े पूंजीपतियों को जितनी कास्ट पड़ती है उससे कम पर दी जाती है। दूसरी तरफ यह कमी पुरी की जाती है छोटे उद्योग धन्धे वालों से और किसानों से। होना यह चाहिये कि सिंचाई के लिये जो बिजली दी जाय और काटेज इन्डस्ट्रीज के लिये जो बिजली दी जाय वह सस्ते दामों पर दी जाय और बड़ी इन्डस्ट्री को तेज दामों पर दी जाय। लेकिन इसके विपरीत होता है।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि बिजली जो सैंक्शन की जाती है, यहां से जल्दी हो जाती है, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट उसको देने में बहुत देर करता है। जैसे मैं उदाहरण के लिये बताऊं, जो ट्यूबवैल्स के लिय बिजली दी जाती है, उसकी लाइन लगाने में, लाइन इंस्पेक्टर काफी परेशान करते हैं। अगर हम इर्रीगेशन पोटेंशन बढ़ाना चाहते हैं तो जरूरत है कि एक निश्चित अवधि के भीतर जिस दिन से अप्लीकेंट फीस जमा कर दे विभाग का यह उत्तरदायित्व होना चाहिये कि वह स्वयं कार्य पूरा कर दे। प्रार्थी को बार-बार हाजिरी न देनी पड़े। विभाग महसूस करे कि उतने दिनों के अन्दर उसे लाइन लगा देनी है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि हाइ-डिल की बिजली थर्मल की बिजली की अपेक्षा तेज पड़ती है जबकि होना यह चाहिये कि थर्मल की बिजली तेज पड़े। इसकी तरफ भी विभाग का ध्यान जाना चाहिये। एक दूसरी बात यह है कि बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट एजेंसीज को दे दिया जाता है जैसे कि मार्टिन बर्न कम्पनी को लखनऊ की सप्लाई दी हुई है। बनाते हम हैं और बीच में एक प्राइवेट एजेन्ट और मुकर्रर कर देते हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज यह है कि इस विद्युत की बैड प्लानिंग है जिसके कुछ उदाहरण मैंने दिये, उनको दूर करना बहुत जरूरी है। इर्रीगेशन पोटेंशियल को हम बढ़ाना चाहते हैं लेकिन जितने ट्यूबवैल्स बने हैं उनमें से ५० परसेंट को हम एनर्जाइज नहीं कर पाये हैं। इस कमी को भी दूर करना चाहिये। इसके अतिरिक्त छोटी फैक्टरीज जो १५ हार्स पावर का इंजन लगाती हैं उनके लिये ६६ रुपया कम से कम पर बी० एच० बी० पर ऐनम देना पड़ता है चाहे वह बिजली का कुछ भी कन्जम्प्शन न करें। पहले यह रेट तीन रुपये था। मान लीजिये कि रा-मैटीरियल नहीं मिला या किसी दूसरी वजह से फैक्टरी नहीं चल पायी तो भी उसको १५ हास पावर की अगर है तो ६६ रुपये के हिसाब से १ हजार रुपया देना ही पड़ेगा। मैं मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करूंगा। और यद्यपि मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, जो वह कन्ट्रोल की मुद्दत बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर यह प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो और भी जो दिक्कतें हैं, वह दूर हो जायेंगी।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर) —

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में हुई वार्त्ता को बड़े ध्यान-पूर्वक सुना। यह विधेयक जैसा मन्त्री जी ने बताया, विवादहीन है। इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिये क्योंकि यह विधेयक जनता के हित में है। इसका सम्बन्ध बिजली के नियन्त्रण, उसके वितरण, उसकी दरों के नियन्त्रण आदि से है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विद्युत उत्पादन का सम्बन्ध हमारे देश की औद्योगिक व्यवस्था से है और इसी के द्वारा सारे देश का उद्योग पनपेगा। इसी की वृद्धि और इसी के फैलाव से हमारे देश के लघु उद्योग और बड़े उद्योग सभी पनपेंगे। अभी तक हमारे देश में विद्युत का उत्पादन जितना होना चाहिये उतना नहीं है, हमारे देश की औद्योगिक मांग को पूरा करने भर के लिये यह नहीं है। पंचवर्षीय योजनाओं के आंकड़ों से पता चलता है कि पूरे देश भर में हम उत्तरोत्तर विद्युत उत्पादन में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दस वर्षों के अन्दर इसके उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह इस प्रकार है—यह विद्युत उत्पादन .५६ मिलियन से १.९३ मिलियन किलोवाट हो गया और थर्मल पावर का उत्पादन .१७५ मिलियन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बेचनराम]

किलोवाट से ३.७७ मिलियन किलोवाट हो गया। इस तरह से टोटल, श्रीमन्, २.३ मिलियन किलोवाट से ५.७ मिलियन किलोवाट हो गया। यह हमारे पिछले दस वर्ष के विद्युत उत्पादन की प्रगति के आंकड़े हैं। यद्यपि हमारा लक्ष्य था ६.९ मिलियन किलोवाट पैदा करने का। उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाये हैं। जितनी मांग विद्युत की हमारे पास है उतनी विद्युत हमारे पास नहीं है। इससे जाहिर है कि विद्युत हमारे पास डेफिसिट में है और सरप्लस नहीं है। प्रभावपूरक व्यवस्था उत्पादन और वितरण के लिये उत्पादन को नियमन करने के लिये कोई न कोई कन्ट्रोल सम्बन्धी कानून बनाना पड़ेगा।

यह अधिनियम सन् १९४७ में बनाया गया था। जो इसके अन्दर संशोधन है वह केवल इतना है कि इस अधिनियम ६ की धारा १ की उपधारा (४) के अनुसार अवधि बढ़ा दी जाय। किसी और बात के लिये संशोधन नहीं है। जो यह अधिनियम नम्बर ६, सन् १९४७ में पास किया गया था उसमें केवल सन् १९६३ के स्थान पर १९६८ कर दिया जाय। संशोधन विधेयक की किसी और धारा या उपधारा में प्राविधान करने की बात नहीं है। मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) के क्लाज ५, ७ में सिर्फ इतना मन्शा है कि सरकार इस अधिनियम के द्वारा बिजली के रेट और वितरण को रेगुलेट करना चाहती है। इस अधिनियम के द्वारा बिजली के उत्पादन, सप्लाई एवं वितरण तथा उसके वाणिज्य और व्यवसाय पर एक सीमित अवधि तक नियन्त्रण रखने के अधिकार की व्यवस्था की गई है। बिजली की मांग सप्लाई से कहीं अधिक होने के कारण इस कानून के बनाने की अपेक्षा हुई तथा यह आवश्यक समझा गया कि सरकार के पास बिजली के उत्पादन, सप्लाई, वितरण आदि पर नियन्त्रण का अधिकार होना चाहिये। इस अधिनियम के द्वारा विद्युत का वितरण करने वाली संस्थाओं पर भी नियन्त्रण रखा गया है। इसके साथ-साथ उपभोक्ताओं पर भी नियन्त्रण रखने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अन्दर यह व्यवस्था की गई है कि सरकार विद्युत कम्पनियों और उपभोक्ताओं पर या जो भी विद्युत पैदा करने वाले हैं उनको अनुचित लाभ न उठाने दे और विद्युत कम्पनी अधिक दर न बढ़ायें। इसी मन्शा से सरकार इस विधेयक को लाई है और यही आवश्यकता सरकार के सामने थी और आगे की आवश्यकता को सामने रखकर सरकार यह संशोधन लाई है कि सन् १९६३ के स्थान पर सन् १९६८ कर दिया जाय और यह १९६८ तक लागू रहे इसके अलावा और कोई बात सामने नहीं थी।

माननीय सदस्य ने प्रवर समिति में भेजने की बात कही किन्तु भेजने की बात कहते समय उन्होंने कोई बात समय बढ़ाने के सम्बन्ध में नहीं कही कि सन् १९६८ तक अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में उनका क्या विचार है। इस अधिनियम के द्वारा सरकार को जो अधिकार प्राप्त था और जिसके द्वारा नियन्त्रण सरकार करती थी वह अभी तक लागू था। उसमें केवल इतना संशोधन है कि यह अधिनियम १९६८ तक लागू रखें। माननीय सदस्य ने उन कारणों को नहीं बताया है कि सन् १९६८ तक अवधि क्यों नहीं बढ़ानी चाहिये जिसके लिये वह इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं। हमारे मित्र माननीय सदस्य की यह भी मांग है कि सारी विद्युत संस्थाओं का यानी जो भी गैर-सरकारी संस्थायें बिजली की हैं उन सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। जो व्यक्तिगत स्वत्व हैं उनको सरकार अपने हाथ में ले रही है। तभी सरकार कन्ट्रोल अपने हाथ में ले रही है। जितने भी कन्ट्रोल के आर्डर होते हैं उनमें जितना भी कन्ट्रोल किसी संस्था पर होता है उसमें राष्ट्रीयकरण का प्रश्न निहित करता है। उसमें राष्ट्रीयकरण का प्रश्न समानानुपात से रहता है। किसी तरह से व्यक्ति के अधिकार को सरकार जब जनता के हित में लेना चाहती है तभी वह कन्ट्रोल करती है। जब अभावग्रस्त स्थिति में हम कोई ऐसा कदम करना चाहते हैं तभी इस तरह का कन्ट्रोल आर्डर होता है। तो यह जो संशोधन विधेयक है इसमें विवाद की कोई बात नहीं है। हम जनता के हितों के लिये, बिजली के समान वितरण के लिये, बिजली कम्पनियों की मोनोपोली इस सम्बन्ध में रोकने के लिये, उद्योगपतियों द्वारा बिजली के अधिक उपयोग की रोक के लिये यह विधेयक लाये हैं। और इसकी अवधि बढ़ा रहे हैं।

तो इसे प्रवर समिति में भेजने का कोई कारण नहीं दिखायी देता और न उसके लिये कोई वैसी परिस्थितियां हो हैं। इसलिये औपचारिक रूप से जो प्रस्ताव रखा गया है उसकी कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता।

एक बात इसी संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मूल अधिनियम की धारा ४ के अनुसार सरकार को अधिकार है कि वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को धारा ३ में वर्णित अधिकारों के प्रयोग के लिये निर्धारित कर सकती है और कन्ट्रोल के अधिकारों का वह उपयोग करेगा। तो मेरा निवेदन है कि जिला स्तर पर डी० एम० या इन्जीनियर होते हैं वे ही बिजली देने आदि की प्रायरिटी फिक्स करते हैं। यदि जिला स्तर में ही कोई एक छोटी समिति बना दी जाय, जैसी कि अन्य विभागों में समितियां हैं, ताकि वह लोगों को बतला सकें कि प्रायरिटी का आधार क्या है, तो अच्छा होगा। यह मेरा सुझाव है और इस विधेयक के प्राविधानों के अनुसार सरकार यह काम कर सकती है। यह कमेटी डी० एम० और जिला इन्जीनियर के कार्यों पर नियन्त्रण रखने और इन तमाम बातों को देखने के लिये एक परामर्शदात्री समिति की हैसियत से काम करेगी। मेरा सुझाव है कि यह होनी चाहिये और मुझे आशा है कि यह जिला स्तर पर बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं इसलिये कि यह जनता के हित में है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं माननीय मन्त्री जी, श्री शर्मा, को बधाई देता हूं कि जिन्होंने बड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ इस विभाग का संचालन किया है। श्रीमन्, इस विधेयक में मुख्य बात इसके उद्देश्य और कारण में कही गयी है कि "बिजली के उत्पादन, सप्लाई एवं वितरण तथा उसके वाणिज्य और व्यवसाय पर एक सीमित अवधि तक नियन्त्रण रखने के अधिकार की व्यवस्था की गयी है। बिजली की मांग सप्लाई से कहीं अधिक होने के कारण इस विधि के बनाने की अपेक्षा हुई तथा वह आवश्यक समझा गया कि सरकार के पास बिजली के उत्पादन, सप्लाई, वितरण आदि पर नियन्त्रण का अधिकार होना चाहिये।" श्रीमन्, मैं इससे बिलकुल सहमत हूं और इसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, रूस में ख्रुश्चेव ने कहा था कि पावर और सोवियट मिल कर एक बड़ा भारी शक्तिशाली देश हमारा बन जायेगा। इसी प्रकार हमारे एक बड़े नेता, नेहरू जी, ने थोड़े समय पूर्व कहा था कि हमारी पंचायत और पावर, ये दो चीजें देश को बहुत शक्तिशाली बना देंगी।

श्रीमन्, आज यह सदन इस बात से सहमत है कि जितना अच्छा कार्य, प्रोडक्शन और वितरण का कार्य उपमंत्री श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा जी ने किया है इससे पूर्व अभी तक नहीं हुआ। लेकिन मन्त्री जी ने सदन को आश्वासन दिलाया था, जो सदन की मांग थी कि इलेक्ट्रिक कम्पनीज जिनको मोनोपाली दे रखी है, उनका नेशनलाइजेशन होना चाहिये तो इस सम्बन्ध में वह कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन जो कदम उठाया गया वह अधूरा है। अगर वह चाहते हैं कि वास्तव में प्रदेश की तरक्की हो, उद्योग-धन्धे पनपें तो इन्डस्ट्रीज और पावर एक मिनिस्टर के पास हों। पंजाब के लिये मैंने सुना है कि वहां कोई इन्डस्ट्री लगाना चाहता है तो जहां उसने इच्छा प्रकट की तो उसको सारी सुविधायें और पावर मिल जाती हैं। लेकिन यहां होता यह है कि अलग विभाग होने से बिजली का सैंक्शन चला गया लेकिन वह पड़ा रहता है, इस्तेमाल नहीं होता। मन्त्री जी को पता नहीं चलता। मन्त्री जी ने कहा है कि प्रोडक्शन से सप्लाई ज्यादा है, मैं इसको नहीं मानता। हमारा प्रोडक्शन उतना ही है जितनी सप्लाई है, लेकिन जितनी बिजली एलाट होती है उसका इस्तेमाल नहीं होता। अगर प्रति माह आंकड़े आते रहें तो पता चलेगा कि कितनी....

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमारे पास तो रोज आते हैं शाम को कि आज कितनी बिजली किसने इस्तेमाल की।

श्री नेकराम शर्मा --

मैं आभारी हूं कि उन्होंने यह भी एक नया कदम उठाया कि प्रतिदिन आंकड़े मंगा लेते हैं। अगर आ जाते हैं तो बधाई देता हूं। जब मांग का पता है तो वह जल्दी से जल्दी इन्डस्ट्रियलाइज कर सकेंगे। मैं इस नीति को नहीं मानता जो उन्होंने जिलाधीश को पावर देने का अधिकार दे दिया है २५ या ५० हार्स पावर तक। यह डुप्लीकेशन ठीक नहीं है, उनको स्वयं बिलकुल कन्ट्रोल करना चाहिये। हमें अपने उद्योग-धन्धों को बढ़ाना है जिसमें हम सबसे पिछड़े हुये हैं। हमारी थर्ड फाइव ईयर प्लान समाप्त होने जा रही है। इस वक्त मन्त्री जी को सारी मोनोपोलीज को खत्म करना पड़ेगा। हम ५० परसेंट से भी कम उद्योग-धन्धों पर बिजली खर्च करते हैं अन्य चीजों पर ७० परसेंट तक खर्च करते हैं। जितनी जल्दी हम रेड-टेपिज्म को छोड़ कर उद्योग-धन्धों पर बिजली खर्च करें उतना ही हमारे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि ६८ परसट तक मांग है। इस वक्त कम्प्लीट नेशनलाइजेशन बिजली का हो जाना चाहिये। पब्लिक सेक्टर को मजबूत करके ही हम सोशलिस्ट समाज की रचना कर सकते हैं। आज बिजली तो है लेकिन सही उपयोग उसका नहीं हो पा रहा है। हमने देखा कि कानपुर में ३-४ दिन फैक्टरीज बन्द रहीं और करोड़ों रुपये का नुक्सान हुआ। ५ बड़ी-बड़ी डिफेंस फैक्टरीज का प्रोडक्शन रुक गया। अगर पहले से कल्पना में होता कि गंगाजी हट सकती हैं तो यह नौबत नहीं आती। मुझे ठीक स्मरण नहीं, लेकिन इस सदन में कानपुर से रिहन्द तक ट्रांस्मिशन लाइन बनाने की योजना थी जो रद्द कर दी गयी। अब फिर माननीय मन्त्री जी आये और उन्होंने फिर उसी ओर ठोस कदम उठाया और कहा कि इस लाइन को हम कानपुर तक कनेक्ट कर देंगे।

श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि जिस उत्साह और लगन के साथ वे इस विभाग का कार्य-संचालन कर रहे हैं उसी तरह इस रेड टेपिज्म को अपने विभाग में खत्म करें। मैं उनको बधाई दूंगा कि उनकी वजह से ही इतनी जल्दी कानपुर का संकट दूर हो गया। श्रीमन्, अगर लड़ाई चलती होती और कहीं यह फैक्टरीज बन्द हो गयी होतीं, तो क्या हालत होती? मैं चाहता हूं कि जो भी लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं उनको माननीय मन्त्री जी सजा जरूर दें ताकि वे इस तरह की लापरवाही फिर न कर सकें। वहां के वर्कर्स इस बात को कह रहे थे कि इनकी इनएफिशिएन्सी के कारण यह पता नहीं चल सका वरना इसका इन्तजाम हो सकता था। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसका सारा कन्ट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में ले लें। सारी फैक्टरीज नेशनलाइज हो जानी चाहिये। आज बिजली का बड़ा मिसयूज हो रहा है। करीब १० परसेंट बिजली लीकेज होती रहती है। इसकी जांच होनी चाहिये और एक कमेटी इसके लिये बनायी जानी चाहिये जो इसका सर्वे कर सके और यह देख सके कि कितनी बिजली हमारे यहां उद्योगों के लिए चाहिए और कितनी हम इस वक्त दे पा रहे हैं।

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी नौजवान हैं, वे स्वयं भी जगह का निरीक्षण आदि करते हैं, मैं यह चाहता हूं कि वे थोड़ा सा ब्योरोक्रेसी के ऊपर कन्ट्रोल करें। अगर यह सब काम उन्होंने किया तो हमारा प्रदेश चौथी प्लान तक जरूर इस लायक हो जावेगा जब कि हमारे यहां नयी नयी फैक्टरीज होंगी और प्रदेश आगे बढ़ेगा।

श्रीमन्, जहां जहां गांव में इलेक्ट्रीफिकेशन हुआ है उसके लिये हम माननीय मन्त्री जी के आभारी हैं। मैं चाहता हूं कि वहां पर जापानी माडेल के छोटे छोटे उद्योग चलने चाहिये। जो भी ५-१० हार्स पावर की मशीनें वहां चल सकती हैं उनके विषय में वहां के नौजवानों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिये। माननीय मंत्री जी ने पंजाब जाकर वहां का अध्ययन किया, हम चाहते हैं कि कुछ लेजिस्लेटर्स को आप जहां इलेक्ट्रीफिकेशन हुआ है वहां पर उसका अध्ययन करने के लिये भेजें कि वहां पर जापानी माडेल के कौन-कौन से उद्योग चल सकते हैं। इससे बड़ा फायदा होगा। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं और जिन माननीय सदस्य ने इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उनसे निवेदन करूंगा कि वे उसको वापस ले लें। इस विभाग का काम ठीक प्रकार से चल रहा है, थोड़ी सी कड़ाई की जरूरत है, उस ओर मैंने माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी) —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने पूछा कि मैंने क्यों प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिये ? श्रीमन्. मैं कुछ बातों को और माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। श्रीमन्, सरकार अगर इस टेम्पोरेरी विधेयक को न लाकर जितनी प्राइवेट कम्पनियां हैं उनके उत्पादन और वितरण का सारा काम अपने हाथ में ले लेती तो मैं समझता हूं कि इस ऐक्ट की कोई जरूरत ही न थी।

आज सबसे बड़ी बात उत्पादन की है और मूल ऐक्ट में उत्पादन को बढ़ाने की व्यवस्था भी है। जो प्राइवेट कंपनियां उत्पादन को नहीं बढ़ा रही हैं उनके लिये सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनको कर्जा देकर अथवा और किसी तरह से प्रोडक्शन को बढ़वावे। जिन कंपनियों का काम खराब रहा है जैसे झांसी कम्पनी का उसको सरकार ने ले लिया है, उसके लिये मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं। आपने इन कम्पनियों को करोड़ों रुपया कर्जा दिया लेकिन उनमें से अधिकांश ने सरकार का सूद भी अदा नहीं किया है। इस प्रदेश के किसानों को यह सरकार ९ फीसदी पर कर्जा देती है, जब कि इन कंपनियों को करोड़ों रुपया साढे चार और ५ फीसदी पर दिया गया है। जैसे—आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को १२ लाख और ६० लाख, बनारस लाइट एन्ड पावर कम्पनी को २० लाख, २५ लाख, १२५ लाख और १० लाख, पीलीभीत इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को ४ लाख और ५० हजार, बरेली इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को ८ लाख, रोहतक और हिसार इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को ५ लाख, कोसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को ३ लाख, झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को ४ लाख और यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इलाहाबाद को ३० लाख रुपया कर्जा दिया गया है। कुल मिलाकर, १,१६,६१,९१६ रुपया कर्जा दिया गया है। लेकिन क्या सरकार ने कभी यह भी देखा कि इन्होंने पावर के प्रोडक्शन को बढ़ाया भी है या नहीं और अगर नहीं बढ़ाया है तो क्या उनका जवाब-तलब किया गया है ? क्या उन्होंने जनता को कुछ सुविधायें भी दी हैं या नहीं ? दारुलशफा में ही जहां माननीय सदस्य रहते हैं, वहां भी आधा आधा घंटा बिजली गुल रहती है तो फिर भला झांसी, आगरा, गोरखपुर और बनारस में क्या हाल होता होगा। इसलिये आप बिजली के पूरे प्रोडक्शन को अपने हाथ में ले लें और प्राइवेट कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर लें। इसलिये कर लें कि इन कम्पनियों ने जो रुपया आपसे लिया है उसने न तो जनता को सुविधाये दी हैं और आपको भी रुपया तो क्या सूद भी अदा नहीं किया है।

इधर मार्टिन को आपने रिहन्द से जोड़ दिया और कानपुर को आप जोड़ने जा रहे हैं। क्या आपने गौर किया कि आप इनको किस हिसाब से बिजली देते हैं और ये कंज्यूमर्स को किस हिसाब से देते हैं ? आप ५ न० पै० यूनिट देते हैं लेकिन ये ३१ न० पै० लेते हैं। जौनपुर और बनारस की यह हालत है और मंत्री जी कहते हैं कि ६ फीसदी से अधिक मुनाफा नहीं ले सकते हैं। मैं कहता हूं कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वे फर्जी बैलेंसशीटस बनाती हैं और वाल्टेज में २२० के बजाय १९७ और १९५ ही देते हैं इससे यूनिटस तो ज्यादा खर्च होती हैं और उनको फायदा ज्यादा हो जाता है। फर्जी फरनीचर आदि का सब खर्चा दिखाकर बैलेंसशीट गलत बना देते हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि आज उनकी व्यवस्था से जनता काफी परेशान है। बनारस में तो आये दिन परेशानी हुआ करती है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप कृपा करके इन प्राइवेट कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर लें।

दूसरी बात यह है कि अगर आपने इनका राष्ट्रीयकरण कर लिया तो सारा का सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। अभी आपने कहा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में काफी उत्पादन बढ़ा लेंगे और चौथी योजना में इसके लिये सेंटर से मांग करेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि चाहे आप सेंटर से मांगे या अपने यहां बढ़ा लें लेकिन आज हमारे प्रदेश में जितनी बिजली की मांग है उतनी बिजली की पैदावार आपके यहां नहीं हो रही है। बिजली के उत्पादन और उसकी खपत इन दोनों मामले में हमारा प्रदेश आज काफी पिछड़ा हुआ है। इसीलिये न तो आज यहां

[श्री ऊदल]

उद्योगीकरण हो रहा है और न ग्राम जनता को ही बिजली मिल पा रही है। ये सारी परेशानियां हमारे प्रदेश में है।

अभी हाल ही में मालूम हुआ है कि पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विद्युत बोर्डस मिलकर इकट्ठी एक योजना बना रहे हैं और तीनों के लिये एक पावर ग्रिड होगा। पता नहीं कि इससे हमारे प्रदेश को क्या फायदा होगा? पंजाब में तो शायद लाइन भी खिच गयी है, हमारे यहां अभी इसकी रिपोर्ट विचाराधीन है और दिल्की की क्या हालत है, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। खैर,जो कुछ भी हो लेकिन इतना जरूर है कि बिजली के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एक तरफ तो आप सेंट्रल वाटर ऐन्ड पावर कमीशन से मांग करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपने मध्य प्रदेश से रिहन्ड डैम का १५ परसेंन्ट पर समझौता कर लिया। कहां तो आप हमको उसे विरुद्ध आवाज उठाने के लिये कह रहे थे कि हम एक यूनिट भी बिजली मध्य प्रदेश को नहीं देंगे और उधर आपने बिना सदन की राय लिये उससे १५ परसेंट पर समझौता कर लिया पता नहीं आपने पानी और बिजली दोनों पर समझौता कर लिया हो। अभी मैंने पढ़ा था कि आपने १०० मेगावाट बिजली दामोदर निगम को दे दिया। मालूम होता है कि माताटीला का भी वही हाल होने वाला है। आपने रिहन्द से रेलवे को बिजली दे दिया, यह तो आपने ठीक किया, बहुत अच्छा काम किया लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपको अपने प्रदेश का ख्याल रखना चाहिये।

एक तरफ तो आप दरवाजे दरवाजे सेंट्रल वाटर ऐन्ड पावर कमीशन बिजली से की मांग करते फिरते हैं और दूसरी तरफ दानी कर्ण भी बनने की कोशिश करते हैं, तो यह चीज कुछ जंचती नहीं है। इसलिये जितनी जल्दी आप इन प्राइवेट कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर लेंगे उतना ही इस प्रदेश का लाभ होगा। माननीय नेक राम शर्मा जी ने आपको बधाई दिया है क्योंकि आपने अपने समय में बहुत अच्छा काम किया है और झांसी इलेक्ट्रिक कम्पनी को अपने हाथ में लेकर आपने बहुत अच्छा काम किया है और इस तरह से श्री लखपत राम शर्मा व दूसरे सदस्यों के लिये जो वह एक रोग था, उसे आपने खत्म कर दिया है, इसके लिये मैं भी आपको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप जल्द ऐसे कदम उठावेंगे जिससे बिजली का उत्पादन और वितरण आपके हाथ में आ जावे। इससे इस प्रदेश का औद्योगीकरण शीघ्रता से हो सकेगा और आये दिन ग्राम जनता को जो तरह-तरह की परेशानियां होती रहती हैं वे भी दूर हो जायेंगी। इन शब्दों को कहते हुए मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह से आपने अच्छा काम किया है उसी तरह से आगे भी करते रहेंगे और निवेदन करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इसमें संशोधन दिया है, जिसमें मेरा भी नाम है, अपने संशोधन को वापस ले लेंगे ताकि बिजली कम्पनियां जल्द से जल्द आपके हाथ में आ जावें। आपके अच्छा काम करने के लिये मैं एक बार फिर आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी आप और अच्छा काम करेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हसंत सिंह के संशोधन के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अभी मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि सन् ४६ में बिजली ऐक्ट पास हुआ उसके १८ साल के बाद भी और प्रान्तों के मुकाबले में १–८ बिजली सप्लाई कर सकते हैं। कहां ७७ और ८० यूनिट और कहां हम १० और ११ यूनिट के बीच में। अब आप इस समय १८ साल के बाद फिर कहते हैं कि ५ साल के लिये समय बढ़ा दिया जाय। इस सत्र में जितने भी विधेयक आये हैं वे केवल अवधि बढ़ाने के लिये आये हैं। कोई नया विधेयक नहीं आया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी इस को कब तक टेम्पोरेरी रखेंगे। हमारा यह मत है कि अगर आपको उत्पादन और वितरण को अपने हाथ में रखना है तो आपको कोई न कोई परमानेन्ट

प्रबन्ध करना पड़ेगा और इसको परमानेन्ट करना पड़ेगा। यह १० और ११ यूनिट्स पर कैपिटा पर ऐनम सप्लाई करने से काम नहीं चलेगा।

माननीय ऊदल जी ने बताया कि आपने ५ पैसा यूनिट पर दिया लेकिन यह प्राइवेट कम्पनी वाले ३१ नये पैसे यूनिट सप्लाई करते हैं। आखिर इसका कंट्रोल कैसे होगा! आपको इसके संबंध में कोई कदम उठाना चाहिये। आज अगर अवधि बढ़ा दी जाय तो फिर आप ५ साल सोते रहेंगे और फिर उसकेबाद यही रोना रोयेंगे। यह देश का दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा उद्योग बढ़ा नहीं है। इसीलिये हम चाहते हैं कि इन १८ साल की अवधि में जो काम करने में कमियां अपने अनुभव में आयी हैं उनको प्रवर समिति में बैठकर देख लिया जाय। उत्पादन और वितरण का जहां तक संबंध है उस पर आपको अवश्य कंट्रोल रखना चाहिये। जब तक आपका पूरा कंट्रोल इन पर नहीं होगा तब तक यह सारी धांधलियां या भ्रष्टाचार चलता रहेगा और जैसे कानपुर में ४ और ५ रोज के अन्दर करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया वह फिर हो जाने की सभावना है और प्राइवेट कम्पनीज आपको इसी तरह धोके में रखती रहेंगी।

आप झांसी कम्पनी को समाप्त करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जितनी प्राइवेट कम्पनियां हैं उनमें भ्रष्टाचार है। आपके विभागों से चौगुना और पंचगुना भ्रष्टाचार अधिक इन कम्पनियों में है। इसीलिये मैं चाहता हूं कि आप इसे प्रवर समिति में बैठकर पूरी तरह से सोचें और विचारें यह दूसरी बात है कि जैसा नेकराम जी ने कहा है और ऊदल जी ने भी आपको बधाई दी है कि आप परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कि आपने जो ३३ लाख किलोवाट का टारगेट रखा है क्या आप इसी से संतुष्ट हो जायेंगे? दूसरी जगह ७७ और ८० यूनिट हो तो हमारे यहां उससे अधिक होना चाहिये क्योंकि हमारा प्रदेश और प्रदेशों के मुकाबिले उद्योग में बहुत पिछड़ा है। एक तो आप सप्लाई नहीं कर पाते हैं और अगर सप्लाई करते भी हैं तो ठीक समय से उनको नहीं देते हैं। यह गलत तरीका है इसी कारण मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जो कमियां हैं वह ६३ तक सोने के बाद अब भी चेतें और सोचें और बैठकर प्रवर समिति में विचार करें कि किस तरह से जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री कल्पनार्थसिंह, आप ५ मिनट में समाप्त कर दें।

***श्री कल्पनार्थसिंह** (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके हुक्म की तामील जरूर करना चाहता हूं लेकिन आपके द्वारा मंत्री जी से मेरा निवेदन है वह मैं जरूर कर देना चाहता हूं। पूर्वी जिलों में बिजली की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है और उद्योग धन्धों की दृष्टि से भी पूर्वी जिलों में बिजली का कोई प्रसार नहीं हुआ है बल्कि उल्टा यह होता है कि अगर बिजली के कनेक्शन मांगे जाते हैं तो उनको देने में ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें पैदा कर दी जाती हैं और पब्लिक की यूटिलिटी के लिये जो बिजली पूर्वी जिलों में है उसमें भी काफी गड़बड़ होती है। कहने को कह दिया जाता है कि फलां गांव में या फलां कस्बे में बिजली लग गई और बिजली का एक्सटेंशन हो रहा है लेकिन वह खाली इस बात का सबूत रहता है कि बिजली लगी है लेकिन वास्तव में उन तारों में बिजली का संचार नहीं होता। मंत्री जी अवश्य ही थोड़ा पूर्वी जिलों के बिजली के मामले को देखें। पश्चिमी जिलों में और बीच के जिलों की बात आपने सोची, कानपुर की बात आपने सोची, बड़े बड़े पूंजीपतियों को बिजली देने की बात आपने सोची लेकिन गृह और कुटीर उद्योगों को पनपाने की बात आपने नहीं सोची, यदि मैं इस बात को कहता हूं तो मंत्री जी को इस पर बुरा नहीं मानना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

बिजली मिलने में चोरी भी बहुत होती है, इसको भी मंत्री जी रोकें। यह अधिकारी लोग जिससे नाराज हो जाते हैं तो न मालूम कसे वह तार लगाकर उसको बांध देते हैं। मैं एलेक्ट्रिशियन तो हूं नहीं, एक तार जमीन में जोड़ देते हैं और सारी बिजली कहां से कहां चली जाती है और उससे लोगों को घाटा उठाना पड़ता है। ऐसा पूर्वी जिलों में बहुत जगह है, फर्जी आर्डर पर फर्जी कनेक्शन भी दिये गये हैं और ऐसे बिजली के मामले जेरे तफतीश हैं उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहता। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि ऐसे कार्य रुकने चाहिये, इनसे अफसरशाही बढ़ती है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। मैं जरूर आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि गोरखपुर में या मऊ पावर हाउस में कहने के लिये हाइड्रोएलेक्ट्रिक है लेकिन वे कोयले से चलाये जाते हैं। मुझे पता नहीं कि कसा उनका इन्तजाम है, मंत्री जी अपने उत्तर में जरा इसको साफ कर दें।

जब रिहन्द बांध की बिजली तैयार होने की बात थी तो कहा गया था कि वह बिजली पूर्वी जिलों को दी जायगी लेकिन आज वह अपने नाम पर रो रहे हैं और आज भी उसका लाभ टाटा बिरला और उनके पक्ष वाले ही उठा रहे हैं। आप अपने किसानों के छोटे उद्योग धन्धों की तरफ अपनी दृष्टि करें और पब्लिक रेट और बिरला टाटा के रेट्स का जो अन्तर है उसको कम किया जाय, ५ नये पैसे को बढ़ायें और ३१ नये पैसे को घटायें। मुझे यह कहने में एतराज नहीं ह कि बिजली की पैदावार बढ़ी है लेकिन जो लक्ष्य तृतीय पंचवर्षीय योजना का होना चाहिये था उसमें बिजली की दृष्टि से हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों से पीछे रहा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप का अधिक बल है ठीक है, आप इसको पास करा लें लेकिन पूर्णतया सोच विचार करने के बाद आप एक दूसरा बिल सदन में लाकर इसको रेगुलेट करें। मैं आपको एक्यूज नहीं करता, लेकिन जो दोष इस व्यवस्था में ह उसका निराकरण करना चाहियें। सारे कामों का ठेका, जो इधर वाले हैं उन्हीं की सारी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ इधर वाले लोग भी ह, जसे काशीनाथ जी हैं ऐसे लोगों का भी लाभ मंत्री जी अगर उठावें तो ज्यादा अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ म मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर बहुत जरूरी हो तब तो पास करायें। अगर न जरूरी हो तो आप इसको रहने दीजिये या प्रवर समिति में भेज दीजिये, या पास कराइये तो जल्द से जल्द दूसरा विधेयक ले आइये।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो व्याख्यान अभी हुए हैं उनसे यही सिद्ध होता है कि हम सब इस बात से सहमत हैं कि बिजली की व्यवस्था सचारु रूप से जितनी जल्दी हो सके की जाय। और प्रवर समिति को भेजने का जो प्रस्ताव किया गया है वह सिर्फ बिजली में कुछ कहने का मौका मिले, इसीलिये किया गया ह।

श्री कल्पनाथ सिंह—

वह तो है ही। माननीय सदस्य के विचार जानना चाहता हूं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

प्रवर समिति को भेजने से हमारा मतलब सिद्ध नहीं होगा। बल्कि इसे जितनी जल्दी हो सके पास किया जाय। पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी त्रुटियां बिजली के बारे में बतायीं और कहा कि उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। आपको मालूम होगा, अभी कुछ समय पहले मैंने खुद इस बात की शिकायत की थी छोटे-छोटे गांव और झोंपड़ों की बात तो दूर रही, बंगलों में भी, जहां १९५७ से बिजली मौजूद थी, १९६३ तक बिजली नहीं मिली। मैंने अपने बंगले का उदाहरण दिया था। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि अब सितम्बर के महीने में चार साल बाद बिजली का कनेक्शन मुझे मिला। मगर यह काफी नहीं है। हमारे यहां कोटद्वार में बिजली के खंभे पुलिस की इमारत के सामने, खाम दफ्तर, कन्या विद्यालय और अस्पताल तथा स्कूल के सामने खड़े हैं लेकिन उक्त सरकारी इमारतों को बिजली नहीं मिली है। मैंने म्युनिसिपल बोर्ड

के लोगों से पूछा कि क्या बात है ? उन्होंने कहा कि यह सब विभाग अलग-अलग हैं और इनको बिजली नहीं मिल सकती है जब तक उनके विभाग अलग से पैसा न दें और मांग पेश न करें। मुझे ताज्जुब हुआ बिजली मौजूद होने पर भी वहां बिजली नहीं मिल पा रही है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। कहने के लिये हम कह देते हैं कि गांवों में बिजली देंगे। अभी अखबार में देखा कि चमोली , गढ़वाल में बिजली आयेगी, पीपलकोटी में आयेगी। लेकिन होगा क्या ? होगा यह कि डिप्टी कमिश्नर के बंगले में बिजली लग जायगी, इसी तरह पीपलकोटी में सरकारी इमारतों में बिजली आ जायगी। लेकिन जनता को भी दी जायगी कि नहीं ? मांगने पर भी जनता को नहीं मिलती है। इसलिये सरकार इस ओर ध्यान दे कि ऐसी जगह पर जो जनता के उपयोग की हैं जल्दी बिजली दी जाय। मैं चाहता हूं कि यह बिल शीघ्र ही पास किया जाय।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बिजली मंत्री जी को उधर से धन्यवाद की बात आ रही है। मंत्री जी को अब एक तरह से मैं भी धन्यवाद देता, क्योंकि मुझे भी जरूरत है। मेरे क्षेत्र में बिजली लगी थी परन्तु अगर उपाध्यक्ष जी, देखा जाय तो बिजली की एक जटिल समस्या है। चाहे कोई मंत्री हो, मुझे क्षमा किया जाय, मैं उस वक्त तक धन्यवाद नहीं दूंगा जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होती। बदकिस्मती से मैंने मथुरा में एक मकान बना लिया। पहले मैं एक गांव में रहता था , दिया जला कर अपना काम कर लेता था। परन्तु शहर में रहने के कारण मुझे भी बिजली की जरूरत पड़ने लगी है। उपाध्यक्ष जी, मुझे जो २ मिनट का समय दिया गया है वह बहुत कम है। इसके लिये मुझे कम से कम १ घंटा मिलना चाहिये था ताकि इसकी पूरी तरह से पोल खोल देता। जैसा कि सब लोगों को विदित है, मथुरा सारे हिन्दुस्तान का धार्मिक स्थान है। उसमें सारे देश के लोग मेलों में आते हैं परन्तु बिजली की वहां ऐसी अव्यवस्था है कि २–२ घंटे रोशनी गुल हो जाती है और वहां पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है। तो श्रीमन्, मैं समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाय।

दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी नाराज न हो जायें , मेरे क्षेत्र में बिजली आ गयी है। मेरे क्षेत्र में बिजली बड़ी मुश्किल से दी गयी है। इस क्षेत्र में यह बिजली पंजाब की तरफ से आई है, पर वहां पर बिजली देने वाले ये कौन ठेकेदार हैं जो वहां पर कार्य कर रहे हैं ? क्या ये अंग्रेजों के नाती बन्धी हैं जो जनता का खून चूस रहे हैं ? मथुरा शहर में बिजली का रेट लगभग ३१ नये पैसे है परन्तु कोसी में १२ आने है। तो जो ये ठेकेदार हैं और जिन कम्पनियों को चला रहे हैं उन सबका राष्ट्रीयकरण जल्दी से जल्दी किया जाय। मैं मंत्री जी को धन्यवाद कुछ महीनों बाद दूंगा जब मैं यह सुन लूंगा कि मंत्री जी ने इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

पंजाब में गांव गांव में बिजली आ गयी है। परन्तु इसके विपरीत हमारी तहसील में सिर्फ एक कस्बे में बिजली है। अतः मैं अर्ज करूंगा कि हमारे क्षेत्र में जल्दी से जल्दी बिजली देने की कृपा करें और राष्ट्रीयकरण के काम में शीघ्रता करें। तब मैं आपको धन्यवाद दूंगा, पहले नहीं।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, बहस तो इस विषय पर बहुत हुई लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे देहातों में अभी भी अंधेरा ही अंधेरा है। इस संबंध में मैं एक शेर पढ़ता हूं—

"चिरागे दैरो हरम कब के बुझ चुके ऐ जोश।
हनूज शमा है रौशन शराबखाने की ॥

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रेमसिंह]

जहां अंधेरा है वहां अंधेरा ही अंधेरा है और जहां जलती है वहां जल रही है। हमारे सदन में तो बिजली जलती है परन्तु गरीबखानों में तो मिट्टी के चिराग भी जलाना मुश्किल है। असल में चिराग के नीचे अंधेरा ही रहता है।

मैं आगे बढ़ता हूं इसलिये मैं जल्दी कर रहा हूं। जब चाह थी, तब चाह थी अब चाह नहीं है। अब बिजली की चाह नहीं रह गयी है। भाखरा डैम बन गया है उसे बचाइये ताकि पंजाब नष्ट न हो जाय। भट्ठी में ऐसी बिजली जाय जिससे हमें तो लाभ है लेकिन गरीब जनता त्राहि त्राहि कर रही है। चीनी, मिट्टी के तेल और बिजली सब पर कंट्रोल है। आपने दीवारों पर लिखा देखा होगा कमजोरी के लिये बिजली चाहिये। मुझे नहीं मालूम किस की कमजोरी दूर करनी है? हजरतगंज में ३ एक्स रम के लेबिल लगे हुए हैं। क्या यही सच्ची आजादी है कि ३ एक्स रम के लिये बिजली चाहिये? मैं आखिर में एक शेर कह कर खत्म करता हूं:—

या इलाही मिट न जाय दर्दे दिल,
मिटने वालों को मिटा दे दर्द दिल।

श्री बसन्तसिंह—

उपाध्यक्ष, महोदय अधिकांश सदस्यों ने मेरे संशोधन प्रस्ताव का समर्थन किया है। प्रत्येक सदस्य ने जहां यह शिकायत की है कि बिजली के उत्पादन तथा वितरण में खामियां हैं वहां यह भी शिकायत की है कि छोटे उद्योग धन्धों को बिजली कम दी जाती है और उनकी जरूरत के मुताबिक नहीं दी जाती है। अनेक बाधाओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। इर्रीगेशन में भी यही हालत है। लेकिन बड़े उद्योग धन्धों को कास्ट आफ प्रोडक्शन से कम कीमत पर बिजली दी जाती है और काफी बकाया भी उन पर पड़ा रहता है। कानपुर में केसा का यही केस है कि वहां बिजली का बकाया पड़ा हुआ है। इस तरह की शिकायतें सदन के समक्ष आईं। इससे यही नतीजा निकलता है कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने मेरे संशोधन प्रस्ताव का समर्थन किया है, इसलिये मैं समझता हूं कि इन तमाम त्रुटियों को दूर करने की आवश्यकता है और यह आवश्यक है कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी भी इसका समर्थन करेंगे।

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आदरणीय सदन के सदस्यों का कृतज्ञ हूं कि जिन्होंने मुझे बहुत से सुझाव दिये और मेरे विभाग की कुछ कमजोरियां भी दिखाईं। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब मैं प्रयास करूंगा उन कमजोरियों तथा बुराइयों को दूर करने का जो हमें वहां नजर आयेंगी। लेकिन इसके साथ-साथ मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि इस आदरणीय सदन के सदस्यों को बहुत कम जानकारी है और कुछ लोगों को भ्रान्ति भी ज्यादा है। मैं चाहूंगा कि पहले उनकी भ्रान्ति को दूर कर दूं।

एक माननीय सदस्य ने जिन्होंने प्रवर समिति में इसे भेजने का प्रस्ताव किया था यह चार्ज हम पर लगाया था कि हमारे यहां बिजली ज्यादा पैदा नहीं हो सकी, क्योंकि हम करना नहीं चाहते थे। मैं इस आदरणीय सदन के सामने बार-बार कई दफा कह चुका हूं कि क्या कारण थे जिससे हम अपने प्रोजेक्टस नहीं बना सके। उनमें सबसे बड़ा कारण यह था कि भारत सरकार ने हमें फारेन एक्सचेंज नहीं दिया। आज तक जितने प्रोजेक्ट्स बने उनके लिये बहुत सा सामान बाहर से मंगाना पड़ता था। कुछ ऐसी स्थिति आई कि जो प्रोजेक्ट्स चलाये गये चाहे वह जमुना प्रोजेक्ट हो चाहे, माता टीला प्रोजेक्ट हो या हरदुआगंज प्रोजेक्ट हो उसके लिये फारेन एक्सचेंज ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मना नहीं कर दिया गया बल्कि हमने अगर यह भी इन्तजाम किया कि डेफर्ड पेमेंट पर ले लें तो जो पैसा उसके लिये हमको चाहिये था वह पैसा भी नहीं मिला और उसकी वजह से हम अपने प्रोजेक्ट्स नहीं चला सके। तो उसमें कोई हमारे विभाग की कमी की बात नहीं है। इस तीसरी प्लान में हमने इस बात का जोर लगाया कि जो हमारे यहां बिजली की कमी है उसको दूर करें और उसके लिये जैसा आपको मालूम है ५०३ करोड़ का हमारा प्लान था जिसमें से १०७ करोड़ रुपया हमने बिजली प्रोजक्ट्स के लिये रखा। इस १०७ करोड़ से भी बाहर जा कर हमने ६४ हजार का एक प्रोजक्ट कानपुर में लगाया और १ लाख का हरदुआगंज में लगाया। १० यूनिट की जो बात हमने बतायी थी वह दूसरी प्लान के अन्त में थी हमारा विश्वास है कि इस प्लान के खत्म होते होते जैसा कि मैंने कहा, हम ३ लाख से बढ़ कर १० लाख तक की बिजली बना सकेंगे। यह एक बड़ा भारी काम है जो इससे पहले हमारे प्रदेश में कभी नहीं हुआ और इसके लिये हमारे प्रदेश के जो इंजीनियर्स हैं और खासतौर से जो हमारे चेयरमैन हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के उन्हें हम और आप सब को इस बात के लिये बधाई देना चाहिये।

रिहन्द के बारे में बार-बार यहां कहा जाता है कि बिड़ला के हाथ हमने रिहन्द की बिजली बेच दी। मैं यह बता दूं कि जिस रेट पर हमने बिड़ला को बिजली दी है उसमें भी हमको कुछ बचता है और इस रेट पर देने के बाद बिड़ला जी ने हमको यह लिख दिया है कि थोड़े दिनों में वे हमारी बिजली छोड़ देंगे। तो जिस रेट पर हम दें उस रेट पर भी छोड़ देने के लिये कोई कहे तो यह केवल एक इशारा मैंने कर दिया।

कुछ भाइयों ने पूर्वी जिलों की बात कही है। मैं जानता हूं कि इस कंट्रोल ऐक्ट का पूर्वी जिलों से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि पूर्वी जिलों में काफी बिजली है और जो भाई जितनी लेना चाहें उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। भाई कल्पनार्थसिंह जी को कुछ गलतफहमी हो गयी है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि सोहावल और गोरखपुर ये दोनों हमारे स्टीम स्टेशन्स हैं और सन् ६४ तक हम गोरखपुर और मऊ इन दोनों स्टेशनों को रिहन्द से कनेक्ट कर देंगे। फिर हमारी स्टीम बिजली हाईड्रो-इलेक्ट्रिक हो जायगी क्योंकि स्टीम और हाईड्रो-इलेक्ट्रिक दोनों के सम्बन्ध में हमारे स्टेशन्स चलने लगेंगे ताकि पूर्वी जिलों में किसी इंडस्ट्री के लिये बिजली की कमी न पड़े। हमने आज भी यह तय किया है कि जो रेट हमारा शारदा ग्रिड में है वही आज स्टीम स्टेशन्स होते हुये भी गोरखपुर और मऊ के लिये है, इसलिये कि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री दो तीन वर्ष से पहले लगती नहीं और जबतक वह लगेगी तबतक हमारे स्टेशन्स भी कनेक्ट हो जायंगे। इसलिये यह सोच कर कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स घबराये नहीं कि वहां रेट ज्यादा है हमने वही रेट आज भी चालू कर दिया है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

छोटे उद्योगों के बारे में भी यही पालिसी करिये।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जहांतक छोटे उद्योगों की बात है, हमने १५ किलोवाट तक की बिजली फ्री की हुई है और छोटे उद्योगों में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती। जैसा मैंने कहा, पूर्वी जिलों में बिजली पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं आज यह भी एलान करना चाहता हूं कि हमारे यहां छोटों की ही बात नहीं बड़े उद्योग धन्धे भी जितनी बिजली लेना चाहें, जब लेना चाहें उनको बिजली दी जायगी, बिजली की कमी से कोई भी इंडस्ट्री हमारे प्रदेश में सफर नहीं करना चाहिये।

(करतल ध्वनि)

जितनी बिजली आप चाहें उसका हम इंतजाम कर देंगे, चाहे छोट उद्योगों के लिये या बड़े उद्योगों के लिये अब बिजली की रुकावट नहीं पड़ेगी।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

बार-बार इस सदन में यह बात उठाई गई है कि हम प्राइवेट कम्पनियों को लेना नहीं चाहते हैं बल्कि उनको मदद करना चाहते हैं। यह बात नही है। पहले जो भी पालिसी रही हो लेकिन हमने उनको लेने का प्रयास किया है, हम ने उनको लाइसेन्स दिया है। जब तक उनके लाइसेंस की अवधि समाप्त न हो जाय तब तक हम उनको आम तौर से नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम इसके लिये प्रयत्नशील रहे हैं कि अगर किसी कम्पनी का इंतजाम ठीक नहीं है तो उसको बीच में ही ले लें और हमने इस तरह से बांदा और गोरखपुर की बिजली कम्पनियों को ले लिया है और झांसी की बिजली कम्पनी को हम लेने जा रहे हैं और लखनऊ तथा इलाहाबाद मार्टिन कम्पनी को १९६४ में हम लेने जा रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, सहारनपुर में कल से बिजली न देने के कारण एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। ऐसी कम्पनियों को लेने की कृपा करें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमने यह प्रयत्न किया है।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, बनारस में बिजली होते हुये नहीं मिल रही है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आपको वहां भी मिलेगी और जहां नहीं होगी वहां इंतजाम करूंगा। कुछ ऐसी बिजली कम्पनियां हैं कि वे बिजली बनाती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का काम म्युनसिपैलिटीज करती हैं और कुछ ऐसी है जो बनाती भी हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। इस साल हमने औरैया और झांसी की बिजली कम्पनियों को लिया है और बलरामपुर में एक बिजली कम्पनी है जो गोंडा और बहराइच में बिजली सप्लाई करती है, उसको हम १९६४ में ले रहे ह। मार्टिन कम्पनी इलाहाबाद और लखनऊ को भी हम इसी तारीख को लेने जा रहे हैं। इसके बाद प्रदेश में केवल २–४ कम्पनियां छोटी मोटी रह जायेंगी जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती रहेंगी। बिजली कम्पनी बनारस और आगरा की रह जाती हैं; हमने तय कर लिया है कि अवधि खत्म होने पर उनको ले लेंगे। हम कम्पनियों से बातचीत करके ले सकते हैं जैसे बांदा और झांसी की कम्पनियों को लिया है और दूसरे किसी का इंतजाम खराब है तो ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ झगड़े की बात होती है और ले लेने पर रिट ले आते हैं। फिर वे कम्पनी को सुधारते नहीं है और हम ले नहीं सकते। लोगों को बिजली न मिलने से परेशानी हो जाती है।

ऊदल जी ने लोन की बात उठाई। इस कानून के अन्तर्गत कोई भी कम्पनी ६ परसेंट से ज्यादा मुनाफा नहीं ले सकती और इस मुनाफे पर कोई काम करने को तैयार नहीं होता, इसलिये जिनके पास लाइसेंस हैं उनके लिये हम देखें कि उनका काम बढ़े नहीं और इस तरह लोग वहां दुख में रहें। या छः परसेंट से ज्यादा मुनाफा लें नहीं और इस काम को करें। उसके साथ हम यह भी करते हैं जैसे इलाहाबाद और मार्टिन कम्पनी को रुपया दिया। वह उस रुपये को हमारी देखरेख में लगाते हैं। जब हम उस कम्पनी को लेंगे तो यह समझा जायगा कि हमारा ही रुपया लगा हुआ है। इस तरह से जिस मार्टिन कम्पनी को रुपया दे कर पावर हाउस बनवाया, साधारणतया उस पावर हाउस के बनाने में फारेन एक्सचेंज मिलने में दिक्कत होती। अब जब हम उसको लेंगे तो हम उसको पावर हाउस के साथ-साथ लेंगे। तो हमने जो रुपया दिया उसमें फाइनेंशल नुकसान नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष—

समय का भी ध्यान रखें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैं दो मिनट में खत्म करना चाहता हूं । आपकी जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूं कि हमारी यह पालिसी है और हमेशा यह रहेगी कि प्राइवेट कम्पनियों को जैसा भी सम्भव हो, कानून के अनुसार जब उनकी अवधि पूरी हो उनको ले लें और एक समय आ जायगा इस वर्ष के बाद छोटी मोटी तीन-चार कम्पनियां रह जायेंगी। ज्यादातर कम्पनियों का हम राष्ट्रीयकरण कर लेंगे ।

भाई लखीसिंह जी ने कोसी बिजली कम्पनी के बारे में कहा । कोसी एक प्राइवेट कम्पनी थी जो १२ आने रेट लेने के बावजूद भी नुकसान में चला करती थी । छोटा सा शहर, बड़ी भारी बिजली कम्पनी । कोयले के दाम बढ़ गये । हिसाब देखा । थोड़े दिनों में वह कम्पनी लिक्विडेशन में जाने वाली थी । हमारे माननीय मुख्य मंत्री और हमने प्रयास किया कि पंजाब से कुछ बिजली ले लें, यद्यपि वह नहीं चाहता था । पंजाब से कुछ बिजली लेकर कोसी को दे दिया । हमारे कुछ नियम हैं । उनके मुताबिक ६ परसेंट से ज्यादा कम्पनी मुनाफा नहीं ले सकती । भाई लखीसिंह थोड़े दिनों में देखेंगे कि जो रेट आज है वह अब नहीं रहेंगे । बरसाना और नंदगांव में भी बिजली देने लगे हैं । आपके क्षेत्र में भी कई जगह बिजली देंगे । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से अपील करूंगा कि कंट्रोल इसी लिये है कि कम्पनियों को कर्ब करें, रेट ज्यादा न लें वह अपने प्रवर समिति के प्रस्ताव को वापस लेंगे और सदन इस विधेयक को पारित करेगा ।

श्री बसन्तसिंह—

मैं वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये जिसे विधेयक की परिधि में परिवर्तन करने का भी अधिकार हो तथा जो अपना प्रतिवेदन १५ दिन के अन्दर सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे । (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २

२—यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९६३" के स्थान पर संख्या "१९६८" रख दी जाय ।

यू० पी० ऐक्ट ६, १९४७ की धारा १ का संशोधन

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा संशोधन प्रस्ताव निम्न है कि खंड २ की दूसरी पंक्ति में १९६८ के स्थान पर १९७९ रख दिया जाय । यह संशोधन देखने में बहुत से लोगों को कुछ ऊटपटांग लगेगा लेकिन जब से मैं सदस्य हुआ हूं सरकार ने विरोधी दल के सदस्यों का एक भी सुझाव या संशोधन स्वीकार नहीं किया है । प्रस्तुत विधेयक के अवसर पर कोई बात हमारी नहीं मानी जा रही है और १९६८ में फिर संशोधन विधेयक लाना पड़े तो फिर न मानी जावेगी, इसलिये सरकार को अधिकार की लम्बी अवधि दे दी जाय ।

[श्री रघुनाथसिंह]

विरोधी सदस्यों के बहुत उपयोगी सुझावों पर भी सरकार की जैसी नीति देखता हूं उसके अनुसार यह मेरे मन में बात आयी कि जब १९४७ से बिजली पर नियंत्रण की अस्थाई अधिकार रखने का यह अधिनियम १६ वर्ष के बाद आज फिर संशोधन विधेयक के रूप में इस सदन में आ रहा है और ६८ तक के लिये अधिकार मांगा गया है....

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन् एजेंडे में "७९" लिखा है और आपने "६९" कहा है, तो दोनों में कौन सही है ?

श्री रघुनाथसिंह—

वह "७९" ही है। तो १९६८ के बाद पता नहीं यह सरकार बने या न बने और मान लीजिये कि कांग्रेस की सरकार ६७ के बाद बनी भी तो भी यह निश्चय नहीं है उस समय तक वह बिजली के उत्पादन, वितरण आदि का राष्ट्रीयकरण कर ही लेगी। तो फिर वैसी सूरत में ऐसा ही संशोधन उसको लाना पड़ेगा। उसकी ऐसी ही रूप रेखा वह तैयार करेगी और फिर उसे इसी प्रकार प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव होगा, सरकार उसे फिर नहीं मानेगी और फिर संशोधनों पर चर्चा होगी। तो इस प्रकार के बार-बार के संशोधनों में समय और धन की बरबादी होगी और हमारे गरीब देश के लिये यह कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। तो अपनी सरकार की अप्रगतिशीलता पर विचार करके—हां जहां तक माननीय मंत्री जी का सवाल है उनके लिये हमारे मन में अच्छी धारणा है यह मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, लेकिन सरकार की अप्रगतिशीलता को देखते हुए यह नौबत फिर न आये ६७ के बाद, इसलिये जिस तरह ४७ से ६३ तक १६ वर्ष का समय उनको मिला उसी तरह चूंकि अब इस विकास के युग में बिजली के उत्पादन उसके वितरण, व्यवसाय आदि पर अत्यधिक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ेगी इस लिये हम चाहते हैं कि सदन इकट्ठा ही इस विधेयक के द्वारा १६ वर्ष का उनको दूसरा समय दे दें ? इस बीच में दूसरी पार्टियों की सरकार आयेंगी, वह क्या-क्या करेंगी, वह दूसरी बात है, लेकिन उधर से उनको अधिकार की पूरी छुट्टी दे दी जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि ६८ के स्थान पर ७९ करके इनको सोलह वर्ष की दूसरी किस्त दे दी जाय।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं डाक्टर साहब की दूरदर्शिता के लिये बड़ा कृतज्ञ हूं और उन्होंने सोचा भी ठीक है। लेकिन परेशानी यह है कि कौंसिल से यह पास होकर यहां आया है। इसमें कोई संशोधन करेंगे तो फिर वहां ले जाना पड़ेगा और फिर आपके यहां लाना पड़ेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ५ ही वर्ष के लिये कर दें। आगे फिर हम भी आयेंगे, और आप भी आयेंगे, तो फिर बढ़ा लेंगे।

श्री रघुनाथसिंह—

जब मेरी दूरदर्शिता पर मंत्री जी को धन्यवाद देने की जरूरत पड़ी तो फिर मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां से मंगाकर एक साथ १६ वर्ष के लिये छुट्टी ले लेने में ज्यादा दूरदर्शिता है या ५ साल बाद फिर लाने में ज्यादा दूरदर्शिता है ? (व्यवधान) नहीं, संशोधन वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ की दूसरी पंक्ति में "१९६८" के स्थान पर "१९७९" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ़ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९६३†

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ को कुछ प्रयोजनों के लिए संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि यू० पी० ऐलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ को कुछ प्रयोजनों के लिए संशोधित किया जाय; यू० पी० ऐक्ट ६, १९४७

अतएव, भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९६३ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९६३ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३

मन्त्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश

†२४ सितम्बर, १९६३ को कार्यवाही में रखा है ।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय। मैं कोई ज्यादा लम्बी तकरीर नहीं करना चाहता हूं। इस विधेयक के आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स को हमारे मित्रों ने हमसे ज्यादा ध्यान से पढ़ा होगा। उसमें मुख्तसरन बहुत साफ कर दिया गया है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी ?

मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा ८ में "स्टेट" की जो परिभाषा थी उसमें कुछ एम्बीग्वीटी थी और दफाओं में जो हवाला दिया गया था, वह लैंड रेविन्यू की दफा ३२ के मातहत क्लाज ए० बी० सी० डी० में जो रिकार्ड रखे जाते है या मेन्टेन किये जाते हैं उनका हवाला दिया था। तो उससे यह आराजी जो उसमें रखी गई थी पूरी तरह से कवर नहीं होती। सन् १९५८ में भी हम एक संशोधन लाये थे, लेकिन फिर भी चूंकि यह इलाका मिर्जापुर के पहाड़ी इलाके का है जहां पर रिवीजन रिकर्ड अरसे से नहीं हुआ है वहां पर कुछ आराजी इससे कवर नहीं होती। हाल में राजा ब्रह्मशाह ने एक रिट हाईकोर्ट में दाखिल किया था। उनकी रिट कुछ तो खारिज हो गई और कुछ जो इलाका रह गया था उसके मुताल्लिक डिग्री हो गई। हमने सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही की है लेकिन एहतियाती तौरपर इस एम्बीग्वीटी को दूर करने के लिये यह संशोधन विधेयक यहां पर पेश किया गया है ताकि सारे सूबे में जब जमीदारी अबालिश हो गई तो कोई एक दो आदमी उससे फायदा न उठा सकें या कुछ लोग तो उसका फायदा उठायें और कुछ न उठावें, तो इस पंक्तिभेद को दूर करने के लिये यह लाया गया है। यह बात हमारे सिद्धान्त के खिलाफ भी पड़ती है जिसकी वजह से यह लाजिमी हुआ कि हम उस इलाके को भी इसके मातहत लावें। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे और इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जिसे विधेयक की परिधि में परिवर्तन करने का अधिकार होगा, समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा यदि ऐसी बात है तो मैं इस विधेयक पर क्या कहता ? यह एक बड़ा मूलभूत प्रश्न हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जिस वक्त सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी तो उसका कुछ उदघोषित लक्ष्य था और उस लक्ष्य में एक जमींदारी विनाश भी था। माननीय राजस्व मंत्री ने एलान किया जब-जब इस विषय में, तो मुझे खुशी हुई। आज भी मुझे खुशी है कि वह बड़े गर्व के साथ उसी तरह का एक संशोधन लेकर इस सदन में आये हैं लकिन जो काम यह सरकार करती है मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस कार्य को विकृत कर देती है और उसको बिगाड़ देती है। किसी काम को सही ढंग से नहीं करती है।

मान्यवर, मैं आप को बतलाऊं कि जिस वक्त सोशलिस्ट पार्टी अलग हुई और आचार्य नरेन्द्रदेव के नेतृत्व में १८ आदमियों ने, जो उन बेंचों पर बैठते थे, इस्तीफा दिया तो उसके पीछे भी यही भावना थी। उस समय भी यह कहा गया था कि बिना मुआविजे के जमींदारी खत्म की जाय, इन्दराज दुरुस्त किये जायं। जनता ने यह पुकार कर कहा था कि बेदखली बन्द कीजाय मगर सरकार ने क्या उस तरह से किया। आज राजस्व मंत्री जी बहुत सी बातें कहते हैं कि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया ? अगर जमींदारी प्रथा को बिना मुआविजे के खत्म किया होता तो सोशलिस्ट पार्टी पहली पार्टी होती जो सरकार का समर्थन करती और सरकार के मूल अधिनियम को हमारी पार्टी ने पूरी तरह से स्वीकार किया होता। अगर सरकार बिना मुआविजे के जमींदारी प्रथा को समाप्त करती है, इसमें संशोधन करती और गलत इन्दराज की दुरुस्ती के लिये संशोधन करती, बेदखली को बन्द करने का संशोधन करती तो हम सब से पहले इस विधेयक का समर्थन करते और एक मिनट के अन्दर इसको पास करते और फिर हम यह सोचते कि सरकार

का समर्थन करना चाहिये। सारे प्रदेश की यह रपट है कि १२॥ एकड़ की बात को सरकार ने सीलिंग में माना है परन्तु फिर भी हजारों और सैकड़ों एकड़ के फार्म लोगों ने बना रखे हैं।

आपने जो फजीहत की, कौटुम्बिक पद्धति का जो आपने विश्लेषण किया वह भी गलत किया। एक परिवार के लिये आपने साढ़े १२ एकड़ की सीमा निर्धारित की और मैं आंकड़े दूंगा कि इससे सारे प्रदेश में गड़बड़ हुई है। कांग्रेस सरकार अपना सबसे बड़ा काम जमींदारी उन्मूलन को समझती है और राजस्व मंत्री कई बार सदन में कह चुके हैं कि हमने तमाम राजे महाराजाओं को खत्म किया, लेकिन यह बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। जमींदारी उन्मूलन जिस प्रकार एक कार्यक्रम का आधार होना चाहिये था वह नहीं हो पाया है। कांग्रेस सरकार उससे उलटे गयी है। अगर इस सरकार ने जमींदारी को बिना मुआवजा दिये खत्म किया होता और साढ़े १२ एकड़ की सीमा सही तौर पर एक परिवार के लिये रखी होती, कागजात की गलतियां ठीक करायी होतीं तो हम उसका समर्थन करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं कि सारे प्रदेश में क्या हो रहा है। एक परिवार में ५ या ७ आदमी रहते हैं। उनमें से बाप ने अपने नाम से जमीन ले ली, बेटे ने अपने नाम से कर ली, पत्नी ने अपने नाम से कर ली और आज कल यह फैशन हो गया है कि अगर किसी से पछो कि तुम्हारा जमींदारी उन्मूलन में क्या गया, तो कहते हैं कि हमने तो तिकड़म से सब बचा लिया। तो कोई भी क्रान्तिकारी परिवर्तन यह सरकार नहीं कर सकी है। फिर कैसे हम उनका समर्थन करें ? हमको इन कानूनों के समर्थन करने पर अपनी आत्मा का हनन करना पड़ता है। मेरे पास आंकड़े हैं कि सरदार योगेन्द्रसिंह ने जो आपके बड़े नेता हैं, ८०० एकड़ का फार्म बना रखा है और आप उसे रोक नहीं पाये। इस तरह से इन्दराज कराये हैं कि आप के पास अब कोई उपाय नहीं है उनके ही रिश्तेदार हैं योगेन्द्रसिंह मजीठिया, उन्होंने भी बड़ा भारी फार्म लगा रखा है और तमाम अपने कुटुम्ब के नाम करा रखा है। सारे प्रदेश में इस प्रकार और जबरदस्ती से जमीन चुरायी गयी है और बिना जमीन वालों को जमीन नहीं मिल पायी है। आप इन्दराजों को भी ठीक नहीं करा पाये। तो अगर आप मूल अधिनियम में संशोधन लाते तो हम उसका समर्थन कर सकते थे। इसके बाद संपत कुमार देवरिया के हैं जो ४००० एकड़ जमीन को लादे बैठे हैं। आज तो आप क्रान्तिकारिता का विकृत रूप जनता के सामने लाकर रख रहे हैं ताकि जनता और दूसरे प्रदेश समझें कि कांग्रेस सरकार कोई क्रान्तिकारी कदम उठाने जा रही है मगर इसमें ढोल में पोल है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय सदस्य जो लेक्चर दे रहे हैं इसका इस संशोधन विधेयक से कितना ताल्लुक है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

यह नीति का प्रश्न है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

इसमें कौन सी नीति इंवाल्वड है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

कल्पनाथ जी, बौखलाइये मत। मैं कह रहा था कि यदि मूल अधिनियम में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन किया गया होता और इस तरह की टीपटाप न की गयी होती तो मैं उसका समर्थन करता। मैं संशोधन पर ही आ रहा हूं, अलग नहीं जा रहा हूं। इसके बाद मान्यवर, चीनी मिले हैं। उन्होंने बड़ी जमीन घेर रखी हैं। रामकोला मिल है, नवाबगंज, गोंडा मिल है, बरवल मिल है। तो इस तरह से तमाम चीनी मिलों ने बहुत सी जमीनें घेर रखी हैं। इसके

[श्री राधेश्याम शर्मा]

अलावा सरकारी अफसर हैं। कोई राजेन्द्रप्रसाद, आर० पी० सी० हैं मेरठ के, एक बुद्धाराम एस० डी० एम० हैं, इन लोगों ने बहुत बहुत जमीन घेर रखी है और यह सब इसलिये है कि सरकार ने कोई क्रान्तिकारी कदम इस भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में नहीं किया जैसा कि उसे करना चाहिये था। अब मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी की समझ में आ गया होगा। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो जमींदारी पहाड़ी इलाकों में खत्म करने जा रहे हैं उसको वह कम से कम बिला मुआवजा खत्म करें। उन राजाओं को कोई मुआवजा उसका न दें और जो जमीनों का वितरण कराएं वह साढ़े १२ एकड़ की जो सीलिंग आपने बना रखी है उसी के आधार पर करायें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि ऐसा न हो कि न किसानों को लाभ हो और न सरकार को फायदा हो। जिस प्रकार से कि पहले भी न किसानों को लाभ पहुंचा, न छोटे जमींदारों को बल्कि जमीन सरकार ने और बड़े जमींदारों ने हड़प ली। अगर १६ साल के बाद भी आज सरकार कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तन लाती और यह एलान होता कि जमींदारी बिला मुआवजा सरकार लेगी और गलत इन्दराज न होने पायेगा तो हम उसका समर्थन करते। तो मैं यही कहूंगा कि इस विधेयक द्वारा जो डीप-टाप किया गया है उसका मैं सख्त विरोध करता हूं, इसमें अभी और सुधारों की आवश्यकता है। इसलिए इसको एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो इसमें उचित संशोधन प्रस्तुत करे। उसके बाद इस पर यहां बहस हो।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा था कि हाईकोर्ट में एक रिट आ गया जिसके अन्तर्गत हमको 'स्टेट' की परिभाषा बदलने के लिए यहां पर एक संशोधन लाना पड़ा, तो माननीय मंत्री जी या सभा सचिव जो भी उत्तर दें वह इतना स्पष्ट कर दें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिट है उसके होते हुए आपका यह परिभाषा को बदलने का संशोधन सब-जुडिस हो जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमारे मित्र को तो हमेशा क्लैरिफिकेशन की जरूरत हुआ करती है। हमारे लीगल एडवाइजर ने ऐडवाइज किया है कि ऐसा विधेयक लाओ।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र का भाषण बहुत ही गौर से सुना। ठीक है, उनकी इसी सदन में वह नजारा देखने को नहीं मिला, क्योंकि उनकी उम्र कम है। जिस समय जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पास हुआ था सौभाग्य से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप और हममें से बहुत से ऐसे सदस्य रहे होंगे जिन्होंने देखा कि किन परिस्थितियों में वह प्रस्ताव लाया गया। यदि वे होते तो भली भांति अनुभव करते। क्रान्तिकारी परिवर्तन आप जरूर लाना चाहते हैं, लेकिन आप को मालूम होना चाहिए कि यहां ३६ किस्म के टेन्योर सिस्टम थे और उत्तर प्रदेश का आराजी कानून भारतवर्ष में सब से जटिल था। यहां बड़े बड़े तालुकेदार, राजे-महाराजे और वालिया ने मुल्क बसते थे और जमींदारी प्रथा को कायम रखने के लिए उनके पास नाना प्रकार के साधन थे। उस समय काफी माहिर योग्यतम व्यक्ति जिस पक्ष में माननीय सदस्य बैठे हैं वहां बैठे हुए थे। माननीय सदस्य को कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन भले ही नजर न आवे, लेकिन जहां पर टेनेन्ट ऐट विल (Tenant at will) की प्रथा रही हो, जहां किसान अपनी सारी गाढ़ी कमाई लगा कर जमीन जोतता हो और जब बोने काटने का वक्त आवे तो फौरन उससे निकाल ली जाय। आज उन किसानों के दिलों से पूछा जाय, उनके बाल बच्चों से पूछा जाय कि पहले उनकी क्या दशा थी और आज क्या है। जब भी फसल को काटने का वक्त आता था, उनकी फसल छीन ली जाती थी। तो उस वक्त की परिस्थिति को अगर आप समझेंगे तो आज आप एक क्रान्तिकारी ही परिवर्तन पावेंगे। इस समय सूबे की

चप्पा-चप्पा जमीन पर जमींदारों का अधिकार नहीं रह गया है, किसान अपनी जमीन का स्वयं मालिक है। हमने प्रचलित ३६ प्रकार के टेन्योर सिस्टम को ४ किस्मों में बदल दिया और खेत जोतने वालों तथा सरकार के बीच कोई कड़ी बाकी नहीं रखी। जो पहले अपने घर को घर, बाग को बाग नहीं समझते थे, वे ही आज अपने घर को अपना घर समझते हैं, मौज से सांस लेते और आराम से रह रहे हैं। यह ठीक है कि कोढ़ को एकदम साफ नहीं किया जा सकता, मगर हमने जमींदारी प्रथा का खात्मा करके यहां की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को ठीक किया है। माननीय वक्ता की खवाहिश कुछ और ऊंची हो सकती है, मगर वास्तविक स्थिति को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता।

यह एक मासूम बिल है। इस प्रदेश की आबादी तथा क्षेत्रफल को देखते हुये यह बिल सम्बन्धित भूमि के समक्ष नगण्य है। मिर्जापुर के एक छोटे से इलाके को इसमें शामिल करने की बात है। उन गांवों के नाम भी इस बिल में लिपिबद्ध हैं। वहां के लिये भी जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की धारा ३, खण्ड ८ में स्टेट की परिभाषा में, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता आ पड़ी है। यह भी इसलिये जरूरत पड़ी, क्योंकि वहां के मालिकान लोगों ने एक दावा हाई कोर्ट में दायर कर दिया था। १३ वर्ष पहले हमने एक ऐक्ट पास किया था। आज हर खेतिहर मजदूर से यह मालूम किया जा सकता है कि इससे उनको कितनी राहत तथा सुविधा मिली है।

श्रीमन्, यह सही है कि कुछ कठिनाइयां हैं विशेषतः आर्थिक कठिनाइयां हैं, लेकिन इस समय अगर आप अपनी सोशलिस्ट पार्टी के सिद्धान्तों को सदन के सामने रखेंगे तो उसका जवाब देना युक्तिसंगत नहीं होगा। जो थोड़े से गांव रह गये हैं, उनकी भी व्यवस्था हम उसी स्टेज पर लाना चाहते हैं जिस स्टेज पर प्रदेश के और हमारे गांव हैं। हम इनको भी वही सुविधायें तथा अधिकार देना चाहते हैं जो हम औरों को देते आ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि एक ऐसा भी समय था जब कि किसान सुबह के वक्त राम का नाम तक जोर जुल्म के कारण नहीं ले पाता था। आज उसको कितनी सुविधायें मिली हैं ? अभी १७ अक्तूबर की तारीख को ही हमने २५ फीसदी बढ़ी हुई लेवी को जो किसानों को असहनीय थी, वापस किया है। उससे कितनी राहत उन किसानों को मिली ? मेरी समझ में नहीं आता कि आप इसको प्रवर समिति में ले जाकर कौन सी बात करेंगे। इसी तरह की वहां भी बहकी बहकी बात आप करेंगे जो युक्तिसंगत नहीं होगी। इसमें तो अगर देरी की जायेगी तो जो अभिप्राय बिल लाने का है उससे हम दूर रहेंगे।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, हमको मासूम कहा जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप को नहीं, वे बिल को कह रहे हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री--

श्रीमन्, मैंने कोई ऐसे अल्फाज नहीं कहे जिन पर एतराज किया जा सके। मेरे मित्र तो नाना प्रकार के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो संशोधन बिल सदन के सामने रखा जा रहा है, उसको सर्वसम्मति से पास किया जायगा।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, सदन के सामने यह जो प्रस्ताव है कि "उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, ११६३ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

परिधि में परिवर्तन करने का अधिकार होगा," मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय शास्त्री जी ने यह कहा कि यह बड़ा मासूम बिल है। मैं पहले तो था नहीं। कदाचित माननीय मंत्री जी ने भी ऐसा ही कहा हो। (मंत्री जी के मना करने पर) उन्होंने ने कहा हो, लेकिन मैं अब आपके सामने यह बताना चाहता हूं कि जिसको मासूम कहा जाता है वह बिल कितना मिश्चीवियस है। इससे कितने बड़े अधिकारों का हनन होता है। श्रीमन्, यह मैं बहुत बार कह चुका हूं कि हमारा ला डिपार्टमेंट कितना इनएफीशियेंट है और तब तक कहता रहूंगा जब तक उसका रवैया बदल नहीं जाता है। जब हाई कोर्ट ने सुझाव दिया है तब स्टेट की डेफीनीशन बदली जा रही है और किस रीति से, यह देखने की बात है। यह एक महत्वपूर्ण बिल है इसलिये इस पर हमें विचार का अवसर मिलना चाहिये, दूसरे इसकी परिधि बढ़ाने का भी हमें अवसर मिलना चाहिये क्योंकि इस बीच में अदालतों ने जो बातें हम लोगों के सामने रखी हैं, उन पर भी हमको विचार करना चाहिये।

मैंने पहले ही कहा है कि मंत्री जी को ला डिपार्टमेंट पर अधिक ध्यान देना चाहिये कि वह किस प्रकार का कार्य कर रहा है। मैं समझता हूं किसी कानून में भी इतने संशोधन नहीं आये होंगे जितने कि इस बिल में आये हैं, सन् १९५१ से आज तक। मैं तो समझता हूं कि जब जब विधान सभा का अधिवेशन हुआ है तब तब इस ऐक्ट में संशोधन लाये गये हैं और इस पर हमारी जनता का इतना रुपया खर्च हुआ है। इसका कारण क्या है? इन बातों पर पहले ही विचार क्यों नहीं किया गया? इस पर भी कहा जाता है कि यह बड़ा मासूम बिल है। सेक्शन २ को यदि आप देखें तो आप को यह विदित होगा कि आज प्रान्त की जनता अपनी टैन्योर को सिक्योर नहीं समझती क्योंकि उसको यह डर है कि गवर्नमेंट न जाने कब क्या कानून बना दे। क्योंकि यहां तो नित्य प्रति नये नये कानून बनाये जाते हैं। यही कारण है कि एग्रीकल्चर में भी गिरावट आयी है।

अब आप इस संशोधन को देखें जो सन् १९६३ में लाया जा रहा है। इसमें आप कहते हैं कि इसको सन् १९५२ से लागू माना जायगा। दूसरी बात आप यह कहते हैं कि किसी ने किसी की जायदाद ली और उस जायदाद के बारे में वह लड़ा, उसमें उसने बहुत सा रुपया और समय खर्च किया और आखिर में अदालत द्वारा उस अधिकार को प्राप्त किया। अब उसके लिये यह सरकार कहती है कि हम जनहित में यह करने जा रहे हैं। कहते हैं कि चाहे डिग्री हो गयी हो, चाहे किसी अदालत से आज्ञा हो गयी हो, चाहे किसी को कोई अधिकार प्राप्त हो गया हो, चाहे किसी अधिकार की पुष्टि हो गयी हो, वह एक भी नहीं माना जायगा। किसी एक बड़े आदमी ने इन्टरमिडरी से १०बिस्वा जमीन, पैसा खर्च करके प्राप्त की, लेकिन आज आप इसके द्वारा उस सब को इनवेलीडेट करने जा रहे हैं। आज आप सारे के सारे को इनवेलिड करने जा रहे हैं, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहते हैं। एक तरफ तो किसी के पास हजारों बीघे जमीन है और दूसरी तरफ एक लैंड लैस लेबरर है जिसने कानपुर, कलकत्ता या बम्बई से कमा कर पैसे प्राप्त किये और उसने उससे कुछ जमीन खरीद ली, तो उसके ऊपर यह लागू नहीं होगा, इसके ऊपर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिये मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये सपोर्ट कर रहा हूं ताकि वहां पर इस पर अच्छी तरह से विचार किया जा सके। यह क्या कोई मामूली चीज है कि अदालत द्वारा किये हुए किसी फैसले के बाद उसे ठीक करने के लिये ऐक्ट में बदलाव किया जाय?

अभी तक सरकार की तरफ से यही कहा जाता रहा है कि वकील लोग मुकदमेबाजी को बढ़ाते हैं, ये झगड़े लगा कर मुकदमेबाजी को बढ़ाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की वजह से जितनी मुकदमेबाजी बढ़ी है उतनी किसी से नहीं बढ़ी है। इस ऐक्ट ने आम जनता को तबाह कर दिया है। इसका कारण यह है कि सरकार अपने मस्तिष्क में निश्चत नहीं है कि कौन सा पग उठावे जिससे उसका फायदा हो। हमारे यहां का ला डिपार्टमेंट

कितना केयरलेस है उसकी नजीर अभी थोड़े दिन पहले हमारे सामने आयी। इससे सरकार का तो कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन जनता का जरूर बिगड़ गया। सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती कि जो ऐक्ट वह बना रही है भविष्य में उसका असर क्या होगा। इस सम्बन्ध में मैं एक सेक्शन का उदाहरण देता हूं--

"५--इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा ३ के खंड (८) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट क्षेत्र या उसके किसी भाग पर ३० जून, १९५३ के पश्चात् किसी मध्यवर्ती या मध्यवर्तियों द्वारा बिना आगम (टाइटिल) के कब्जा रखने के कारण राज्य द्वारा वसूल की जाने वाली धनराशि, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे क्षेत्र या उसके भाग के, जैसी भी दशा हो, सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक न होगी।"

ऐसी स्थिति में किसी गरीब ने किसी वकील या कानन विशेषज्ञ की जानकारी में वैध तरीके से कोई जमीन खरीदी और वह व्यायड हो जायगा तो यह कहां तक उचित होगा, इस पर आप ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसका कोई भी जवाब आपके पास नहीं है कि उस लैंडलेस लेबरर के हित में यह काम कहां तक हो रहा है। यहां के ला डिपार्टमेंट को पहले अक्ल नहीं आती। उसे तो तब अक्ल आती है जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग हो जाती है और ऐक्ट अल्टरावायरस करार दिया जाता है। इसी तरह से सेक्शन (६) में लिखा हुआ है--

"(१) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों को प्रचलित करने में किसी कठिनाई को दूर करने के लिये राज्य सरकार आज्ञा द्वारा--

(क) निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम ऐसी सीमित अवधि में जो, उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट कीं जाय, ऐसे अनुकूलनों और परिष्कारों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो निर्दिष्ट किये जायं।

(ख) ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जो आज्ञा में निर्दिष्ट किये जायें।"

कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई संशोधन करने का विधेयक आया तो उसके लिये यही कहा गया कि प्रिंसिपल ऐक्ट में कुछ दिक्कतें महसूस हुईं, उन डिफिकल्टीज को रिमूव करने के खयाल से ही इसे लाया गया है। एक तरफ तो यह कहा जाता है और दूसरी तरफ एक अधिकारी को पावर डेलिगेट की जाती है। इस तरह से अगर आपस में ही टक्कर हो तो इससे क्योर नहीं हो सकता है बल्कि बाद में अल्टरावायरस होने की ही सम्भावना बढ़ जाती है। इस तरह से मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है जो मैं आपके सामने ला रहा हूं। इसलिये मैं इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात कहता हूं ताकि वहां इस पर अच्छी तरह से विचार हो सके। वहां की बात सुनने के बाद आपके मन में वह ठीक न जंचे तो उसे आप न मानें। ठीक है, आप उसको मत मानिये और अपने कहने के मुताबिक ही वहां संशोधन कर लीजियेगा। मेरा विश्वास है कि अगर यह प्रवर समिति के सामने जायेगा तो वहां आप गरीब किसानों के साथ इंसाफ करेंगे। जो पहलू आप अभी तक भूले हुये हैं उनमें वहां पर विचार हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अब जल्दी ही समाप्त कीजियेगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

अच्छा, मैं केवल एक बात कह कर समाप्त करता हूं। एक पहलू तो यह है जो मैंने कहा और दूसरा पहलू प्रवर समिति की परिधि बढ़ाने के बारे में है। मैं यह समझता हूं कि आप, हमारे मंत्री जी, आज कल वकालत नहीं करते हैं। अगर उनका प्रैक्टिकल टच उससे होता तो मेरा विश्वास है कि आप इससे ज्यादा बेहतर संशोधन लाते। चूंकि आप यहां बैठे हुये हैं इसलिये आप के दिमाग में उनकी प्रैक्टिकल डिफीकल्टीज नहीं आ सकतीं। अभी विचार करने की बात है कि आप ने जो २२९-बी और बहुत से सेक्शन्स इसमें बढ़ाये हैं उसमें आप ने लिख

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

दिया है कि जो कोई दावा करेगा वह पूरी होल्डिंग का करेगा। सैकड़ों दावे कमिश्नर के यहां रिमान्ड हो गये। मान लीजिये कि ३२ नम्बर के खेत का झगड़ा है और पूरे खाते में ५० नम्बर हैं तो उसको पूरी खतौनी लेनी पड़ेगी। नतीजा यह होगा कि उसका पैसा खर्च होगा। यानी जिन पर झगड़ा नहीं भी है, लेकिन उसके लिये भी उसको पैसा खर्च करना ही है। ऐसे ऐसे अवगुणों पर वहां प्रवर समिति में विचार करने का मौका मिलेगा अगर आप ने इसकी परिधि को भी बढ़ा लिया।

माननीय मंत्री जी ने मुकदमेबाजी को बहुत बढ़ा दिया है। मंत्री जी आप देखिये कि अगर पार्टीशन में दावा करते हैं तो मकान का दावा दीवानी में और खेत का दावा माल में यानी दो-दो जगह करना पड़ेगा। अगर हम खेत और मकान का दावा एक में कर सकते तो एक ही जगह दावा हो जाता और इतनी बड़ी भारी परेशानी और खर्च से बच सकते। इसीलिये मैं यह कहता हूं कि अगर यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और वहां पर ठंडे दिल से विचार किया जाय तो जो शंकायें विरोधी दल के लोगों को उत्पन्न हो रही हैं वह दूर हो जायेंगी और जिन मुसीबतों में आज गरीब को उलझाया जा रहा है उससे वह बच सकता है। श्रीमन्, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लैंडलेस लेबरर्स के जिनको २, २ और ३, ३ बीघे खेत दिये गये हैं उन पर बड़ा भारी एफेक्ट इस विधेयक का होने जा रहा है। बड़ा अनर्थ हो रहा है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता और आप तो यहां इसको पास करके रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट दे देंगे, लेकिन जो बातें मैंने रखी हैं उन पर गौर करने के लिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा और आशा करूंगा कि वे हमारे संशोधन को स्वीकार करेंगे और प्रवर समिति के समक्ष इस पर विचार होने के लिये अवसर अवश्य देंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो यह संशोधन बिल पेश किया है. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

समय बहुत कम है, जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री ऊदल—

मैं जल्दी ही खत्म करूंगा। जो संशोधन बिल पेश है वह बहुत अच्छा है। पूरे प्रदेश में जमींदारी एबालीशन हो गया और जो अधिकार थे किसानों को मिल गये, लेकिन बहुत दिक्कत कुछ हिस्सों में है। माननीय शास्त्री जी ने कहा वह अपनी जगह पर बिलकुल ठीक है। मिर्जापुर इलाके में वहां के किसानों को यह हक नहीं मिला। यह विधेयक इतना अहम है कि इसका तत्काल वहां भी लागू होना बहुत जरूरी है। इस संशोधन विधेयक को लाने के लिये मैं माल मंत्री जी को तहेदिल से बधाई देता हूं और विधेयक का स्वागत करता हूं। यह बहुत अच्छा काम आपने किया है। उस पिछड़े हुये इलाके में जहां आदिवासी बसते हैं उनके हकूक की रक्षा इतने दिनों बाद करने का जो सरकार ने फैसला किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं आपसे आग्राह करना चाहता हूं कि आदिवासी इतने कम पढ़े-लिखे हैं कि उन को अपने हकूक का ज्ञान नहीं है और इस अज्ञान के जिम्मेदार आप हैं। मैं चाहता हूं कि आप मौका मुआयना के बाद एक स्पेशल कागजात का करेक्शन करावें, उनका नाम आज तक सरकारी कागजात में नहीं है, वे खेत जोतते हैं और बड़ी मुसीबत में हैं और इस तरह से उनके अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। उन को भी पूरे सूबे की तरह सीरदारी के अधिकार मिलने चाहिये जिस तरह से कि और जगह अधिवासियों को सीरदारी के अधिकार दिये गये हैं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी तक हालत यह है कि वहां के लोगों में काफी जहालत है और वह बहुत पिछड़े हुये हैं, उस इलाके में वन व पहाड़ अधिक हैं। जंगल विभाग को

जमीन ट्रान्सफर न की जाय । उनके जो अधिकार वन से लकड़ी व छप्पर की फूस आदि लेने के हैं वह सुरक्षित रखे जायं, इससे उन की बड़ी सेवा होगी । इन से वन विभाग के फारेस्टर्स व फारेस्ट गाड्स सें छूटकारा मिल जायगा । मैं ज्यादा समय न लेकर केवल इतना निवेदन करूंगा कि जो खेती की सुविधायें अन्य जगहों में दी जा रही हैं वे वहां भी उपलब्ध करा दें ताकि वह इलाका भी तरक्की कर सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का दिल से समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उस ओर यदि सरकार का ध्यान गया है तो वह एक अच्छा कदम है । अगर कागजात में करेक्शन मौका मुआयना करा के करा देंगे तो बड़ा उपकार उन के साथ होगा ।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत हुआ है उसका मूलतः सम्बन्ध मिर्जापुर जिले के उस क्षेत्र से है से जोकि उस जिले के दक्षिण का भाग है और शताब्दियों से यह क्षेत्र जमींदारों के दमन से ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों, बड़े-बड़े लोगों और जमींदारों आदि के दमन से पीड़ित रहा है । उस क्षेत्र में जमींदारी समाप्ति के बाद बाकायदा पटवारी व कानूनगो अलग से कर्मचारी होते हैं जो सारी जमीन के अलग से कागजात बनाते हैं और इंतजाम करते हैं । वे लोग पहले से पता लगा लेते हैं जो कि वहां के बड़े-बड़े जमींदार हैं कि कहां कौन योजना बांध आदि की आने वाली है और वहीं अपने नाम जमीन के पट्टे करा लेते हैं और लाखों करोड़ों रुपया सरकार से मुआवजे में ले लेते हैं । उस क्षेत्र में इन जमींदारों ने अपनी तिकड़म और साजिश से वहां के माल के रिकार्ड्स को अपने पक्ष में किया है और वे हाईकोर्ट से अपने पक्ष में फैसले लेने के योग्य बन गये ।

जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की सेक्शन ३ के क्लाज ८ में जो स्टेट की परिभाषा है उसमें जो चीजें कवर होतीं, जिन चीजों का इंक्लूजन स्टेट के नाम से किया गया है और लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा १९० में ए० से ई० तक जो दर्ज रजिस्टर किये जाते हैं और जिनका नाम दर्ज है वह जमीन स्टेट के नाम से कही जाती है । उन्हीं के बारे में यह जो संशोधन पेश है, वह जो परगना अगोरी का शिड्यूल एरिया है, जहां के लोगों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त नहीं हैं, कुछ अधिकार बाद में मिले हैं, उन सीधे सादे लोगों से लाभ उठाकर वहां के जमींदारों ने ऐसा परिवर्तन कराया या केस को ऐसा लड़ा कि अपने अगोरी क्षेत्र को जो शेड्यूल एरिया में है उसे आस्थान से अलग करा लिया । तो विधेयक का मतलब है कि जिन जमींदारी समाप्ति के बाद की सुविधायों से प्रदेश के और किसान लाभान्वित थे वही लाभ इस क्षेत्र के लोगों को भी मिले । इसलिये सरकार ने अग्रिम रूप से इस बिल को पेश किया है । इसलिये जिन्होंने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है उनको यह विवाद करना चाहिये था कि जो परिवर्तन किया जा रहा है उससे वह और क्या आगे करना चाहते हैं । आप सेक्शन ३ के क्लाज (८) की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते और तमाम इधर-उधर की बातें कहना चाहते हैं । उसके लिये आप गैरसरकारी बिल लाइये । उस पर विवाद होने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिये, समय कम है ।

श्री बेचनराम—

मुझे एक वाक्य का और जवाब देना है जो हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि संशोधन से एक जमींदारी का बहुत फायदा हुआ है और ऐसा करने से उनको लाभ नहीं होगा । तो स्पष्ट है कि विरोधी दल में दो पक्ष हैं । एक पक्ष ऐसा है जो चाहता है संशोधन में क्रान्तिकारी परिवर्तन आवे और एक पक्ष कहता है कि जमींदारों का अहित होने वाला है और ऐसे लोग किसान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बेचनराम]

का अहित करने वाले हैं । इन बातों से स्पष्ट है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भजने की जरूरत नहीं है और उनको अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहिये ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यहां मंशा नहीं है कि जमींदारी समाप्त न हो । हम तो चाहते हैं कि प्रदेश में जहां कहीं भी जमींदार बच गये हों उनको भी समाप्त कर दिया जाय । पर जो तरीका इस सरकार का जमींदारी विनाश का है, माननीय ऊदल ने तो एक वाक्य में सब बात कह कर टाल दी कि वहां के लोगों के खाते दुरुस्त हों जिससे आदिवासियों को लाभ हो, लेकिन मैं यह और कहना चाहता हूं मंत्री जी से कि उस जिले म जहां जमींदारी खत्म हो रही है जिसमें इतने गरीब लोग हैं तो वहां कम से कम आप अपने मूल अधिनियम में संशोधन करके बिना मुआवजा जमींदारी समाप्त कर दें और जो गलत इंदराज हों। उनको सर्वे करा के ठीक करा दें, ताकि उनके नाम ठीक से इंदराज हो जायं । जहां भी जमींदारी समाप्त करना चाहते हैं जो समाजवादी व्यवस्था में होनी चाहिये उसी तरह हो। पर आपका जो तरीका है उससे क्रान्तिकारिता की आड़ में आप उन्हीं लोगों के लाभ की बात सोचते हैं जिस वर्ग का आप १६ साल पहले विरोध करते थे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दिल में एक गलतफहमी थी । जब विधेयक पेश करने लगा तो मेरे दिल में यह खतरा था कि स्वतंत्र पार्टी के लोग इसका विरोध करेंगे, लेकिन वह गलतफहमी दूर हो गई । फिर दूसरी बात यह आयी कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से इसका विरोध किया गया संशोधन लाकर मुझे खुशी है, ऊदल जी के वक्तव्य को सुनने के बाद कि उनको भी अक्ल आ गयी है और उन्होंने एश्योरेन्स दिया है कि जब कोई जमींदारी एबालीशन का मामला आयेगा तो वे हमारी पूरी-पूरी मदद करेंगे ।

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि श्री माधो प्रसाद जी, जो कि एक प्रैक्टिसिंग लाइयर हैं और जो इतने समझदार हैं, उन्होंने इस तरीके की बातें कहीं । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमेशा ही प्रोग्रैसिव एकोनोमी में ला बदलते रहे हैं । उनको मालूम नहीं है कि जिस जमाने में यह बिल आया था कितने इन्टरैस्ट्स का एडजस्टमेंट किया गया था । तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उनको पता नहीं कि बिल किस तरह से, किन मुश्किलातों से यह कानून लाया गया था । अब तजुर्बे में जितनी दिक्कतें आयेंगी उनको सुधारना हमारा फर्ज है । यह एरिया हमेशा से एक्सक्लूड रहा है । रैवेन्यू इनेक्टमेंट के तहत में नहीं आया । इसमें पुराना रिकार्ड था बहुत दिनों से रिवीजन आफ रिकार्ड नहीं हुआ है । बहुत रिलीफ होगा । अगर आप हमें बता दें, हाई कोर्ट भी बता दे । यही नहीं अगर हमारे नोटिस में कोई बात आती है तो मैं मशकूर होता हूं । आपको अधिकार है और हमारा फर्ज है कि आप को भी सुनें । जहां तक ला डिपार्टमेंट का सवाल है उनकी कोई गलती नहीं है । आप कह सकते हैं क्योंकि जबान जबान से नहीं हारती है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जमींदारी ऐक्ट जब आया था जैसा कि हमारे माननीय शास्त्री जी ने कहा, बड़े-बड़े सूर सामन्त उधर थे, जमींदारों को डिफैन्ड करने में । वास्तव में यह ऐक्ट तो उन गरीबों की रक्षा करने के लिये और जमींदारी एबालीशन में सोशलिस्ट पैटर्न की ओर एक बहुत बड़ा कदम है और अगर उसमें कोई त्रुटि रह गयी है, या टीदिन्ग ट्रबल रह गयी है उसको भी दूर किया जा सकता है । जमींदारी को हम फाउन्डेशन तक खत्म करना चाहते हैं जिससे यह फिर न पनपे और अगर आप चाहते हैं कि वह पनपे तो आप इस संशोधन की आड़ में जमींदारों को मदद करना चाहते ह, डिले करने में उनको मदद होगी ।

इस सम्बन्ध में राधेश्याम जी के वक्तव्य से जाहिर होगा कि उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वे भी हमारी सहायता करेंगे । जैसा हमारे मित्र ने कहा है आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने सिफारिश की थी कि मुआविजा देने का संविधान में प्रावीजन है और संविधान के

होते हुये ऐसा नहीं हो सकता कि मुआवजा न दिया जाय। मैं श्री ऊदल जी की भी बात मान लेता परन्तु मैं कोई बात ऐसी नहीं करना चाहता जो खिलाफ अमल हो, खिलाफ कानून हो । यह तो राधेश्याम जी कह सकते हैं लेकिन मैं नहीं कह सकता और अगर मैं कहता हूं तो मेरी जबान पकड़ ली जाय । मैं सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहता हूं ताकि उसमें कोई त्रुटि न हो और माधो प्रसाद त्रिपाठी को यह मौका न मिले कहने का कि राजस्व मंत्री बड़े नालायक हैं, कूढ़ मग्ज हैं। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन इस बिल को स्वीकार करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि में परिवर्तन करने का अधिकार होगा (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे) ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २, ३ अनुसूची तथा खंड ४–६

२—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) में, धारा ३ के खण्ड (८) में स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड, १ जुलाई, १९५२ से बढ़ा दिया जाय और किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिगरी, अवधारण या आज्ञा के होते हुये भी मूल अधिनियम (जिसके अन्तर्गत उसकी धारा २ और ४ भी हैं) या उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ (जिसके अन्तर्गत उसकी धारा १ भी है) या उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५६ (जिसके अन्तर्गत उसकी धारा १ भी है) या उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (जिसके अन्तर्गत उसकी धारा १ भी है) के अधीन जारी की गई विज्ञप्तियों का इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानो उक्त प्रतिबन्धात्मक खंड उक्त दिनांक से मूल अधिनियम का तथा शब्द "आस्थान" की परिभाषा, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८ में दी गयी है, का भी भाग रहा है:

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २०, १९५४

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १८, १९५६

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३७, १९५८

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मिर्जापुर जिले का प्रत्येक वह क्षेत्र, जिसकी सीमाएं अनुसूची ७ में दी गयी हैं, उपर्युक्त परिभाषा में किसी बात के होते हुए भी आस्थान समझा जायगा"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४, १९५८

३—मूल अधिनियम की अनुसूची ६ के पश्चात् निम्नलिखित नयी अनुसूची बढ़ा दी जाय और १ जुलाई, १९५२ से इस प्रकार बढ़ायी हुई समझी जाय ।

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १ में अनुसूची ७ का बढ़ाया जाना

"अनुसूची–७"

[धारा ३ के खंड (८) का प्रतिबन्धात्मक खंड देखिये]

(१) क्षेत्र जो जिला मिर्जापुर में परगना अगोरी के नाम से प्रसिद्ध है और जिसकी सीमा—

उत्तर में कैमूर पर्वतमाला का वह भाग जो जिला मिर्जापुर के परगना बड़हर के ग्राम पड़ौनियां (जिसे पड़वनिया भी कहते हैं), चिगौरी, गुरौल (जिसे गुरवल भी कहते हैं), करौंदिया, बरौली, डुमखरी, खिरहटा, गड़मा, खजरौर (जिसे खजुरौल भी कहते हैं), दुगौली, बड़ागांव, जुरौली' जुरौलीकुलानी, राजपुर, रैपुरा, सेन्दुरी, रघुनाथपुर, बहुवार, बसौली बधुवारी, लौढ़ी, रौंप, मुसही, चुर्क तथा उरौली (जिसे अरौली भी कहते हैं) व परगना विजयगढ़ के ग्राम विरंचुवा, मकरीवारी, पोखरौंध, लौवा चेरूई, बघमां, मरकुंडी से मिला हुआ है, परगना विजयगढ़ के ग्राम ससनई की पश्चिमी सीमा तक, जो अगोरी व विजयगढ़ परगनों के बीच की सीमा है, कनहर और सोन नदियों के संगम के सामने के बिन्दु तक और उसके पश्चात् सोन नदी ही उत्तरी सीमा बन जाती है;

पूर्व और दक्षिण-पूर्व में बिहार राज्य का क्षेत्र;

दक्षिण में—तहसील दुद्धी, जिला मिर्जापुर;

दक्षिण-पश्चिम तथा पश्चिम में—मध्य प्रदेश का क्षेत्र (भूतपूर्व रीवां रियासत) है ;

किन्तु इस क्षेत्र में ग्राम किशुन चक सम्मिलित नहीं है, जो परगना अगोरी के भीतर एक भिन्न आस्थान है और जिसके उत्तर, पूर्व तथा दक्षिण में ग्राम कोन खास तथा पश्चिम में मोहिउद्दीनपुर, जिला मिर्जापुर है ।

(२) क्षेत्र जो जिला मिर्जापुर, परगना विजयगढ़ में तप्पा अरगुढ़ के नाम से प्रसिद्ध है और जिसकी सीमा—

उत्तर में कैमूर पर्वतमाला का वह भाग जो परगना विजयगढ़ के ग्राम मरकुंडी चरूई, पल्हारी, कोदई, गढ़वान, बैजनाथ, रामपुर, सोमा, सथारी, पनौरा, चिचलिक, खौडेला तथा वडेला से मिला हुआ है ;

पूर्व में बिहार राज्य का क्षेत्र;

दक्षिण में सोन नदी;

पश्चिम में ग्राम कंधौरा (जिसे कन्हौरा भी कहा जाता है) परगना अगोरी, जिला मिर्जापुर है ।"

४—इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा ३ के खंड (८) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिविष्ट किसी क्षेत्र में किसी स्वत्व या किसी क्षेत्र की उपज के सम्बन्ध में किसी मध्यवर्ती द्वारा ३० जून, १९५३ को या उसके पश्चात् किया गया कोई हस्तान्तरण या संविदा व्यर्थ होगा ।

कतिपय हस्तान्तरण और संविदाओं का व्यर्थ होना

५—इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा ३ के खंड (८) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिविष्ट क्षेत्र या उसके किसी भाग पर ३० जून, १९५३ के पश्चात् किसी मध्यवर्ती या मध्यवर्तियों द्वारा बिना आगम (title) के कब्जा रखने के कारण राज्य द्वारा वसूल की जाने वाली धनराशि, तत्समय

प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे क्षेत्र या उसके भाग के, जैसी भी दशा हो, सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक न होगी । अन्तःकालीन लाभ

६—(१) इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों को प्रचलित करने में किसी कठिनाई को दूर करने के लिये राज्य सरकार आज्ञा द्वारा—

(क) निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम ऐसी सीमित अवधि में जो, उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों और परिष्कारों के अधीन रहते हुये प्रभावी होगा जो निर्दिष्ट किये जायं; कठिनाइयों को दूर करना

(ख) ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जो आज्ञा में निर्दिष्ट किये जायें ।

(२) इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आज्ञा न दी जायगी ।

(३) इस धारा के अधीन दी गयी आज्ञा, उसके दिये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, अनुसूची, खंड ४, ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को संशोधित करने के लिये १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम सं० १

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्ष नाम

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन —

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६३†

*विद्युत् उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा बिल है। जब राज्य विद्युत् परिषद् बना तो उससे पहले इस नियम के अनुसार लिमिटेशन ऐक्ट में ६० वर्ष तक मुकदमा कर सकते थे। राज्य विद्युत् परिषद् ने सरकार का जितना लेना था और देना था दोनों ले लिये हैं। यह बोर्ड बन गया है लेकिन उसमें अब भी सन्देह है कि वह उतनी रहेगी या नहीं। लिमिटेशन ऐक्ट में वह ३ वर्ष रह जाती है। राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने यहां उसे बदल कर ३ वर्ष से ६ वर्ष कर दिया है। उसी के लिये हम भी यह विधेयक यहां लाये हैं। वैसे तो राज्य विद्युत् परिषद् बकाया को मालगुजारी की तरह वसूल कर सकता है और बिजली काट सकता है तो बकाया वसूल हो सकती है। लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाया करती है जिसमें ये दोनों चीजें मुमकिन नहीं होतीं। उदाहरण के लिये म्युनिसिपल बोर्ड है, बहुत से लाइसेंसी हैं उनके पास हमारा देना है और राज्य विद्युत् परिषद् लगान की तरह उससे वसूल कर सकता है, दिक्कत हो और बिजली काट दे तो अन्धेरा हो जायेगा। इसलिये जानबूझ कर ऐसा होने पर भी थोड़ा समय हमको देना पड़ता है यद्यपि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन और सरकारों ने भी ऐसा किया है और हमारा ज़ो ला विभाग है उसकी यह सलाह है कि ऐसा किया जाय। तो यह एक इन्नोसेंट विधेयक है और इस प्रकार कोई बकाया होगी तो थोड़ा सा समय और दे दिया जायगा और समय बढ़ा कर काम हो जायगा। आदरणीय सदन में मैं चाहूंगा कि प्रवर समिति को भेजने का जो प्रस्ताव रखा गया है उसे माननीय सदस्य वापस ले लेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन १५ दिन के अन्दर सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे और समिति को परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। जैसा कि उद्देश्य और कारण में दिया गया है मैं उससे सहमत हूं लेकिन एक सवाल यहां पैदा होता है कि जो बकाया की रकम है बिजली की उसकी वसूली में इसका समय बढ़ा देने से मैं समझता हूं कोई प्रगति होने वाली नहीं है। मैं एक ही जगह की बात जानता हूं, सारे प्रदेश की तो नहीं, उसके आंकड़े मन्त्री जी के पास होंगे, कानपुर में केसा का ७ लाख रुपया बकाया है। अगर मन्त्री जी सही आंकड़े दे देंगे तो मैं तसलीम कर लूंगा क्योंकि मेरे आंकड़े एक साल पहले के हैं। कानपुर में इन फर्मों पर बिजली का बकाया है। कानपुर रोलिंग मिल्स, जे० के० काटन स्पिनिंग तथा वीविंग मिल्स, म्योर मिल्स, न्यू विक्टोरिया मिल्स, एलगिन

---

†२६ सितम्बर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिल्स नं० १, मेसर्स मोतीलाल पदमपत, सिंह इन्जीनियरिंग वर्क्स १, जे० के० वुलेन मैन्यूफैक्चरिंग मिल, नार्दर्न इंडिया आयल इंन्डस्ट्रीज लिमिटेड, एलगिन मिल नं० २, जे० के० आयल मिल्स, एथर्टन वेस्ट ऐन्ड कम्पनी, कानपुर टेक्सटाइल लिमिटेड, गणेश फ्लोर मिल्स, मे० जुग्गीलाल कमलापति, स्वदेशी काटन मिल्स, लक्ष्मीरतन काटन मिल्स, सिंह इन्जीनियरिंग वर्क्स २, किशोरी लाल आयल मिल्स, ईस्टर्न टेनरीज, कानपुर रोलिंग मिल्स, २, श्री पुरुषोत्तम नाथ कपूर और गंगा आयल मिल्स। मेरा ख्याल है कि करीब ७ लाख रुपये के बकाया बिजली का इन लोगों पर है। अगर मन्त्री जी इसे तसलीम नहीं करते तो वे बतायें कि बकाये की रकम आज कितनी है? मैं कहता हूं कि अभी तक इतनी ढिलाई क्यों बरती गई जब कि किसान पर अगर दो रुपये भी बकाया रह जाता है तो उसकें रस्से लग जाते हैं? तो मेरा यह चार्ज है कि यह सरकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों के साथ रिआयत करती है और इस संशोधन विधेयक से वसूली होने वाली नहीं है। इसीलिये मैं चाहता था कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और देखा जाय कि सरकार को वसूली करने में क्या दिक्कतें हैं। चूंकि समय कम है इसलिये ज्यादा न कह कर मैं चाहता हूं कि अगर मन्त्री जी ऐसा आश्वासन यहां दें कि जो अब तक का बकाया है उसको वे ६ महीने या १ साल के अन्दर वसूल कर लेंगे। अगर यह संशोधन विधेयक पास हो जाता है तो जो संशोधन मैंने पेश किया है उसको वापस ले लूंगा लेकिन जो लाखों रुपया सरकार का बड़े-बड़े लोगों के ऊपर बकाया है यह उचित नहीं है।

इन शब्दों के साथ में अपने संशोधन को पेश कर रहा हूं और आशा है कि सरकार और माननीय सदन इसको स्वीकार करेंगे।

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

मैं एक क्लैरिफिकेशन कर दूं। यह जो संशोधन विधेयक हम लाये हैं यह कानपुर में या दूसरी किन्हीं बड़ी कम्पनियों पर जो बकाया है उसको वसूल करने के लिये नहीं है। उसके लिये तो हमारे पास दूसरे उपाय हैं। एक तो यह कि ऐज एरियर्स आफ लैन्ड रेवेन्यू उसको वसूल कर सकते हैं। या सब से बड़ा उपाय यह है कि बिजली को काट दें। यह परिस्थिति तो खास तौर से उन लोगों के लिये इस्तेमाल होती है जिनका हम कनेक्शन काट सकते हैं। लेकिन म्युनिसिपैलिटी जैसी संस्था है अगर उसके ऊपर ड्यूज हों तो हम कनेक्शन काट नहीं सकते हैं क्योंकि वहां बिजली और पानी लोगों को नहीं मिलेगा। वैसे इसको इस्तेमाल करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। कानपुर के मैंने फिगर्स मंगाये हैं। लेकिन जितनी रकम आपने कानपुर के बारे में बताई है वह रकम कानपुर के हिसाब से बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि कानपुर में एक महीने का इतना हिसाब बन जाता है। जो बाकी है उसका मामला यह है कि पिछली दफा १९६० में जब पानी कम हो गया था तो जो मिनीमम गारंटी थी उसके लिये उन्होंने कहा कि आप तय कर दें क्योंकि ६–७ रोज बिजली नहीं दी थी। वह हमारे विचाराधीन है। उस महीने का तय नहीं किया इसलिये बाकी है। २–३ मिल ऐसी थीं जिन पर बाकी था। जैसा आपका ख्याल है बहुत ज्यादा रुपया बाकी नहीं है। दरअसल कुछ रुपया बाकी था पारसाल, उसको हमने किस्तों में करीब-करीब वसूल कर लिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं मंगाकर बता दूंगा लेकिन कोई ज्यादा रकम नहीं है।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की १०/१२ करोड़ की रेवेन्यू है, अगर ५–७ लाख रुपया बाकी रह जाय तो कोई बड़ी बात नहीं है। खास तौर से इसके लिये बिल नहीं लाये हैं। इसके लिये तो जिस रोज हम कनेक्शन काट देंगे उसी रोज वह दे देगा। लेकिन मिलों के लिये यह है कि उनके पास कभी कभी सामान बहुत ज्यादा बाकी पड़ा रह जाता है और वे दे नहीं पाते हैं, उस समय अगर हम कनेक्शन काट दें तो दूसरी तरफ से आप लोग लेबर की तरफ से हमारे पास आ जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

हमें पूरा यकीन रहता है कि जब हम कनेक्शन काट देंगे तो हमारा रुपया वसूल हो जायगा। बड़े कारखानों से परेशानी नहीं होती है, शुगर मिल की बात मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जहां तक दूसरे कारखानों की बात है हम जब चाहें तब वसूल कर सकते हैं। यह ऐक्ट तो असाधारण परिस्थितियों के लिये है। कोई वाटर वर्क्स है, उस पर हमारे ड्यूज हैं तो उसके लिये सवाल है। रूरल कन्ज्यूमर्स के लिये पहले यह सिस्टम था कि वह रुपया सेंट्रल डिपो पर जमा करते थे और जब तक हमारे यहां रुपया नहीं आ जाता तब तक उसका हमारे यहां कोई हिसाब नहीं रहता। लेकिन अब यह सिस्टम रहा नहीं। हमारे विभाग की राय थी कि बना दिया जाय चूंकि और प्रदेशों में बना दिया गया है। इसलिये हम बना रहेहैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह इन्नोसेंट बिल है। इससे रेवेन्यू आयेगी और कोई नुकसान नहीं होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर) —

यह बता दीजिये कि कितना बाकी है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

मेरे पास फिगर्स नहीं हैं। अगर आप कहेंगे तो किसी और रोज मंगाकर दे दूंगा।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया) —

माननीय, यह जो बिल है इसको पेश करते समय माननीय मंत्री जी ने कुछ तर्क उपस्थित किये कि क्यों मैं इस बिल को पेश कर रहा हूं और इसमें जो उद्देश्य दिया हुआ है उसको जब देखता हूं तो एक दूसरी तस्वीर हमारे सामने आती है। ऊदल जी ने एक ब्यौरा प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने यह बताया कि कानपुर के कुछ लोगों के जिम्मे इतने लाख रुपये बिजली के देय हैं। माननीय कल्पनाथ सिंह ने यह जानना चाहा कि कोई ऐसा ब्यौरा आप प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे सदन को यह विश्वास हो सके कि बिजली के देयों की वसूली में आप बहुत सक्षम हैं। आप बार बार दोहरा रहे हैं कि इससे कोई ऐसी खास परिस्थिति नही पैदा होगी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि तीन वर्ष की अवधि के स्थान पर आप शायद छ: वर्ष करने जा रहे ह। माननीय, आप उद्देश्य और कारण को देखें तो उसमें लिखा है कि तीन वर्ष में जो वसूली हो सकती थी वह छः वर्ष में चाहें तो कर सकते हैं, वसूली करने वाले अधिकारी और एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड समझ में नहीं आया कि छ: वर्ष कर देने से वसूली में तीव्रता कैसे आयेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आपकी इजाजत से एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। आप यह भूल जाते हैं कि अब तक यह अवधि ६० वर्ष थी, जब कि बोर्ड को ऐसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांस्फर हुये उस वक्त तक यह अवधि ६० वर्ष थी। तो इसको इस रूप में न देखें कि तीन से छ: कर दिया ह बल्कि इस रूप में देखें कि ६० से ६ वर्ष की लिमिट कर दी है कि छ: से ज्यादा नहीं जाना चाहिये।

श्री रामायणराय—

पहले तो आग्रह मेरा यह है कि सदन के सम्मुख जब कोई बिल लाया जाय तो उसके उद्देश्य और कारण के बारे में हम को कोई टीका-टिप्पणी करन का अधिकार नहीं है लेकिन जिस परिस्थिति में वह बिल आया उसका एक साफ ब्योरा सदन के सामने होना चाहिये जो यहां पर नहीं है। मैं एक दूसरा प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं कि यह बकाया क्यों रहती है ? इसके लिये आप अवधि और बढ़ा दें। इससे बकाये की वसूली नहीं हो सकती। माननीय ऊदल जी मे या इधर के बैठने वाले लोगों ने बार-बार सरकार से यह आग्रह किया कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिये आपका कोई पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये चाहे वह बकाया लगान की हो या दूसरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीज की। अगर कोई देय धन हो, उस बकाये की वसूली के लिये कोई एक निश्चित नीति होनी चाहिये। केवल बिजली ही में नहीं, बजट अधिवेशन के समय कई माननीय सदस्यों ने इस सदन को अवगत कराया था कि बड़ी भारी भारी रकमें बकाया पड़ी हुई हैं, उसमें बिक्री कर की रकम है और ऐसी रकम हैं जो बड़े-बड़े आफिसर्स के परसनल लेजर में पड़ी हुई हैं, और भी बहुत सारी, रकमें इस तरह की हैं। इसका नतीजा क्या होता है ? नतीजा यह होता है --यह अक्सर पता नहीं कहां तक इसके लिये उपयुक्त होगा लेकिन इससे पैदा होने वाले एक खतरे की तरफ मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और वह खतरा यह है जिस समय हम इस बात का पता लगाने लगते हैं कितनी धनराशि हमारे पास है और कितने की आवश्यकता होगी वर्ष भर में खर्च करने की तो उस समय जाहिर है कि इस बकाये के कारण एक बहुत बड़ी राशि ऐसी रह जाती है कि उस राशि को अगर सम्मिलित कर लिया जाता तो बहुत से टैक्सेज न लगाने पड़ते।

मान्यवर, जब उपयुक्त अवसर होगा तो इसका सारा लेखा-जोखा मैं रखूंगा। इस समय केवल यही आग्रह कर रहा हूं कि इस बिल को सदन के सामने लाने के पूर्व अच्छा होता कि मन्त्रि-मन्डल के सामने या राज्य सरकार के सामने इस आशय का एक प्रस्ताव किया जाता कि एक ऐसे समाज में कि जो समाज योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है, अगर जनता का मनोबल ऊंचा उठाना है, जनता का सहयोग प्राप्त करना है तो देयों की वसूली का कोई एक सार्वभौम निश्चित नियम आपको अपनाना होगा। बिजली के लिये दूसरा नियम, केन सेस के लिये दूसरा नियम, काश्तकारों का अगर किसी मिल के ऊपर बकाया रह गया जो कि लाखों की रकम है, लेकिन आप बड़े आहिस्ते से उसे छक्कर आगे बढ़ गये, मैं क्या दोहराऊं ? आज भी काश्तकारों की बड़ी-बड़ी रकमें बकाया हैं मिल मालिकों के ऊपर लेकिन उसकी वसूली के लिये बड़ी नरमी दिखायी जाती है।

माननीय ऊदल जी जिस जिले से आते हैं उस जिले में एक सोडा ऐश फैक्टरी है। बार-बार इस बात की चेष्टा की जाती है कि उस फैक्टरी से वह पैसा वसूल कर लिया जाय जो पैसा उस धन्धे को चलाने के लिये दिया गया था। आज की तारीख तक मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं नाना प्रकार से उनको परसुएड किया जा रहा है और जैसा कि ऊदल जी ने कहा है कि काश्तकार के लिये एक साधारण आदमी के लिये कौअर्सिव मैथड्स हैं। आज भी जो मन्त्री जी ने कहा कि हम बिजली काट देते हैं, वह बिजली आप किनकी काटते हैं ? जो कुछ बोल नहीं सकते। आप उनकी बिजली हरगिज नहीं काट सकते हैं जो लोग कि आज बकाया रखे हुये हैं और मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे अज्ञान से लाभ उठाकर आप वह व्यौरा नहीं प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि बड़ी-बड़ी रकमें इन लोगों के जिम्मे बाकी हैं। इस बिल के चलते केवल एक आश्वासन आप दे दें कि जिस ढंग से और लोगों से आप बकाया वसूल करते हैं ठीक वही कोअर्सिव मैथड्स आप इनके साथ भी अप्लाइ करेंगे तो मैं समझता हूं कि बड़ा कल्याण हो जायगा और सचमुच मासूम या महबूब जो भी इस बिल को आप समझते हों, यह बिल शायद आपके लिये महबूब बन जाय।

अन्त में, मान्यवर, केवल एक आग्रह करना चाहता हूं और वह यह है कि माननीय मन्त्री जी हमारे इस आग्रह के बाद जवाब देते समय बात को दूसरी तरफ ले जाने की चेष्टा न करें। मेरा कोई इरादा नहीं है कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास रोकने की तरफ कोई कदम उठाने की बात मैं कहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर उद्योग धन्धे बन्द हो जायेंगे। ऐसी बात हरगिज नहीं है। यह जो कुछ किया जा रहा है जानबूझकर किया जा रहा है और हमारी विवशता से मुट्ठी भर लोग लाभ उठाना चाहते हैं। हमारी विवशता यह है कि हम सचमुच चाहते हैं कि हमारे उद्योग धन्धे चलें, पनपें और उद्योगीकरण हम चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसा उद्योगी-करण नहीं करना चाहते हैं कि जिस उद्योगीकरण के चलते हमारे पूरे समाज की अग्र दिशा में प्रगति रुक जाय और प्रगति अवरुद्ध हो जाय।

श्री ऊदल--

मैं रामायण राय जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस संशोधन के सम्बन्ध में अपनी राय जाहिर की। मैंने माननीय मन्त्री जी की बात को बहुत गौर के साथ सुना। मन्त्री जी ने कहा कि हम किन किन के कनेक्शन काट देते हैं। जैसे कि म्युनिसिपैलिटी ने पावर ली है उनकी बिजली काट देते हैं और कुछ दूसरे लोग लेते हैं गरीब आदमी उनकी भी काट देते हैं। उन गरीबों की काट देने का मतलब मैं यह समझता हूं कि वे लोग आसानी से पेमेंट कर देते हैं, लेकिन सरकार बड़े लोगों का कनेक्शन नहीं काट सकती, यह बात समझ में नहीं आई। मैंने पहले भी आग्रह किया था कि अगर मन्त्री जी कोई आंकड़ा दें कि इस तरह की कितनी रकम बकाया है सारे उत्तर प्रदेश के अन्दर और कितनी सरकार ने वसूल की है तो कुछ मालूम हो जाय कि क्या स्थिति है। सरकार न यह नहीं बतलाया कि वसूली की क्या प्रोग्रेस है। उसके बाद हमने जानना चाहा था कि ६ महीने या १ साल के अन्दर सारी बकाया रकम सरकार वसूल करले और इसका आश्वासन दे तो हम अपने संशोधन को वापस लेने के लिये तैयार हैं और हम अपने संशोधन को पेश नहीं करेंगे, लेकिन मन्त्री जी ने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया।

अभी मन्त्री जी ने कहा कि कानपुर का बकाया है। वह सन् १९६० में जो पानी का संकट आया था तो उस वजह से बकाया रह गया है। इस साल भी तो पानी का संकट आया है और ७ दिन तक कानपुर की मिलें बन्द रही हैं और वे लाखों रुपया सरकार से लेना चाहते हैं। मेरा यह चार्ज है कि सरकार के केसा के कर्मचारी और मिल मालिक दोनों मिलकर इस पानी के संकट को पैदा करने के लिये वहां पर जिम्मेदार हैं। उन्होंने जान बूझकर यह संकट पैदा किया है कि पब्लिक सेक्टर में यह बिजली का कारखाना चल न सके। लाखों रुपये का जो सरकार को उससे फायदा हो रहा है वह नष्ट हो जाय और पब्लिक सेक्टर सफल न हो सके। यह उनकी मन्शा थी और इस वजह से यह संकट लाया गया। दूसरे उनकी यह भी मन्शा थी कि सरकार से यह आग्रह किया जाय कि जो उनको यह घाटा हुआ है उसको सरकार सें वसूल किया जाय जिसका कि मन्त्री जी ने अभी हवाला दिया था। मैं माननीय मन्त्री जी से फिर आग्रह करता हूं कि हम इस संशोधन को उसी हालत में वापस लेंगे कि सारे आंकड़े उत्तर प्रदेश भर के और खासतौर से कानपुर के सरकार दे कि कितना रुपया उन सब लोगों पर बकाया है। सरकार गरीब लोगों का कनेक्शन काटकर आसानी से वसूल कर लेती है। उन लोगों की जबान हिलती नहीं है। सरकार उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन इन पूंजीपतियों को कुछ नहीं कहती है जो बिक्री-कर की चोरी करते हैं। लाखों रुपया कानपुर के मिल मालिकों पर बकाया है। मेरा ऐसा ख्याल है कि २८ लाख रुपये बिक्री-कर का मिल मालिकों के ऊपर बकाया है, एक्साइज ड्यूटी का बकाया है, बिजली का बकाया अलग है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी के इस तर्क से सहमत नहीं हूं और मैं इस संशोधन को सदन की सेवा में प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इस बीच में मैंने एक फीगर मंगा ली है और मुझे आशा है कि मेरी बात सुन कर मेरे भाई ऊदल जी को सदमा पहुंचेगा। कानपुर के तमाम मिल मालिकों के पास जुलाई ३१ तक कुल १ लाख ५९ हजार रुपया बकाया है। इसमें से ५०,००० रुपया ऐसा है कि जो अन्डर डिस्प्यूट है, जिसको हम तय नहीं कर पाये कि वह उनको वापस किया जाय अथवा नहीं। पहले केसा का काफी रुपया बाकी था, लेकिन धीरे-धीरे इन्स्टालमेंट से वह सारा रुपया वसूल कर लिया गया। आप चाहें तो मैं बतला सकता हूं कि एक-एक मिल का मन्थली बिल कितना है।

श्री कल्पनार्थसिंह--

लाला रामरतन गुप्ता का कितना है, बतला दीजिये।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस समय मेरे पास फीगर्स नहीं हैं, लेकिन कुल २०, ३० मिलें हैं और कुल १ लाख ५९ हजार बकाया है। ज्यादा से ज्यादा २०, ३० हाजर रुपया बाकी होगा और ३०, ३५ हजार रुपये तक के बिल कम्पनियों के आया करते हैं। मैं अभी ठीक फीगर्स नहीं दे सकता इसलिये कि वे मेरे पास इस समय नही है। मैं रामायण राय जी को बतलाना चाहता हूं कि वह गलतफहमी में आ गये। ऐसी परिस्थितियां पहले भी आयी थीं और अगर हरदोई म्युनिसिपैलिटी बिजली कम्पनी का रुपया न दे और कम्पनी कहे कि हम तुम्हारे पानी के लिये और सड़क के लिये बिजली काट देंगे तो करें क्या? बिजली कम्पनी कहती है कि जब तक म्युनिसिपल बोर्ड हमारा रुपया नहीं देता तब तक हम आपको रुपया कैसे दें? यहां काटन मिलों का सवाल नहीं था। तो ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जहां हम चाह कर के भी कनेक्शन काट नहीं सकते और मुकदमा करके वसूल करने की बात अभी तक नहीं आयी, लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर कोई बड़ी मिल है और वह ऐसी परिस्थिति में है कि बीच में रुपया न दे सके तो दिक्कत तलब बात आ सकती है और इसीलिये हम यह पावर लेने जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त आपने कहा कि दो मापदण्ड नहीं होने चाहिये। मैं आपकी जानकारी के लिये बतला दूं कि हमको एलेक्ट्रेसिटी बोर्ड के लिये एक दूसरा मापदण्ड बनाना पड़ेगा लोगों से बर्ताव करने के लिये। हमारे जो बोर्ड के आफिसर्स हैं उनसे हम कहते हैं कि तुमको दूसरे आफिसर्स की तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिये। उनको नम्रता से बर्ताव करना चाहिये, क्योंकि उसमें लेन-देन की बात भी है। इसीलिये कारपोरेशन अलग बनाया गया है और मैं समझता हूं कि कानपुर की स्थिति जानने के बाद भाई ऊबल अपना यह प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन १५ दिन के अन्दर सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे और समिति को परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, १९५८ की धारा ५ के पश्चात्, निम्नलिखित नयी धारा ५-क बढ़ा दी जाय :—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १६, १९५८ में धारा ५-क का बढ़ाया जाना

"५-क—इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं देयों की वसूली के लिये बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से किसी वाद के सम्बन्ध में कालावधि उस दिनांक से छः वर्ष की होगी जब से किसी निजी व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार के

अवधिकाल का बढ़ाया जाना

ऐक्ट संख्या ९, १९०८

[श्री उपाध्यक्ष]

वाद के लिये इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के अधीन कालावधि प्रारम्भ हो :

ऐक्ट संख्या ५४, १९४८

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड के प्रथम बार संगठित होने के दिनांक के पूर्व प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं देयों की वसूली के लिये, एलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ६० की उपधारा (१) के आधार पर बोर्ड द्वारा निवेशित किसी वाद के लिये कालावधि वही होगी जिसकी व्यवस्था इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद १४९ ऐक्ट संख्या ९, १९०८ में की गयी है किन्तु वह बोर्ड के प्रथम बार संगठित होने के दिनांक से छः वर्ष से अधिक की न होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १६, १९५८

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, १९५८ को संशोधित करने के लिए ;

विधेयक

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, १९५८ को संशोधित करना इष्टकर है :

अतएव भारतीय गणतन्त्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) यह १ अप्रैल, १९५९ को प्रचलित हुआ समझा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

*श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं इस संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मन्त्री जी को सुनने के बाद मैं इस उम्मीद में था कि शायद मैं कुछ समझ पाऊंगा कि यह विधेयक संशोधन करके क्यों लाया जा रहा है, लेकिन उससे नाउम्मीदी हाथ लगी। समझाते-समझाते उन्होंने यह समझाया कि १,५९,००० रुपया बकाया है महज कानपुर में बड़े-बड़े लोगों पर और उसमें ५०,००० डिस्प्यूटेड है, पता नहीं, मिलेगा या नहीं अभी तक यह भी कोई सही फिगर नहीं है। जो फिगर दी गयी वह जुलाई तक की है, उसके बाद इधर का सब गायब है। तो यह सारे का सारा बकाया है। यह विधेयक लाने के पहले अपटुडेट फिगर ले आना चाहिये था। मन्त्री जी ने बावजूद इसके कोशिश की है रियलाइजेशन करने की, लेकिन उनकी मजबूरी यह है कि कानपुर के मिल-मालिकान उस पार्टी की खिदमत में हमेशा हाजिर रहते हैं, इसलिये कुछ तो संकोच मन्त्री जी को करना पड़ता है उनसे रियलाइज करने में और इसीलिये वह एक्सटेंशन मांगते हैं। कहते हैं कि कनेक्शन काटने से मजदूर बेकार हो जायंगे, लेकिन अगर मजदूरों की तनख्वाहें भी उन्हीं से दिलवाई जायं तो नोटिस मिलते ही पैसा अदा कर देंगे। हरदोई की मिसाल दी, हमारे बड़हलगंज की म्युनिसिपैलिटी ने कहा कि हम रियलाइज करके दे देंगे, लेकिन उनका कनेक्शन फौरन काट दिया गया, कोई हमदर्दी नहीं बरती गयी, लेकिन जयपुरिया, सिंघानिया, लाला रामरतन गुप्ता जोकि एक्सटर्नल और इंटरनल हर इलेक्शन में पैसे से पार्टी पर अपना प्रभाव जमाते हैं उनके खिलाफ कोई इस प्रकार का ऐक्शन नहीं लिया जाता।

(इस समय ५ बज कर १४ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, मैं माननीय ऊदल जी की इस बात से सहमत हूं कि अगर माननीय मन्त्री जी यह कह देते कि फलां तारीख तक रियलाइजेशन हो जायेगा, तो मुझे कोई आपत्ति न होती। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि जो भी पैसा बकाया है उसकी वसूली जल्दी से जल्दी कर ली जायेगी। मुझे खुशी होती अगर माननीय मन्त्री जी ने यह कहा होता कि एक हफ्ते में उन लोगों की फेहरिस्त दे दी जायेगी जिनके ऊपर रुपया बकाया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि उसकी वसूली के लिये सरकार कोई तिथि अवश्य निश्चित कर दे।

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मेरी बात को ऊदल जी ने और कल्पनाथसिंह जी ने ठीक नहीं समझा। मैंने पिछली बार भी यह आश्वासन दिया था कि कानपुर के मिल मालिकों पर जो रुपया बकाया है उसको जल्द से जल्द वसूल किया जायेगा। मैं अपनी बात को, जिसे मैंने पहले कहा था, फिर पढ़ देता हूं—अब सवाल यह विचाराधीन है कि उस समय का पैसा लिया जाय जो कि उसका है या नहीं। फिर उस रुपये में से हमने किश्तें बांध दी हैं और वह रुपया वसूल हो जायगा, करीब ४५ लाख में से १०–१५ लाख शेष रह गया है और उम्मीद है कि वह भी वसूल हो जायेगा, यह कहा था। अब उस बाकी रुपये में से करीब डेढ़ लाख बाकी है। ४५ लाख में से डेढ़ लाख ही बाकी रह गया है, यह कोई विशेष चिन्ता की बात नहीं है। इसमें ५० हजार ऐसा भी है जो अन्डर डिस्प्यूट है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम दो महीने का बिल एक साथ भेजते हैं। तो जहां २०–२० हजार का बिल हो, वहां यह रकम कोई महत्व नहीं रखती। फिर भी यह जल्दी ही वसूल की जायेगी। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९९३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।)

विभिन्न समितियों के लिए सदस्यों के निर्वाचन की तिथि के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं सदन को दो सूचनायें देना चाहता हूं। एक सूचना यह है कि राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड के ४, शरणार्थी, आबकारी, विद्युत् तथा विकास तथा नियोजन स्थायी समितियों के १—१ सदस्य के निर्वाचन से सम्बन्धित नामों की वापसी का समय आज २९ अक्तूबर, १९६३ के सायंकाल ५ बजे तक के लिये नियत था। उस समय तक अतिरिक्त नाम वापस न होने के कारण निर्वाचन सम्बन्धी मतदान ३१ अक्तूबर, १९६३ को विधान वाचनालय में १२ से ५ बजे के बीच होगा।

लोक लेखा समिति के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के संबंध में निर्वाचन तिथि की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना यह है—लोक लेखा समिति में २ रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु जिन १४ अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त हुए हैं वे सूक्ष्म परीक्षा के उपरान्त ठीक पाये गये हैं। इनमें अतिरिक्त नाम यदि ३० अक्तूबर, १९६३ के ३ बजे तक वापस न ले लिये गये तो इसके लिये भी निर्वाचन सम्बन्धी मतदान उक्त तिथि, स्थान तथा समय पर, यानी ३१ अक्तूबर, १९६३ को १२ बजे से ५ बजे के बीच विधान वाचनालय में होगा।

गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए एक सदस्य के निर्वाचन की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये एक माननीय सदस्य का निर्वाचन होना था। उसमें माननीय गया प्रसाद जी, माननीय राम आसरे जी, माननीय गंगा प्रसाद जी, तथा सईद अहमद साहब ने अपने नाम वापस ले लिये हैं। इस प्रकार से श्री बाबूलाल श्रीवास्तव निर्विरोध निर्वाचित किये जाते हैं।

अवैतनिक सभा सचिवों की नियुक्ति तथा उनके द्वारा शपथ ग्रहण करने पर आपत्ति—(क्रमागत)

*श्री रामायणराय—

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि माननीय न्याय मन्त्री जी, माननीय नरसिंह नारायण जी पांडेय द्वारा उठाये गये वैधानिक प्रश्न पर, जिस समय बोल रहे थे तो उन्होंने एक तर्क प्रस्तुत किया था कि १९१ के तहत १९५० में अयोग्यता निवारण एक कानून बना था जो सन् १९५६ में संशोधित हुआ, उसमें इस बात की व्यवस्था की गयी थी कि नोटिफिकेशन किया जायगा। नोटिफिकेशन से वह अर्थ लगा रहे थे विज्ञापन का। प्रश्न तो यह है कि राइट आफ एप्वाइण्टमेंट किसको है? उसके बाद नियुक्ति आती है उसके बाद फिर तीसरा प्रश्न आता है विज्ञापन अथवा नोटिफिकेशन का। मैं जहां तक समझ पाया हूं, अगर कोई नियुक्ति हो सकती है तो वह संविधान की धारा १६४ के अधीन की जा सकती है। चाहे नाम कोई भी हो, संविधान में जितनी भी धारायें हैं उन सभी धाराओं को यदि देखा जाय तो आप स्वयं यह देखेंगे कि जहां तक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपके वेतन और पुरस्कार का सवाल उठता है उसके बारे में धारा १८६ है, मन्त्रियों के वेतन के बारे में अलग धारा है और सदस्यों के वेतन के बारे में धारा १९५ है।

कान्स्टीट्यूशन के सेंवेंथ शेड्यूल के नम्बर २ को यदि आप देखें तो उससे भी यह बात आपको साफ जाहिर हो जायेगी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की एग्जिस्टेंस संविधान में कहीं नहीं है। एक बात जरूर कही जाती है कि ऐसी परम्परा चली आती है इसलिये उनकी नियुक्ति वैध है। और कोई इस बात को कहता तो मुझे कोई हैरानी न होती, लेकिन माननीय न्याय मन्त्री जी ने स्वयं इस बात को कहा जो स्वयं यह जानते हैं कि लिखित कानून के बाद परम्परा की कोई बात रह नहीं जाती है। जिस दिन से संविधान लागू हो गया उसी दिन से ऐसी जितनी भी बातें थीं उन सब के लिये अलग-अलग धारायें दे दी गयीं, उन सब के वेतन और पुरस्कार की व्यवस्था कर दी गयी, लेकिन उसके बाद भी आप 'बाई दि इम्प्लीकेशन' १९५० के कानून से आप इस बात को मिलाते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उसके द्वारा किस प्रकार से उनकी नियुक्ति वैधानिक हो सकती है। मैं ऐसा मानता हूं कि यह एक अननोटिस्ड कांस्टीट्यूशनल रांग है। कोई बात जो कानून के खिलाफ थी वह आज तक किसी के नोटिस में नहीं आयी। अगर वह रांग है और उसके लिये कहा जाय कि ऐसा है तो जब उसकी चर्चा हो और यह प्रश्न उठाया जाय तो यह कहना कि ऐसी घटना तो घटती रही है, इसलिये यह सही है या संविधान की धाराओं के मुताबिक है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

मान्यवर, एक और मजे की बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री सेक्रटरी को वेतन और पुरस्कार वही मिलेगा जो मेम्बर को मिलता है। मान्यवर, आप देखें कि संविधान के आर्टिकल १९१ की मंशा क्या है। मिनिस्टर्स को जो वेतन मिलता है उसके लिये १९१ नहीं है। १९१ में दिया हुआ है कि कोई मेम्बर आफिस आफ प्राफिट होल्ड करता है तो वह मेम्बर नहीं रहेगा। १९१ में दिया गया है कि क्या-क्या अयोग्यता होगी जिससे कोई मेम्बर नहीं हो सकेगा। १९२ में उसका परिहार किया गया है। यह बहुत ही बारीक प्वाइन्ट है मान्यवर, इस पर आप जरा गौर करें। मन्त्रियों के लिये अलग व्यवस्था कर दी गयी है और १९१ तथा १९२ में जो बात कही गयी है वह बात मिनिस्टरों पर कम से कम लागू नहीं होती। वह किसी ऐसे प्राणी के ऊपर लागू होती है जो मिनिस्टर नहीं है, कुछ और है। आपने जो यह कानून बनाया है उस कानून की विचित्रता यह है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को पुरस्कार और वेतन वही मिलेगा जो मेम्बर को मिलेगा। जो पुरस्कार और वेतन मेम्बर को मिलता है वही पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को देना था तो फिर इस कानून को बनाने की आवश्यकता ही क्या थी? मेम्बर की हैसियत से जो उसे पुरस्कार और वेतन मिलता रहा है, अगर मेम्बर नहीं रहेगा उस धारा के अधीन तो फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कहां आयेगा। मैं तो ऐसा समझता हूं कि आपका कानून बनाना ही अनावश्यक हो जाता है। फिर वे पब्लिक सर्वेन्ट्स के दायरे में भी नहीं आ सकते हैं। आप स्वयं जानते हैं, सदन का समय मैं नष्ट नहीं करना चाहता।

जहां तक ओथ का प्रश्न है, माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी ने, जैसा कि सुबह फरमाया था कि जहां कहीं भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज नियुक्त होते हैं, चाहे बम्बई की बात कहें, चाहे सेंटर की बात कहें, उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं या राज्यपाल नियुक्त करते हैं। कहीं भी मान्यवर, एक भी उदाहरण इस तरह का कोई दिखला दे कि उत्तर प्रदेश जहां की एक अजीब लीला है, इसको छोड़ कर और कहीं भी इनको नियुक्त करने का अधिकार किसी मुख्य मन्त्री या मन्त्राणी को मिला हुआ है? श्रीमन्, आप स्वयं बहुत अच्छे जूरिस्ट रहे हैं और आप जानते हैं कि ओथ आफ आफिस एण्ड ओथ आफ सीक्रेसी के कुछ माने होते हैं। संविधान के अनुसार प्रदेश में राज्यपाल को और केन्द्र में केवल राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। यह एक बहुत ही अहम बात है। वही कार्य, वही क्रिया जो राज्यपाल को करना हो, उसे ही मुख्य मन्त्री या मुख्य मन्त्राणी करें, तो मैं ऐसा समझता हूं कि उससे संविधान की मर्यादा की हत्या होती है।

जहां तक अदालतों की बात है, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि जब कोई ऐसा नया प्रश्न आता है तो कह दिया जाता है कि अदालतों में जाइये, अदालतों की शरण लीजिये, वहीं यह मामला

[श्री रायायणराय]

तय हो जायगा। मान्यवर, यह कोई बहुत अच्छी परम्परा नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। जब संविधान की हत्या का कोई प्रश्न उठता हो, जब उसकी धाराओं के हनन का कोई प्रश्न उठता हो तो माननीय सदस्यों को सदन की मर्यादा और संविधान की मर्यादा की रक्षा की बात कह कर प्रश्न को टाल नहीं देना चाहिये कि अदालत की शरण में जाइये।

श्री अध्यक्ष—

सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री रामायणराय—

मान्यवर, पिछली बार ऐसा हुआ कि जब नये ओथ और पुराने ओथ की बात उठी तो उस तरफ के कुछ विचारवान लोगों ने स्पोर्टस्मैन स्प्रिट में उठ कर कहा कि जब कोई ऐसा प्रश्न आवे जिसमें बहुत खुली हुई बात हो जो गैरकानूनी बात हो गयी हो तो स्पोर्टस्मैनशिप के नाते उसे कबूल कर लेना चाहिये तभी उससे संविधान की मर्यादा की रक्षा की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—

उनको अपनी स्पोर्टस्मैन स्प्रिट दिखलाने तो दीजिये। समय तो आने दीजिये।

श्री रामायण राय—

ठीक है। मैं अपनी बात को दोहराना इसलिये चाहता हूं कि जिससे मेरी बात ठीक ढंग से समझ में आ जाय। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन का यह कहना हो कि अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो आप गलत काम कर सकते हैं। आप सीधे हाथ से १०, २० जितने रखने हों मिनिस्टर्स और रख लीजिये, लेकिन घुमाकर नाक पकड़ने से क्या लाभ है? उनको आप १६४ के अधीन मिनिस्टर्स बना दीजिये, नाम चाहे जो कुछ भी रखिये, लेकिन कांस्टीट्यूशन में आपको कहीं भी अधिकार नहीं है। १६४ में रखकर उनसे शपथ आदि की क्रिया पहले सम्पन्न कराइये।

श्री अध्यक्ष—

अब समय समाप्त। श्री नेकराम शर्मा, आप २ मिनट में कह लीजिये।

*श्री नेकराम शर्मा—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, न्याय मंत्री महोदय ने एक तो कन्वेन्शन की बात कही और दूसरे यह कहा कि आप उनकी सैलरीज और एलाउन्सेज आदि के बारे में पास कर चुके हैं, लिहाजा इम्प्लाइड यह है कि उनकी नियुक्ति हो सकती है। श्रीमन्, संविधान की धारा स्पष्ट है। उसके अनुसार कोई भी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी नियुक्त नहीं हो सकता। हमारे शिड्यूल ३ में ओथ आफ आफिस और ओथ आफ सीक्रेसी दी हुई है। तो उनके अनुसार फिर उनकी ओथ होनी चाहिये थी। यहां सदन में जब मिनिस्टर्स की संख्या बढ़ाई गई थी तो माननीय गुप्ता जी ने यह कहा था कि हम उनको कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में नहीं मानते हैं और वे केवल आनरेरी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं।

इंगलैन्ड में, श्रीमन्, अनरिटिन कान्स्टीट्यूशन है। जितने भी कान्स्टीट्यूशनल कंवेशन्स होते हैं उनकी एक महत्ता होती है। कान्स्टीट्यूशनल कनवेन्शन्स की वही औकात है जो कांस्टीटयूशनल प्राबीजन्स की हैं। श्रीमन्, जब यहां का रिटिन कांस्टीट्यूशन बना तब जो रेजीडुअरी पावर्स थीं वह तो पब्लिक में थीं और उसके बाद स्पेसिफिक पावर्स राइट की गयीं। उनमें कहीं भी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का एप्वाइंटमेंट नहीं है। जब उनमें नहीं है तो यहां एप्वाइंटमेंट नहीं हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकता । न्याय मंत्री जी द्वारा कथित कांस्टीट्यूशनल कन्वेन्शन्स को मान भी लिया जाय तो एक ब्रेक हुआ और ५० में जो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज थे उनको खत्म करा दिया गया और फिर एक डिस्क्वालिफिकेशन के रिमूवल का ऐक्ट लाया गया । उसमें भी एप्वाइंटमेंट नहीं हुआ था । उसके बाद ६१ में फिर उन्होंने उसको आनरेरी बना दिया ।

श्रीमन्, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को ओथ गवर्नर नहीं देते हैं । यह सही है कि पार्लियामेंट में भी प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं प्रेसीडेंट नहीं देते हैं । लेकिन ओथ आफ आफिस और ओथ आफ सीक्रेसी दोनों के लिये अगर आप उनको कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में इन्क्लूड करते हैं तो उसी तरह से उनकी भी ओथ होनी चाहिये और अगर उस तरह से नहीं करते हैं तो आप उनको ऐप्वाइंट नहीं कर सकते । अगर आप कहें कि कन्वेन्शन से ऐसा कर सकते हैं तो कान्स्टीट्यूशनल प्रावीजन्स के खिलाफ आप कन्वेन्शन को चला नहीं सकते और उनका एप्वाइंटमेंट नहीं हो सकता । यह बिलकुल अवैधानिक कार्य है और आप इसका निर्णय स्वयं करेंगे, श्रीमन् ।

यह कहा जाता है कि अब तक किसी ने यह प्रश्न नहीं उठाया । आप कह सकते हैं कि सन् ३७ में उनका एप्वाइंटमेंट हुआ, ४६ में हुआ, ५२ में हुआ, ५७ में हुआ और यह चला आ रहा है । अगर कोई गलती चली आ रही है तो जिस वक्त उस गलती को पकड़ लिया जायगा उसी वक्त प्रश्न को उठाया जा सकता है । इसके लिये हमारे कांस्टीट्यूशन में कोई पाबन्दी नहीं है।

अन्त में जो हमारा शिड्यूल ७ है उसमें एक तो यूनियन लिस्ट है और दूसरी स्टेट लिस्ट । स्टेट लिस्ट में साफ लिखा हुआ है, अगर उसका ४० देखें तो वह "Salaries and allowances of Minister for the State". है ।

रामायणराय जी मिनिस्टर्स की परिभाषा कह चुके हैं और ३८ में "Salaries and allowances of members of the Legislature of the State, of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly, and, if there is a Legislative Council, of the Chairman and Deputy Chairman, there of" है । क्या हम इस शिड्यूल के खिलाफ कोई ऐक्ट पास कर सकते हैं ? न्याय मंत्री जी कहते हैं कि हमने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के एलाउन्स और सैलरी का बिल पास किया है । अगर पास किया है कोई ऐक्ट, अव्वल तो पास नहीं कर सकते और अगर करते हैं तो वह अल्ट्रावायरस हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

अब समय समाप्त । श्री वीरसेन जी, २ मिनट में आप भी समाप्त कीजिये ।

***श्री वीरसेन—**

अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य ने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है वह प्वाईंट आफ आर्डर ही नहीं है । प्वाईंट आफ आर्डर तो वह सवाल होता है जो इस सदन के सामने कोई काम हो .....

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था के बाद वह ऐसा कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

वह चलता हुआ जुमला कह रहे हैं, मतलब उनका यह नहीं है ।

श्री वीरसेन—

दूसरा सवाल यह है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का अप्वाइंटमेंट करने का हक है या नहीं । पार्लियामेंट की मिसाल माननीय नरसिंहनारायण पांडेय ने दी, उनकी जानकारी के लिये मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री वीरसेन]

बता दूं कि ब्रिटेन में जो मिनिस्टर्स आफ क्राउन ऐक्ट है उसमें वहां पर भी अप्वाइंटमेंट का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। माननीय सदस्य पढ़ कर देखें कि वहां पर भी उसमें केवल २ चीजें लिखी हैं, एक तो यह कि मिनिस्टर आफ क्राउन कौन-कौन होगा और उनकी संख्या कितनी होगी। वहां जितने भी मिनिस्टर, ऐजूकेशन मिनिस्टर या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वगैरह हैं वह सब उसमें आते हैं, मिनिस्टर आफ स्टेट, अन्डर सेक्रेटरीज, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज सब के सब उस लिस्ट में हैं और उनकी संख्या भी तय है कि इतने हाउस आफ लार्ड्स के होंगे और इतने हाउस आफ कामन्स के होंगे। इस तरह से वहां भी पावर कोई स्पेसिफिक नहीं है जिसमें कनफर्म किया गया हो।

दूसरा एतराज यह किया गया कि श्रोथ गवर्नर को दिलाना चाहिये था या अप्वाइंटमेंट गवर्नर करें। इस सम्बन्ध में भी मैं दो बातें अर्ज करूंगा। एक तो यह कि ब्रिटेन में जो अप्वाइंटमेंट्स अन्डर सेक्रेटरीज या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के वहां पर अन्डर सेक्रेटरीज पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज से थोड़ा ऊंचे होते हैं, मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिये पार्लियामेंटरी अफेयर्स में यह अथारिटी है कि इस तरह के अप्वाइंटमेंट वह करें। एक एनसन की अथारिटेटिव किताब कांस्टीट्यशन की है उसमें यह अधिकार स्पष्टतः वर्णन किया गया है कि ऐसी नियुक्ति की जा सकती हैं।

दूसरी बात यह कि गवर्नर को अधिकार है या नहीं। यह एक सवाल है जो कि हमको देखना है संविधान की निगाह से। संविधान के जिस शिड्यूल ७ और स्टेट लिस्ट का जिक्र किया गया उसके जिन ३८,३९,४० एन्ट्री का जिक्र माननीय सदस्य ने किया जिसमें मिनिस्टर्स, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर आदि के बारे में जिक्र है उसकी एन्ट्री ४० में स्टेट पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र है। आर्टिकिल ३०९ में रिक्रूटमेंट वगैरह को रेगुलेट करने का अधिकार दिया गया है। मैं आपकी इजाजत से उसको पढ़ दूं--

"309. Subject to the provisions of this Constitution, Acts of the appro priate Legislature may regulate the recruitment, and conditions of service of persons appointed, to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State".

इसके आगे प्राविजो में यह है कि जब तक कानून न बने, गवर्नर या जिसे वह अथराइज करें ऐसे रूल्स बना सकता है। यहां पर कंडीशन आफ सर्विसेज और रिक्रूटमेंट की बात है लेकिन नियुक्ति का कोई जिक्र नहीं है और उस की पावर नहीं है। संविधान में कोई भी सर्विस क्रियेट करने का अधिकार नहीं दिया है तो क्या यह माना जाय कि गवर्नर को या उसके द्वारा किसी अथारिटी को कोई पोस्ट क्रियेट करने का हक ही नहीं है? अगर ऐसा अर्थ लगाया जाय तो कोई नई पोस्ट क्रियेट हो ही नहीं सकती।

इसी तरह से ब्रिटेन में, जिसके कांस्टीट्यूशन की हमने नकल की है वहां पर तो क्राउन को प्रोरोगेटिव्ज हैं अप्वाइंट करने की। जितने भी मिनिस्ट्रियल आफिसेज हैं वे सारे किंग खुद आन दि ऐडवाइस आफ़ दी प्राइम मिनिस्टर अप्वाइंट करता है। तो वहां पर रेगुलेट होगा प्रोरोगेटिव से। लेकिन यहां पर हमको मानना पड़ेगा कि गवर्नर को इनहैरेन्ट पावर्स हैं पोस्ट क्रीएट करने की और अप्वाइंट करने की।

श्री अध्यक्ष--

क्या आप पब्लिक सर्वेंट मानते हैं?

श्री वीरसेन—

जी हां। शब्द पब्लिक सर्विसेज और पोस्ट्स हैं। तो पोस्ट्स से क्या माने लगायेंगे ? सिविल सर्विसेज के माने लगायेंगे या पोलिटिकल सर्विसेज से जैसे कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की होती है। आर्टिकल १५४ देखें, उसमें गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स का जिक्र है—

"The Executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution".

जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वे एक्सरसाइज होंगी सबार्डिनेट आफिसर्स के थ्रू और जूडिशियल केसेज में तय हो चुका है कि मिनिस्टर भी उसका सबार्डिनेट अफ़सर है और उसको भी अप्वाइंट करने और पोस्ट क्रीएट करने का अधिकार है। इसलिये मैं समझता हूं कि गवर्नर को इनहैरेन्ट पावर्स हैं पोस्ट क्रीयेट करने तथा अप्वाइंट करने की। और जहां तक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के बारे में माननीय सदस्य ने कहा, वह जितनी पोस्ट्स होती हैं उनको सेक्शन हम सीधे तौर पर मंजूर नहीं करते हैं, उसी तरह से इसका भी प्रावीजन होता है।

श्री अध्यक्ष—

जो आर्गूमेंट अपोजीशन की तरफ से हुये हैं वह इस हद तक सही हैं कि संविधान के अन्तर्गत पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का अप्वाइंटमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे पास रूलिंग्स हैं जो पार्लियामेंट और सदन में ऐक्सेप्ट हो चुकी हैं। माननीय न्याय मंत्री ने एक दृष्टिकोण हमारे सामने रखा कि परम्परागत दीर्घकाल से हमारे यहां पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज चले आ रहे हैं। उसके उत्तर में यह कहा जाता है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज तो चले आ रहे हैं, मगर इस इंस्टीट्यूशन को कभी चुनौती नहीं दी गई और चूंकि चुनौती नहीं दी गई इसलिये यह चलता रहा बगैर नोटिस के। ऐसी दशा में परम्परा स्थापित नहीं हो सकती। वह तो भूल-वश नियुक्तियां थीं। लेकिन आप देखेंगे, हमारे संकलन १९५२ से १९६२ के पृष्ठ २५०, २५१ और २५२ पर कि यह प्रश्न इस सदन में उठाया गया था उप मंत्री और सभा सचिवों के सम्बन्ध में। और यह निर्णय हुआ कि सभा सचिवों की नियुक्ति तथा वेतन की हम व्यवस्था कर सकते हैं और वेतन अधिनियम बना। अब इस बात को ध्यान में रखें कि अधिनियम द्वारा हम किसी व्यक्ति के वेतन की व्यवस्था तब कर सकते हैं जब कि उस व्यक्ति की नियुक्ति पहले वैध ठहरा लें अन्यथा उसके वेतन का प्रश्न नहीं उठ सकता। तो नियुक्ति वैध स्वीकार कर दी गई और फिर वेतन भी अधिनियम द्वारा निर्धारित कर दिया। अब प्रश्न यह है कि जब नियुक्ति कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत नहीं होती तो कैसे करते हैं। अब जब एक बार इस प्रकार की चुनौती दी गई और निर्णय हुआ तथा उस रूलिंग में प्राइम मिनिस्टर के जो विचार थे वह भी, दिये हुये ह कि परम्परा चली आ रही है इस वजह से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हैं। इस तर्क को स्वीकार कर लिया गया तो हमारे सामने जो दिक्कत है, वह यह है कि एक मर्तबा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के अस्तित्व को इस सदन ने वैध मान लिया और अधिनियम से उनके वेतन को भी निश्चित कर दिया, तो जो चीज हमने एक अधिनियम द्वारा पास कर दी उसे, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर द्वारा निरस्त नहीं कर सकता। मेरा यह मत है। अगर और कोई तरीका हो तो आप इस विषय को ला सकते हैं। सदन के अधिनियमित निश्चय अध्यक्ष के आदेश से निरस्त नहीं हो सकते।

अब हम उठते हैं और कल १० १/२ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४५ मिनट पर अगले दिन के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२६ अक्तूबर, १९६३।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३१६ पर]

जिला बहराइच में हरिहरपुर रानी तथा सिरसिया विकास क्षेत्रों में वर्ष १९६३–६४ में वितरण के लिये भेजे गये उर्वरक का विवरण

नाम उर्वरक	पूर्ण मात्रा टनों में जो बांटने हेतु उपलब्ध की गई	
	हरिहरपुर रानी	सिरसिया
१	२	३
१—कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ..	९.८११	८.८००
२—अमोनियम सल्फेट ..	७.५००	७.५८६
३—मिक्चर नं० १ ..	१.६५०	०.७३०
४—मिक्चर नं० २ ..	२५.०००	२७.३००
५—सुपरफासफेट ..	६.०००	१०.३०६
योग ..	४९.९६१	५४.७२२

संसद भवन

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३१८ पर]

सिंचाई विभाग में ड्राफ्टमैन के तीन वर्ग हैं—

(१) सिविल
(२) मैकेनिकल
(३) आर्किटेक्चरल

अक्तूबर, १९५८ से सितम्बर, १९६३ तक ड्राफ्टमैन के विभिन्न वर्गों में निम्नलिखित नियुक्तियां की गईं—

सिविल—३३३ (१४५ की नियुक्ति १२०–२५० रु० के वेतन क्रम में व १८८ की नियुक्ति ८५–२०० रु० के वेतन क्रम में)

मैकेनिकल—६ ।

आर्किटेक्चरल —४ ।

सिविल ड्राफ्ट्समैन के पद पर ८५–२०० रु० के वेतन क्रम में जो नियुक्तियां हुईं उनमें से २८ ड्राफ्ट्समैन ऐसे हैं जो ट्रेसर के पद से उन्नति पाकर ड्राफ्टमैन हुये हैं ।

नत्थी 'ग'

[देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३२३ पर]

तालिका

जूट समिति द्वारा जूट की उन्नति, खपत तथा उत्पादकों के प्रोत्साहनार्थ प्रमुखतः निम्नांकित सुझावों (recommendations) को प्रस्तावित किया गया है जो कि अभी प्रदेशीय शासन के अन्तर्गत विचाराधीन है ।

(१) जूट की श्रेणी (quality) एवं मात्रा (quantity) में स्वतः पर्याप्त (self sufficiency) की आवश्यकता के अन्तर्गत (क) प्रति एकड़ उत्पादन वृद्धि हेतु उन्नति एवं प्रभावशाली विधियों से जूट की कृषि करना तथा पैकेज प्रोग्राम के आधार पर एक योजना आरम्भ की जाय। (ख) जूट मीलों द्वारा आकांक्षित (required) रेशे की श्रेणी में उन्नति के हितार्थ जूट सड़ाने को पक्के तालाबों तथा ट्यूबवैलों का प्रबन्ध किया जाय। रेशे की हासता के परित्यानार्थ (to avoid loss) जूटगठ्ठों (bundles) की उचित सड़ान के लिये पूर्णरूपेण पानी के अन्दर डूबे रहने के प्रयोगार्थ सीमेंट चौकों (cement slabs) का आयोजन करना। पूर्वी बंगाल के विस्थापित अनुभवी परिवारों से उत्तम श्रेणी का रेशा उत्पादनार्थ प्रशिक्षण (training) तथा सहयोग ग्रहण किया जाय।

(२) उन्नतिशील क्रय-विक्रय विधि (Improved Marketing System) के अन्तर्गत कृषकों को रेशे का लाभप्रद मूल्य की प्राप्ति के द्वारा उत्पादन तथा श्रेणी में वृद्धि के संदर्भ में बाधक बाजार के विभिन्न शुल्कों (charges) एवं दुराचारों (mal-practices) में न्यूनता (reduction) हेतु यह प्रस्तावित किया गया कि (अ) व्यवस्थित बाजारों (regulated markets) का शीघ्र प्रबन्ध करना, (ब) कृषकों को बाजार में न्यूनतम (nominal) भावों पर रेशे सुरक्षित रखने के हेतु गोदाम (warehouse) उपलब्ध करने का आयोजन करना, (स) कृषकों द्वारा श्रेणीबद्धित (graded) रेशे बाजारों में विक्रयार्थ लाने के हेतु आन्तरिक (interior) जूट क्षेत्रों में संग्रह केन्द्रों (collecting Centres) की स्थापना तथा भारत सरकार के कृषि बाजार परामर्शक (Agriculture Marketing Advisor, I) द्वारा विभिन्न श्रेणी के निर्मित नमूनों (framed specifications) के सदृश श्रेणी बद्ध (grading) करने को अंगीकार (adoption) करवाना, (द) पक्की गांठें (Pucca Bales) ढुलाई आदि सुविधा हेतु (to facilitate transport) निर्मित करना अत्यन्त आवश्यकीय (very necessary) है, (य) रेशे का पारितोषित मूल्य निर्धारित कर (fixation of remuneration) बुवाई के पूर्व घोषित किया जाय, (र) बाजारिक ज्ञानार्थ (market intelligence) कृषकों को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित देहाती कार्यक्रम के अन्तर्गत जूट रेशे का भाव अवगत कराया जाय ।

(३) राजकीय शासन द्वारा जूट की क्रयता तथा उसको जूट मिलों की क्रयता कार्यक्रम (purchase programme) से अनुबद्ध (linking) करने के संबभं में मिलें इसको करने को प्रोत्साहित होवें ।

(४) जूट विकास एवं क्रय विक्रय परिषद् (Jute Development and Marketing Board) की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिये ।

(५) अनुसंधान (Research) कार्य के कार्यान्वित हेतु एक संघ (Board) की स्थापना की जाय ।

(६) भूमि संरक्षण (Soil Survey) कार्यक्रम को जूट उत्पादन क्षेत्रों में भारतीय केन्द्रीय जूट समिति (Indian Central Jute Committee) की परामर्श सहित (in consultation with) शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाय ।

(७) प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programme) की आवश्यकता को उचित लोक प्रसिद्ध (due publicity) प्रदानार्थ प्रशिक्षण क्रमों की संख्या की वृद्धि की जाय ।

(८) पटसन (Mesta) के उत्पादन कार्य को जूट उत्पादन कार्यक्रम के साथ नियोजित रूप (Planned way) में आयोजित किया जाय ।

(९) जूट उत्पादन मूल्याध्ययन (cost study) कार्यक्रम को निदेशक, अर्थशास्त्र अन्वेषण, भारतीय केन्द्रीय समिति (Director, Eco. Res., I.C.J.C.) की विचारधारा से आरम्भ किया जाय ।

(१०) जूट डंठलों (Jute Sticks) को अच्छे अभिप्रायों में कृषकों की आय के पूरकार्थ (supplement) उपयोग का प्रयास किया जाय और विभाग जूट डन्ठलों से पेपर पल्प एवं कार्ड बोर्ड बनाने वाली वांछित मिलों से इसकी आवश्यकता तथा प्रेषित मूल्य के संदर्भ में पत्र व्यवहार करें और कृषकों को उनके एकत्रीकरण (collection) हेतु प्रबोधन (persuade) किया जाय ।

परिशिष्ट 'घ'

[देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३१ पर]

फर्रुखाबाद जिले में तृतीय योजना के अन्तर्गत बनाये गये २५ नलकूपों के स्थान की सूची—

तहसील	ग्राम
फर्रुखाबाद	१—ईसापुर ।
	२—कमालपुर जहांगीरपुर ।
	३—मतपुरा ।
	४—ईसापुर ।
	५—तेजपुर ।
	६—मदनपुर ।
कायमगंज	७—शमसपुर भिकारी ।
	८—खानपुर ।
	९—हरसिंहपुर ।
	१०—पलिया ।
	११—नगला क्लार ।
	१२—सुल्तानपुर ।
	१३—हमलिया आशानन्द ।
कन्नौज	१४—तिथियापुर ।
	१५—मुरैया बुजुर्ग ।
	१६—तिथियापुर ।
	१७—लोहमढ़ ।
	१८—गंगेमऊ ।
	१९—रामपुर नवादा ।
छिबरामऊ	२०—सिंहपुर ।
	२१—सलेमपुर ।
	२२—सदरपुर द्वारिकापुर ।
	२३—सराय प्रयाग ।
	२४—मवारपुर ।
	२५—कमालपुर ।

गिरधारी लाल,
सिंचाई मंत्री ।

नत्थी 'ङ'

[देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३२ पर]

क्रम-संख्या	रूट का नाम	खाली जगहों की संख्या	विज्ञप्ति की तारीख जिसमें प्रार्थना-पत्र मांगे गये
१	२	३	४
१	मुजफ्फरनगर, बुढ्ढना, कन्धला	५	१३-६-५९
२	मेरठ, बागपत, बड़ौत, छपरौली, रामला, फकरीपुर ..	३	" "
३	खुर्जा, जेवर	१३	" "
४	अलीगढ़, अनूपशहर	१३	" "
५	अलीगढ़, पहासू	४	" "
६	मेरठ, फौलडा, वाया मोवाना खुर्द ..	१	" "
७	गाजियाबाद, देहली	९	" "
८	गढ़, देहली	१	२-१-५९
९	मखदूमपुर, फौलदा वाया मोवाना ..	१	२३-३-६२
१०	गाजियाबाद, सुराना वाया मुरादनगर, रौली ..	१	" "
११	गाजियाबाद, रटौल वाया चिरौरी, बनथला ..	१	" "
१२	मुजफ्फरनगर, झिनझाना वाया शामली, कैराना ..	१	" "
१३	शामली, चौसाना	१	" "
१४	बुलन्दशहर, शिकारपुर, पहासू	२	" "
१५	गुलौठी, चितसाना	१	" "
१६	खुर्जा, रबूपुरा वाया चोला	३	" "
१७	मुजफ्फरनगर, रोहाना, चर्थवाल	५	" "
१८	बुलन्दशहर, शिकारपुर, डिवाई रामघाट ..	५	" "
१९	बुलन्दशहर, करनवास वाया अनूपशहर .. बिबयाना, डिबाई, रामघाट, राजघाट और नरोरा	४	" "
२०	मेरठ, जानी, खानपुर, लोहारा	३	" "
२१	मेरठ, बुधना वाया सरधना, चुर, मुलहेरा .. पारसी, खिरवा, जलालपुर	२	" "
२२	कैराना, गंगोह वाया भुरा, झिझकाना, कंधालना ..	६	" "
२३	मेरठ, बुलन्दशहर	३	" "
२४	जहांगीराबाद, अनूपशहर	१	१८-५-६२
२५	जहांगीराबाद, दौलतपुर	२	" "
२६	मेरठ, परीछतगढ़, असीफाबाद	२	२०-८-६२
२७	बुलन्दशहर, सिआना गढ़, बुगरासी	१	२३-८-६३

नत्थी 'च'

[देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३६ पर]

चन्दौरी माइनर में लगे कुलाबों की सूची

कुलाबों की संख्या	किनारा	स्थिति		
		मील	फर्लांग	फिट
१	बायां	१	२	३००
२	दायां	१	२	३३०
३	दांया	१	५	१००
४	बायां	१	५	६००
५	बायां	२	२	३५०
६	दांया	२	२	३५०
७	दायां	२	४	२२०
८	दायां	२	६	४५०
९	बायां	२	६	४६०
१०	दायां	३	१	४५०
११	बायां	३	१	४५०
१२	बायां	३	४	४५०
१३	दायां	३	४	४५०
१४	बायां	३	६	२२०
१५	बायां	४	१	१५०
१६	दायां	४	१	२१०
१७	बायां	४	३	४८०
१८	दायां	४	३	४८०
१९	बायां	४	६	५००
२०	दायां	४	७	१६०
२१	बायां	५	१	२००
२२	दायां	५	१	४६०
२३	बायां	५	३	५००
२४	बायां	५	४	३६५
२५	दायां	५	३	५१०
२६	बांया	५	७	३२५
२७	बायां	५	७	१००
२८	बायां	६	०	३४०
२९	दायां	६	३	६४०
३०	बायां	७	०	०
३१	दायां	७	२	०
३२	बायां	७	६	१६०
३३	दायां	८	२	१००
३४	बायां	८	०	८०
३५	बायां	८	२	११०

नत्थी 'छ'

[देखिये अतारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३४२ पर]

कैनाल कालोनी, जिला कानपुर पुखराया में रबी व खरीफ में बोई गई फसलों की सूची ।

फसल सन्	नाम फसल जो बोई गई	(लेखपाल के कागज के अनुसार)	तारीख नीलाम
१—खरीफ १३६८ फ०	..	..	इस फसल में इस जमीन पर नहर विभाग का कब्जा नहीं था ।
२—रबी १३६८ फ०	..	(१) लाही .. (२) बेसड़ ..	७-७-६१ को नीलाम की कार्यवाही की गई परन्तु नीलाम के लिये कोई नहीं आया, इसलिए नीलाम नहीं हुई । इसलिये बाजार-भाव पर बेच दी गई ।
३—खरीफ १३६९ फ०	..	कोई फसल नहीं	..
४—रबी १३६९ फ०	..	" "	..
५—खरीफ १३७०	..	" "	..
६—रबी १३७१ फ०	..	" "	..
७—खरीफ १३७१ फ०	..	अभी तक लेखपाल ने पड़ताल नहीं की है ।	

नत्थी 'ज'

[देखिये अतारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३४५ पर]

No. 2981-IBD/61-XXIII-IB—62 W-53

FROM

SRI K. KISHORE,
JOINT SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,
VIDHAN BHAWAN, LUCKNOW.

TO

ALL DISTRICT OFFICERS,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, June 26, 1961.

Subject—**Constitution of the District Advisory Committee on Irrigation in each district.**

SIR,

IRRIGATION (B) DEPTT.

I am directed to say that Irrigation Sub-Committees were constituted in each district in 1956, for a period of one year, in accordance with the revised instructions issued in Irrigation (B) Department G. O. no. 1604-IV/67—62-W-53, dated June 28, 1956. Thereafter, these were not revived as a sub-committee of the Antarim Zila Parishads as practically all members of the Irrigation Sub-Committee were members of the Antarim Zila Parishads. Government, however, feels that the formation of an Irrigation Committee in each district would be in public interest. It will be expected to create a linkage between departmental functioning and public opinion and ultimately lead to maximum and most advantageous utilisation of available irrigation facilities. I am accordingly directed to convey the orders of the Governor regarding the re-constitution, with immediate effect, of an Irrigation Advisory Committee in each district with the following composition :

(*a*) District Magistrate	*Chairman.*
(*b*) The Upadhyaksh of Antarim Zila Parishad. As soon as the Zila Parishad is constituted, the Adhyaksh would be a member of this Committee	*Members.*
(*c*) All M. L. As., M.L.Cs. and M.Ps. whose constituencies fall, wholly or partly, in the district.	Do.
(*d*) All Executive Engineers of Irrigation Department having their jurisdiction in a particular Civil District.	Do.
(*e*) All Sub-Divisional Officers	Do.
(*f*) The District Officer	Do.
(*g*) District Agriculture Officer	Do.
(*h*) Executive Engineer/Assistant Engineer of Drainage Tube-well Divisions having jurisdiction.	Do.

Executive Engineer, Irrigation Department if none posted in a particular district, Assistant Engineer, Canals, would serve as. *Secretary of the Committee.*

In case more than one Executive Engineer of the Irrigation Department are posted in a district, the Secretary of the Committee shall be appointed by the District Officer in consultation with the Superintending Engineer.

2. The functions of the Committee shall be as follows :

(i) To review the progress of Third Plan Projects.

(ii) To consider people's problems and difficulties relating to irrigation.

(iii) To scrutinise all new proposals of drainage ; to deal with complaints in respect of existing drainage channels.

(iv) To consider all matters pertaining to the proper functioning of *osrabandis*.

(v) To ensure maximum utilisation of the departmental resources in times of floods and water logging .

(vi) To devise steps to bring about maximum utilization of irrigation potential.

(vii) To evolve and enforce appropriate crop patterns in irrigated areas with a view to giving a fillip to Grow-More Food Schemes.

3. The Committee shall be of a purely advisory nature. It shall meet once in three months and more often when necessary. It shall continue to function till further orders of Government.

4. I am further to request that to problems which, in the opinion of the Committee, affect a large number of people and which cannot be resolved locally may be brought to the notice of Government from time to time.

5. Eight spare copies of the Government Order are herewith enclosed for distribution amongst the Sub-Divisional Officers, District Planning Officer and the District Agriculture Officer of your district.

Yours faithfully,
K. KISHORE,
Joint Secretary.

Encls.—As above.

No. 2981(i)-IBD/XXIII-IB—62-W-53 OF DATE

COPY forwarded to Chief Engineer, Irrigation Department, Uttar Pradesh, Lucknow, with the request that:—

(i) all departmental officers who are members of this Committee may kindly be directed to attend all the meetings regularly. If due to emergent circumstances necessitating his presence elsewhere, a Divisional Officer is unable to be present at a meeting, he should invariably depute his seniormost S.D.O. to attend the meeting on his behalf ;

(ii) the Executive Engineers will give effect to such recommendations of the Committee as are within their competence to sanction and refer others without delay with their comments to the Superintending Engineer for his approval or orders.

(iii) The Secretary of the Committee in each district should submit a copy of the minutes of each meeting to the concerned Superintending Engineer for information.

No. 2981(ii)-IBD/XXIII—62-W—58 OF DATE

COPY forwarded for information and necessary action to :

(1) All members of the State Legislature.
(2) All members of Parliament (from U. P.)
(3) All Upadhykshs of the An'arim Zila Parishads.

No. 2981(iii)-IBD/XXIII—62-W-53 OF DATE

COPY also forwarded to :

(1) Development Commissioner, Uttar Pradesh.
(2) All Commissioners, Civil Divisions, Uttar Pradesh.
(3) Director of Agriculture, Uttar Pradesh.

By order,
K. KISHORE,
Joint Secretary.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १४४ एल० ए०—१९६३ (प्रो०)—८६० ।